लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड २०, १९६३/१८८५ (शक)

[२७ अगस्त से ६ सितम्बर १९६३/६ श्रावण से १८ भाद्र, १८८५ (शक)]

3rd Lok Sabha

Chamber Fumigated 15/10/13

Preservation Unit 21-8-92 Fumigated On 8.12.83 Parliament Library

पांचवां सत्र, १९६३/१८८५ (शक)

(खण्ड २० में अंक ११ से २० तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

लोक-सभा वाद - विवाद

दिनांक २९ अगस्त, १९६३ । ७ भाद्र, १८८५ (शक)

का

शुद्धि-पत्र

१. पृष्ठ १६३२, नीचे से १३वीं पंक्ति, 'केन्द्रीय सरकार .....ले सकते हैं' को प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर के रूप में पढ़िये ।

२. पृष्ठ १६३६, नीचे से ६वीं पंक्ति, 'श्री हिर विष्णुकामत' के स्थान पर 'श्री हरि विष्णु कामत' पढ़िये ।

३. पृष्ठ १६६०, ऊपर से १३ वीं पंक्ति, 'स्वास्य मंत्री' के स्थान पर 'स्वास्थ्य मंत्री, पढ़िये ।

कृ० पृ० उ०

४. पृष्ठ १६६७, अतारांकित प्रश्न संख्या ११४४ के शीर्षक का अन्तिम शब्द 'गथा' के स्थान पर 'जाना' पढ़िये ।

५. पृष्ठ १६६८, ऊपर से ६ वीं पंक्ति, 'चिसाई और विधुत' के स्थान पर 'सिंचाई और विद्युत' पढ़िये ।

लोक-सभा

गुरुवार, २९ अगस्त, १९६३ / ७ भाद्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

फरक्का पुल

+

†*३६०. श्री यशपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री बसुमतारी :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फरक्का पुल का निर्माण शीघ्रता से करने के तरीके पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान आपात स्थिति में निर्माण की गति को तेज करने के लिये कौन से वैकल्पिक प्रस्ताव सोचे गये हैं ?

†सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). बांध की डिजाइन में दो गलियों वाले बड़ी लाइन के एक पुल की व्यवस्था की गयी है। पुल के निर्माण में शीघ्रता के कार्य बांध के निर्माण की प्रगति पर निर्भर होंगे ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रोपोरशनेटली इसका कितना हिस्सा तैयार हो चुका है और कितना बाकी है और इसमें कितने दिन और लगेंगे ?

†डा० कु० ल० राव : बांध तैयार हो रहा है। प्रारम्भिक बातें पूरी हो चुकी हैं वास्तविक निर्माण कार्य दो महीनों में आरम्भ होगा ।

श्री यशपाल सिंह : क्या इमरजेंसी को देखते हुए कुछ फारिन एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है ताकि यह मैटर एक्सपोडाइट किया जा सके ?

†मूल अंग्रेजी में

1103 (ai) LSD—1.

†**डा० कु० ल० राव :** इस काम के लिए कोई विदेशी विशेषज्ञों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री बसुमतारी :** इस बांध को बनाने में वित्तीय दायित्व कितना होगा ?

†**डा० कु० ल० राव :** यह बांध बनाने में ३६.७६ करोड़ रुपया लगेगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** हमें बताया गया है कि इस परियोजना के निर्माण में कुछ कठिनाइयां हैं । क्या ये कठिनाइयां दूर की गयी हैं और यदि हां तो क्या यह बांध निर्धारित समय के अन्दर पूरा हो जायेगा ?

†**डा० कु० ल० राव :** इस बांध का निर्माण कार्य अवश्य ही एक बड़ा काम है जिसमें काफी कठिनाइयां हैं । हम देश की सब से बड़ी नदी पर निर्माण कार्य आरम्भ करने जा रहे हैं । फिर भी इन सभी कठिनाइयों पर विचार किया गया है और निर्माण कार्यक्रम तैयार किया गया है । आशा है कि चौथी योजना के अन्तिम वर्ष तक यह बांध तैयार हो जायेगा ।

श्री ब्रजबिहारी महरोत्रा : क्या इस बराज के साथ में कैनाल भी बनायी जायेगी, और क्या उसके लिए जमीन एक्वायर कर ली गयी है ?

†**डा० कु० ल० राव :** इससे पानी विनियमित करने और हुगली का पानी बढ़ाने के लिए भागीरथी नदी को पानी देने के लिए एक सहायक नहर है । इस परियोजना का यही उद्देश्य है । यह नहर बनाने का काम १९६४ में आरम्भ किया जायेगा और समय के अन्दर ही पूरा कर दिया जायेगा ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या यह सच नहीं है कि प्रश्न में उल्लिखित बांध एक सड़क-पुल है ? क्या रेलवे के साथ कोई समन्वय है जिससे कि सड़क और रेल-पुल दोनों ही साथ-साथ चल सकें ?

†**डा० कु० ल० राव :** यहां सड़क या रेल पुल का प्रश्न उठाया गया है । बांध पर दोनों ही पुलों की व्यवस्था है और वे साथ ही साथ पूरे किये जायेंगे; यदि निर्माण कार्यक्रम में सम्भव हुआ तो उनमें से एक साल भर पहले ही पूरा कर दिया जायेगा ।

दिल्ली में बिजली

+

†*३६१. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बिजली की सप्लाई मांग से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या नये और पुराने कनैक्शनों की मंजूरी तथा अधिक बिजली दी जाने के लिये आवेदनपत्र लम्बित हैं; और

(ग) उनकी मंजूरी देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० कु० ल० राव) :** (क) सितम्बर, ६३ में ३६ मेगावाट बिजली पैदा करने वाला यूनिट चालू हो जाने पर कुछ बिजली ज्यादा हो जायेगी ।

(ख) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) कुल २६ मेगावाट बिजली के लिए आवेदनपत्र मंजूर किये गये हैं और बाकी की छानबीन हो रही है ।

श्री यशपाल सिंह : जबकि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है; फिर भी क्या वजह है कि इतनी अर्जियां पैंडिंग हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह जवाब तो दे रहे हैं कि ज्यादा हो जाएगी, अभी ज्यादा नहीं हैं ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि यह दिक्कत इसलिए है कि बिजली का इन्तिजाम दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन करता है और इसकी सप्लाई का काम डिप्टी कमिश्नर करते हैं और इस ड्यूल कंट्रोल के कारण जनता को दिक्कत होती है ? यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस दिक्कत का हल किस तरह होगा ?

†**डा० कु० ल० राव** : इस समय बिजली ज्यादा नहीं है क्योंकि कुल ११८ मेगावाट बिजली इस समय उपलब्ध है और हमारी मांग लगभग ११५ मेगावाट है । लेकिन अनुमान है कि अधिक से अधिक लगभग आधे सितम्बर तक जेनरेटर चालू हो जायेगा और तब कुछ ज्यादा बिजली हमारे पास होगी । फिर उस में से २६ मेगावाट बिजली के लिये पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है । आगे ज्योंही बिजली लगभग ४६ मेगावाट तक उपलब्ध हो जायेगी त्योंही अगले १८ महीनों में और अधिक बिजली के लिए आवेदनपत्र स्वीकृत किये जायेंगे ।

श्री यशपाल सिंह : मेरे सवाल का जवाब नहीं आया । मेरा सवाल यह था कि सप्लाई करने वाले और हैं, कनेक्शन देने वाले और हैं और बिजली पैदा करने वाले और हैं . . . .

अध्यक्ष महोदय : और इसलिए तकसीम में दिक्कत होती है ?

लेकिन वह कहते हैं कि सरप्लस नहीं है, इसलिए तकसीम का सवाल कहां उठता है । आप के सवाल के बेसिस ही गलत हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : माननीय मंत्री ने बताया कि कुछ आवेदनपत्रों पर अभी विचार नहीं हुआ है । क्या मैं जान सकता हूं कि कितने आवेदन पत्र औद्योगिक एककों के लिए हैं और कितने घरेलू खपत के लिए हैं ?

†**डा० कु० ल० राव** : मुझे खेद है कि यह जानकारी मेरे पास नहीं है । यदि माननीय सदस्य चाहते हों तो मैं उन्हें दे सकता हूं ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : चूंकि दिल्ली, नई दिल्ली और आसपास के क्षेत्र दिन-प्रति-दिन बढ़ते जा रहे हैं तो क्या इन क्षेत्रों की बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिए अतिरिक्त बिजली उपलब्ध होगी ?

†**डा० कु० ल० राव** : अतिरिक्त बिजली अगले १८ महीनों के लिये उपलब्ध होगी । उसके बाद लगभग दिसम्बर, १६६४ के करीब हमें और १५ मेगावाट बिजली मिलेगी और उसके बाद दिल्ली को तापीय बिजलीघरों से १०० मेगावाट और भाखड़ा से ४० मेगावाट और बिजली प्राप्त होगी । तब दिल्ली में काफी बिजली उपलब्ध होगी ।

†**श्री राम सहाय पांडेय** : चूंकि माननीय मंत्री ने कहा है कि हमारे पास ज्यादा बिजली है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे यह कह सकेंगे कि औद्योगिक आवश्यकता के संबंध में सभी मांगें उन्होंने पूरी कर दी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कहते हैं कि ज्यादा बिजली नहीं है ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : हम अक्सर देखते हैं कि दिल्ली में बिजली फेल हो जाती है । जब माननीय मंत्री कहते हैं कि बिजली ज्यादा है तो ऐसा होने के क्या कारण है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य उत्तरों को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : यह कहना कहां तक ठीक है कि पिछले डेढ़ साल से कुछ आवेदनपत्रों पर विचार हो रहा है और इस अनुचित विलम्ब का एक कारण समन्वय की कमी है ?

†**डा० कु० ल० राव** : आवेदनपत्र इस कारण विचाराधीन है कि बिजली उपलब्ध नहीं थी। बिजली आ रही है और वह अगले दस दिन में दी जायेगी । इसलिये आवेदनपत्र विचाराधीन हो सकते हैं ।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या बिजली के सस्ते सामान उपलब्ध कराकर बिजली का अधिक से अधिक उचित उपयोग कराने के लिए सरकार कोई उपाय कर रही है ?

†**डा० कु० ल० राव** : उस पर विचार नहीं किया गया है । यदि माननीय सदस्य कोई सुझाव दें तो मैं उस पर विचार कर सकता हैं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : दिल्ली और नई दिल्ली में जो छोटे और बड़े कारखाने हैं उनके लिए कुछ हासिल पावर बिजली स्वीकृत है । क्या सरकार के पास कुछ इस प्रकार की शिकायतें आयी हैं कि ये कारखाने वाले बिजली के कर्मचारियों से मिलकर अपनी स्वीकृत पावर से ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, और इसी लिए दिल्ली में बिजली की कमी है,यदि हां, तो इसके लिए क्या उपाय किया जा रहा है ?

†**डा० कु० ल० राव** : हमें मंत्रालय में कोई शिकायतें नहीं मिली हैं ।

श्री शिव नारायण : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो ड्यूअल पालिसी चल रही है उसके साल्यूशन के लिये सरकार क्या स्टैप ले रही है ?

अध्यक्ष महोदय : अभी तक तो बिजली कम है ।

सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं के लिये भारत-नेपाल बोर्ड

+

†*३६२. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री भक्त दर्शन :
श्री दलजीत सिंह :
श्री प्र० के० देव :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २८ मार्च, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२७४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं के लिए भारत नेपाल बोर्ड" नामक प्रविधिक इस बीच बनाया जा चका है ;

---

†अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस में कौन कौन व्यक्ति हैं और इसके निर्देशपद किया हैं ; और

(ग) भारत द्वारा नेपाल से कर्णाली विद्युत के क्रय का भविष्य क्या है जैसा कि पिछले जिस प्रश्न का उल्लेख किया गया है उसके भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित बातचीत से ज्ञात होता है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिए इस बीच एक भारत नेपाल बोर्ड बनाया गया है । यह बोर्ड दोनों देशों के लिए पारस्परिक हित की परियोजनाओं और नदियों के संबंध में आंकड़े और संगत जानकारी के आदान प्रदान के लिए भारत सरकार और नेपाल सरकार द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है ताकि जब संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिये वे अपनी परियोजनाएं तैयार कर सकें ।

इस बोर्ड में दोनों देशों के दो दो प्रतिनिधि हैं । नेपाल सरकार का प्रतिनिधित्व मुख्य इंजीनियर, बिजली विभाग और मुख्य इंजीनिअर, सिंचाई विभाग, करते हैं और भारत सरकार का प्रतिनिधित्व सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के कार्यकारी संयुक्त सचिव और मुख्य इंजीनिअर तथा केन्द्रीय पानी बिजली आयोग के मुख्य इंजीनिअर करते हैं ।

नेपाल से कर्णाली बिजली खरीदने का जहां तक संबंध है, बिजली की उपलब्धि और कर्णाली परियोजना से बिजली की सप्लाई संबंधी अन्य संगत बातों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाने पर इस विषय पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : विवरण में कर्णाली परियोजना स्थापित करने की दिशा में अब तक की प्रगति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । उसकी स्थापना में केन्द्रीय सरकार का क्या अंशदान होगा ?

†**डा० कु० ल० राव** : सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं संबंधी भारत-नेपाल बोर्ड लगभग छ महीने पहले बनाया गया था । उसका उद्देश्य नदी के जल विज्ञान संबंधी आंकड़े तथा अन्य जानकारी देना था । नेपाल ने कुछ जानकारी मांगी है और हमने वह दे दी है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : २८ मार्च, १९६३ के मेरे प्रश्न का यह उत्तर दिया गया था कि परियोजना के संबंध में आंकड़े और अन्य संगत जानकारी के आदान-प्रदान की प्रणाली पर चर्चा करने के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल नेपाल गया था । उस चर्चा में कितनी प्रगति हुई है और क्या इस समय हमारी राजधानी में आये नेपाल महाराज के साथ इस विषय पर चर्चा की जाने वाली है ?

†**डा० कु० ल० राव** : जो प्रतिनिधि मण्डल नेपाल गया था उसकी चर्चा के परिणामस्वरूप ही यह भारत नेपाल बोर्ड बनाया गया था । जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच नदियों के बारे में जानकारी का लेन देन करना था ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या बोर्ड के लिये कोई निश्चित कार्य निर्धारित किये गये हैं और यदि हां, तो क्या ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० कु० ल० राव** : निश्चित कार्य यह है कि दोनों देशों में नदियों की जलविज्ञान संबंधी जानकारी का आदान प्रदान करना है ।

†**श्री भक्त दर्शन** : क्या यह बोर्ड केवल सलाह देने वाला होगा या दोनों ही सरकारें बोर्ड की सलाह मान कर उस पर अमल भी करेंगी ?

†**डा० कु० ल० राव** : यह सलाह देने वाला भी नहीं है । वह केवल जानकारी के लेन-देन के लिए हैं । यह एक जरिया है जिससे दोनों देशों के बीच जानकारी का आदान प्रदान होगा । उसे कोई शक्तियां प्राप्त नहीं हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या भारत और नेपाल के बीच अभी तक किसी जानकारी का लेनदेन हुआ है और वह किस प्रकार की जानकारी है ?

†**डा० कु० ल० राव** : नेपाल सरकार ने हमारे वैमानिक सर्वेक्षणों और वैमानिक चित्रों के बारे में और जलविज्ञान संबंधी जानकारी, अर्थात, नेपाल से आने वाली नदियों में कितना पानी बहता है आदि, मांगी थी और हमने वह जानकारी दी है । उसके बदले में हमने उस से वह जानकारी मांगी है जो जापानी और स्विस लोगों ने नेपाल में कर्णाली परियोजना पर काम करते हुए इकट्ठी की है और हम उस जानकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि चीन ऐसी परियोजना को अधिक अच्छी तरह,सस्ती लागत पर और जल्दी बनाकर देने का प्रस्ताव सामने रखकर नेपाल को खुश करने और उसे भारत से अलग करने की कोशिश कर रहा है और यदि हां तो क्या अभी हाल की घटनाओं से और नेपाल के राजा और रानी की यात्रा से चीनियों की वह चाल विफल हो गई है और इस क्षेत्र में नेपाल और भारत के बीच सहयोग की संभावना अधिक उज्जवल हो गयी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह अभी नहीं कहा जा सकता ।

भाखड़ा परियोजना ऋण की अदायगी

†*३६३. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि भाखड़ा परियोजना ऋण की अदायगी की समय सीमा १५ से २० वर्ष तक बढ़ा दी जाय ; और

(ख) यदि हां, तो समय सीमा को बढ़ाने के लिये पंजाब सरकार द्वारा क्या कारण दिये गए हैं और इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). यह सच है कि पिछले दिसम्बर में राज्य के वित्त मंत्री ने संकटकाल में भाखड़ा परियोजना ऋण की अदायगी स्थगित करने की प्रार्थना केन्द्रीय वित्त मंत्री से की थी । वित्त मंत्री ने यह जवाब दिया था कि इस संकटकाल में केन्द्रीय सरकार का दायित्व भी बहुत अधिक है और राज्य सरकार की कठिनाइयों को महसूस करते हुए भी वह मंजूर नहीं किया जा सका ।

†**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : ऋण की कुल रकम कितनी है और वह कितनी किश्तों में अदा करनी है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : कुल रकम २०४.३० करोड़ रुपया है । यह १५ साल के बाद चुकता करनी है और ब्याज हर छः महीने में देना होगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या पंजाब सरकार ने सिर्फ पहली किश्त की अदायगी स्थगित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की थी या सभी किश्तों की अदायगी स्थगित करने के लिए कहा था ?

†**श्री ब० रा० भगत** : संकट काल के दौरान सभी किश्तें ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या यह ऋण केवल पंजाब सरकार द्वारा दिया जाना है या पंजाब सरकार और राजस्थान सरकार जिसको इस योजना से लाभ पहुंचेगा, मिलकर यह ऋण चुकता करेंगी ?

†**श्री ब० रा० भगत** : उसका कुछ हिस्सा राजस्थान सरकार भी देगी ।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या सरकार ने हाल की बाढ़ को जिससे पंजाब के किसान बहुत गरीब हो गए हैं, ध्यान में रखा है और यदि हां तो समय बढ़ाने के मामले में क्या वह उस बात पर ध्यान देगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक सुझाव है ।

नदी बोर्ड

\+

†*३६४. **श्री कपूर सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री केसरलाल :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री महेश्वर नायक :
श्री दे० जी० नायक :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नदी बोर्ड अधिनियम के अन्तर्गत नदी बोर्ड बना दिये गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे बोर्डों की संख्या क्या है जिन्होंने काम करना आरम्भ कर दिया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न । श्रीमती विमला देवी ।

†**श्री यशपाल सिंह** : क्या औरों को भी सवाल पूछने का मौक़ा मिल सकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है । श्री कपूर सिंह बहुत चौकन्ने थे और यदि कोई अनुपूरक प्रश्न होते तो वह पूछते । अब मैंने अगला प्रश्न उठा दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दे० जी० नायक** : मैं प्रश्न संख्या ३६४ पर एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है। मैंने अगला प्रश्न ले लिया है ।

कृष्णा नदी जल विवाद

\+

†*३६५. **श्रीमती विमला देवी :**
श्री दीनन भट्टाचार्य :
श्री यशपाल सिंह :
श्री पें० वेंकटा सुब्बया :
श्री हेडा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री वीरप्पा :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री शिव मूर्ति स्वामी :
डा० श्रीनिवासन :
श्री परमशिवन् :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बतानेा की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा नदी जल विवाद के संबंध में केन्द्रीय सरकार का पंचाट संबन्धित राज्यों ने स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसे कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि मद्रास नगर को १५ टी एम सी फीट पानी की सप्लाई के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अपनी अनुमति वापिस ले ली है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) और (ख). सिंचाई और विद्युत मंत्री ने २३ मार्च १९६३ को सभा पटल पर रखे गये अपने विवरणों में कृष्णा नदी जल विवाद निबटाने के लिए कुछ सुझाव रखे थे । संबंधित राज्य सरकारें उन सुझावों पर विचार कर रही हैं ।

(ग) और(घ). महाराष्ट्र सरकार ने बताया है कि यदि मद्रास १५ हजार मिलियन क्यूबिक फुट पानी वर्तमान नहर से ले ले तो उसे कोई आपत्ति नही होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती विमला देवी** : क्या केन्द्रीय सरकार जानती है कि महाराष्ट्र के मंत्री ने यह कहा था कि वह केन्द्रीय सरकार के निर्णय से बाध्य नहीं होंगे, और यदि हां तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का क्या रुख है ?

†**डा० कु० ल० राव** : महाराष्ट्र के मंत्री से इस तरह का कोई वक्तव्य हमें प्राप्त नहीं हुआ है ।

†**श्री हेडा** : क्या माननीय मंत्री ने पद ग्रहण करने के बाद ही यह वक्तव्य दिया था कि कुछ राज्यों को दस प्रतिशत अतिरिक्त पानी दिया जायेगा और यदि हां, तो क्या उस से दूसरे राज्यों के कोटे पर कोई असर नहीं पड़ेगा ?

†**डा० कु० ल० राव** : वह जानकारी गलत है । महाराष्ट्र के मंत्री के साथ चर्चा में मैंने यह कहा था कि महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल जैसे राज्यों में योजनाओं में, आवश्यकता से १० प्रतिशत अधिक पानी के लिये हमें सदा ही व्यवस्था करनी चाहिये ताकि वहां के उद्योगों को कठिनाई न हो ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट और मद्रास सरकार के डिफरेंसेज़ जल्द से जल्द मेक अप हों, इस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है ?

†**डा० कु० ल० राव** : मद्रास और महाराष्ट्र राज्यों के बीच कोई मतभेद नहीं है ।

†**श्री रंगा** : माननीय सदस्य का आशय आन्ध्र प्रदेश से था ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री द्वारा की गई वर्तमान व्यवस्था जिस के अधीन विभिन्न राज्यों को कुछ नियतन किये गये हैं, पहले के नियतन के अनुसार आन्ध्र प्रदेश को दिये गये वास्तविक नियतन से बहुत कम है ?

†**डा० कु० ल० राव** : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि आन्ध्र प्रदेश के लिए निर्धारित जल की मात्रा १९५१ के करार में निर्धारित मात्रा से भिन्न है । यदि ऐसा हो तो उत्तर हां है । मैं बताना चाहता हूं कि जब भूतपूर्व सिंचाई और विद्युत् मंत्री ने वक्तव्य दिया था तब उन्होंने विभिन्न राज्यों की सभी आवश्यकताओं पर विचार कर लिया था ।

†**श्री बासप्पा** : क्या मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पंचाट के बारे में कुछ स्पष्टीकरण मांगा है और यदि हां तो क्या वह स्पष्टीकरण दिया गया है और किस सम्बन्ध में वह स्पष्टीकरण दिया गया है ?

†**डा० कु० ल० राव** : मैसूर सरकार ने पानी की मात्रा और विभिन्न मांगों और माननीय मंत्री के विभिन्न सुझावों के सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण मांगा था और भारत सरकार तथा विभिन्न राज्यों के बीच बराबर पत्र-व्यवहार हो रहा है ।

†**श्री रंगा** : जैसाकि महाराष्ट्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार ने मांग की है, क्या सरकार गुलाटी आयोग के निष्कर्षों के आधार पर एक दूसरा आयोग नियुक्त करने के बारे में सोच रही है अथवा क्या वह गुलाटी आयोग की रिपोर्ट से संयुष्ट है और यदि हां तो क्या उस के सुझावों और अन्य अनुसंधान के बारे में कोई निश्चित कार्यवाही करने का उस का विचार है ?

†**डा० कु० ल० राव** : कोई दूसरा आयोग नियुक्त करने की योजना नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या मद्रास शहर से पानी की सप्लाई के बारे में महाराष्ट्र सरकार की अस्वीकृति के बाद आन्ध्र प्रदेश सरकार ने मद्रास शहर की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये कृष्णा नदी से पानी देना मंजूर कर लिया है ?

†**डा० कु० ल० राव** : मैंने यह नहीं कहा था कि महाराष्ट्र सरकार ने इन्कार कर दिया था। उस ने सिर्फ यही कहा था कि यह पानी वर्तमान नहर से लेना है और इसलिए अभी इस मामले की छानबीन करनी है। चूंकि अभी तक मैसूर या आन्ध्र प्रदेश से ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए यह मान लिया जाना चाहिये कि मद्रास शहर से यह पानी दिये जाने के लिए वह सहमत है।

केन्द्रीय अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना का विस्तार

+

†*३६६. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री यशपालसिंह :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अधीन बम्बई और कलकत्ता के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाने की किसी योजना पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) अब तक बम्बई और कलकत्ता के कर्मचारियों को यह सुविधठ न देने में सरकार के सामने क्या कठिनाइयां हैं ; और

(ग) अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना की सुविधा के स्थान पर दूसरी कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था उन कर्मचारियों के लिये की गई है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० द० स० राजू)** : (क) तथा (ख). अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना, अक्तूबर १९६३ में कमी बम्बई में केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारियों और उन के परिवारों पर लागू की जायेगी। अन्य नगरों में योजना लागू न करने में मुख्य कठिनाई निधि का अभाव है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी यदि अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अधीन न हों तो उन पर लागू चिकित्सा उपचार नियमों के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक के चिकित्सा उपचार के पैसे सरकार से ले सकते हैं।

†**श्री सुबोध हंसदा** : कितने औषधालय खोले जायेंगे और क्या वहां के लिए चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किये जा चुके हैं ?

†**डा० द० स० राज** : ७ स्थिर और ५ चलते फिरते चिकित्सालय स्थापित करने के लिए तैयारियां की जा चुकी हैं। वे अक्तूबर में स्थापित हो जायेंगे।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा का खर्च देने की वर्तमान व्यवस्था सरकार और कर्मचारियों दोनों के लिये सुविधाजनक है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : यह कहना कठिन है कि यह कितनी सुविधाजनक या असुविधाजनक है। यह विचार किया गया था कि व्यापक योजना अधिक अच्छी है। इसी कारण अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना दिल्ली में शुरू की गई थी और अब और नगरों में लागू की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सच है कि जो लोग ऐलोपैथिक सिस्टम को अपने धर्म के खिलाफ़ समझते हैं और प्राणों की कीमत पर भी उस दवाई को लेना पसन्द नहीं करते, उन की तन्ख्वाहों में से भी पैसा काटा जाता है ?

डा० सुशील नायर: । जी हां । ऐसे कोई आदमी अभी तक मेरी नज़र में नहीं आये हैं, जो अपने प्राणों से आयुर्वेद को ज्यादा प्यार करते हैं ।

श्री यशपाल सिंह : ऐसे बहुत से आदमी हैं । माननीया मंत्रिणी जी समझने की कोशिश करें ।

अध्यक्ष महोदय : अगर माननीय सदस्य पहले मिनिस्टर साहब को नहीं मिले, तो वह अब मिल लें ।

†**श्री त्यागी** : क्योंकि यह योजना दिल्ली में प्रयोगात्मक रूप में आरम्भ की गई थी इस से आय और खर्च की दृष्टि से क्या परिणाम निकले हैं । यदि इस से हानि हो रही है तो कितनी वार्षिक हानि होती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह प्रश्न से सम्बन्धित है ? प्रश्न तो कलकत्ता और बम्बई में योजना लागू करने के बारे में है ।

†**श्री त्यागी** : वह तो तभी हो सकता है जब पता लगे कि उस से लाभ हो रहा है या हानि ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि इस से हानि भी हो रही हो तो भी कर्मचारियों के लाभ के लिए इसे क्यों न लागू किया जाय ?

†**श्री त्यागी** : हमारा खर्च से भी सम्बन्ध है ।

†**डा० द० स० राजू** : इस से हानि हो रही है । इस से ५० लाख लोगों को लाभ हो रहा है और प्रायः ५० प्रतिशत हानि हो रही है ।

†**डा० गायतोंडे** : सरकार पांडिचेरी और गोआ में जहां ये सुविधायें नहीं है योजना को लागू करने के लिए क्या विचार कर रही है ?

†**डा० द० स० राजू** : इस समय केवल बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में इसे लागू करने का विचार है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : यहां जो आयुर्वेदिक चिकित्सालय प्रयोगात्मक आधार पर लागू किये गये हैं क्या उन्हें उन क्षेत्रों में भी जहां अंशदायी स्वास्थ्य योजना है लागू किया जायेगा ?

†**डा० सुशीला नायर** : यदि आवश्यक समझा गया तो शायद ऐसा किया जाय ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, यह योजना दिल्ली में प्रारम्भ की गई थी, लेकिन आश्चर्य यह है कि अभी तक दिल्ली के भी कुछ भागों में इस को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है, जैसे शाहदरा और कैन्टोनमेंट में । अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस योजना को ऐसे स्थानों पर भी लागू करने का प्रयत्न किया जा रहा है, यदि अहां, तो वह कब तक लागू होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

डा० सुशीला नायर : इस इलाकों में भी कुछ न कुछ इन्तजाम तो हो रहा है । कुछ मोबाइल डिस्पेंसरी वगैरह का इन्तज़ाम वहां पर है । बात यह है कि इन इलाकों में बहुत कम संख्या और बहुत बिखरे हुए गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे । इसलिए यहां पर इस को एक्सटेंड करने में दिक्कत आई थी । उस को हल करने की कोशिश हो रही है ।

†**श्रीमती विमला देवी** : क्या वेतन आयोग की यह सिफारिश कि अंशदायी स्वास्थ्य योजना को केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों पर लागू किया जाये स्वीकार कर ली गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इस का प्रश्न से सम्बन्ध है ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : जी हां, वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी ।

†**डा० सुशीला नायर** : सभी सरकारी कर्मचारियों को किसी न किसी रूप में चिकित्सा सुविधायें दी जा रही हैं । जहां सरकारी कर्मचारी अधिक हैं वहां हमने अंशदायी स्वास्थ्य योजना लागू करने का प्रयत्न किया जिसमें सरकार ५० प्रतिशत सहायता देती है । जहां सरकारी कर्मचारी थोड़े और बिखरे हुए हैं वहां खर्च के भुगतान के नियम अब भी लागू हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : सरकार ने यह आवशासन दिया था कि यह योजना सेवानिवृत्त वेतन पाने वालों पर भी लागू की जायेगी । क्या इस बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : कहां ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : दिल्ली और उससे बाहर ?

†**डा० सुशीला नायर** : इस विषय पर अभी विचार किया जा रहा है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इतने समय में तो वे मर जायेंगे ।

श्री कछवाय : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कुछ सरकारी कर्मचारियों द्वारा यह शिकायत मिली है कि उन को इस चिकित्सा से ठीक लाभ नहीं होता है और इसलिये उन्होंने होमियोपैथी और आयुर्वेद की चिकित्सा की मांग की है ।

डा० सुशील नायर : ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है । आयुर्वेद की एक डिस्पेंसरी तो इस वक्त चल भी रही है । जिस को आयुर्वेद की दवा लेनी हो, वह वहां जा सकता है ।

श्री कछवाय : होमियोपैथी की ।

सोडा वाटर की बोतलों में मक्खियां

†*३६७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका के अधिकारियों ने अभी हाल में सोडावाटर की एक बोतल में मक्खियां देखीं और नई दिल्ली के स्टेशन के पास बर्फ कारखाने पर छापा मारने के बाद यह देखा कि वहां का वातावरण अस्वास्थ्यकर है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने नियमित रूप से सोडावाटर की बोतलों और अन्य शीत पेय को जांचने का कोई तरीका ढूंढ निकाला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० द० स० राज)** : (क) हां श्रीमन । नई दिल्ली नगर-पालिका के कर्मचारियों को हाल ही में नई दिल्ली स्टेशन के निकट सोडे की बोतलों में मक्खियां मिली थीं । उस कारखाने का निरीक्षण करने पर वहां की स्थिति स्वास्थ्य के लिये हानिकार पाई गई । यह कारखाना दिल्ली नगर निगम की सीमा में है अत: उसने इस पर कार्रवाही की है और कारखाना ३१ मई, १९६३ को बन्द कर दिया गया था ।

(ख) सोडे और ठंडे पेय पदार्थों के कारखानों और दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण नगर-पालिका स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां जहां इस तरह से सोडावाटर बनता है, वहां पर ऐसी बातों की रोक-थाम के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशील नायर) : डिपुटी मिनिस्टर साहब ने अभी कहा है कि म्यूनिसि-पैलिटी का हैल्थ स्टाफ, सैनिटरी इंस्पैक्टर्ज, वगैरह, इंस्पैक्शन के लिये वहां पर जाते हैं और अगर कोई गलत चीज नजर आती है, तो सम्बद्ध व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जाती है ।

श्री विभूति मिश्र : मैंने यह सवाल केवल दिल्ली के बारे में नहीं पूछा है । सारे हिन्दुस्तान में सोडावाटर बनता है और लोग उस को पीते हैं । दिल्ली तो कैपिटल है, लेकिन उन सब जगहों पर सर-कार क्या कार्यवाही है रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यहां तो निकाल लेने दीजिये ।

†**डा० गायतोंडे** : क्या यह पानी कशीद किया जाता है और मंत्रालय किन उपायों द्वारा पता लगाती है कि पानी कशीद किया गया अथवा नहीं ?

†**डा० शुशीला नायर** : हमें आशा है कि हम दिल्ली में सब को ऐसा पानी देते हैं जो खतरनाक नहीं ।

†**श्री त्यागी** : क्या मंत्रालय का नियम है कि सब को कशीद किया हुआ पानी दिया जाये ?

†**डा० सुशीला नायर** : मैंने तो अच्छे पानी की बात कही थी ?

†**श्री त्यागी** : मैंने समझा कि परिवार नियोजन की दृष्टि से कशीद किया हुआ पानी दिया जाता है । . . . . .

(अन्तर्बाधाएं)

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री त्यागी को कशीद किया हुआ पानी दिया जाये ।

†**श्री राम सहाय पांडेय** : अभी उपमंत्री ने बताया कि कारखानों के विरुद्ध आवश्यक कार्य-वाही की जायेगी । वह आवश्यक कार्यवाही क्या होगी और कब की जायेगी, क्या उस का लाइसेंस रद्द किया जायेगा ?

†**डा० द० स० राजू** : मैंने कहा है कि कारखाना बंद कर दिया गया है और लाइसेंस रद्द कर दिया गया है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : हाल ही में माननीय मंत्री ने कहीं वक्तव्य दिया था कि इन निरीक्षकों ने पचास पचास हजार के मकान बना लिये हैं और उनके दो लड़के अध्ययन ने के लिये इंगलैंड गये हुए हैं । क्या यह आरोप इन निरीक्षकों पर भी लागू होते हैं । यदि हां तो उन्हें सत्य निष्ठ बनाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : वह प्रश्न नहीं है ।

†**श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा** : अखबारी समाचारों के अनुसार कुछ समय पहले सोडे की बोतल में छिपकली और बर्फ के डले में चूहा पाया गया था। क्या ये समाचार मंत्रालय के ध्यान में आये थे ।

†**डा० द० स० राजू** : उसकी भी रिपोर्ट की गई थी ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या यह आम शिकायत है कि निरीक्षण कार्मचारी संख्या में पर्याप्त नहीं हैं और न ही उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाता है ।

†**डा० द० स० राजू** : निस्सन्देह उनकी संख्याकम है । हम नई दिल्ली नगरपालिका और दिल्ली दिल्ली नगर निगम से अनुरोध कर रहे हैं कि संख्या बढ़ाई जाये ।

श्री यशपालसिंह : क्या इस तरह का सोडा वाटर पीने वाले लोग मुजरिम नहीं हैं ? अगर हैं तो उनको क्या सजा दी गई है ?

†**श्री कपूर सिंह** : क्या सरकार पश्चिम के देशों की तरह खाद्य पदार्थों की अच्छी किस्म बनाये रखने के लिये सख्त कार्यवाही करने का विचार कर रही है । यदि नहीं तो क्यों ? (**अन्तर्बाधायें**)

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न का सम्बन्ध दिल्ली में सोडावाटर से है और माननीय सदस्य खाद्य पदार्थों का प्रश्न पूछ रहे हैं ।

†**श्री कपूर सिंह** : उन्हें उत्तर देने दीजिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उससे कई प्रश्न पैदा होंगे । बात से बात तो निकलती है लेकिन यह बहुत दूर जाती है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या सरकार दिल्ली में खाद्य और पेय पदार्थों में अपमिश्रण करने वालों और उन्हें दूषित करने वाले ऐसे घातकों पर सख्त दण्ड लगाने जैसे सार्वजनिक जगह पर बेंत लगाने की सजा देने का विचार कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वे आम जनता में बेंत लगाने की सजा का बहुत समय से प्रचार कर रहे हैं । मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता ।

†**श्री हिर विष्णु कामत** : गत बार वित्त मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया बताई थी अब स्वास्थ्य मंत्री को बताने दीजिये । मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने इस पर विचार किया है तो क्या परिणाम निकला है । यदि उत्तर नकारात्मक हो तो अलग बात है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका प्रश्न से क्या सम्बन्ध है ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह दिल्ली में पेय पदार्थों को दूषित करने का प्रश्न है और सोडा-वाटर पेय पदार्थ है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न केवल एक वस्तु के सम्बन्ध में है । मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता ।

†**श्री कपूर सिंह** : यद्यपि यह अच्छा प्रश्न था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने इसे कभी अस्वीकार नहीं किया । यहां सभी अच्छे प्रश्न किये जाते हैं और कभी इतने अच्छे होते हैं कि अनुमति नहीं दी जा सकती । किन्तु मुख्य प्रश्न के क्षेत्र की दृष्टि से यह प्रासंगिक नहीं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : प्रश्न का सम्बन्ध दिल्ली में दूषित पेय से है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : किन्तु जनता में बेंत लगाने की बात विस्तृत नीति की बात है और इस बोतल द्वारा निर्धारित नहीं होगी ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या वे अपना मत मंत्रिमंडल को नहीं बतायेंगी । मुझे निश्चय है कि इस सम्बन्ध में उनका अपना मत है ।

†**श्री राम सेवक यादव** : माननीय मंत्री जी ने बताया है कि उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है । मैं जानना चाहता हूं कि किस प्रकार की कारवाई की जा रही है और वह किस स्टेज पर है ?

डा० द० स० राजू : वह हो चुकी है ।

अध्यक्ष महोदय : इसका वजाब दिया जा चुका है, यादव साहब ।

सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली

†*३६८. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्काल उपचार वाले मामलों (एमरजेंसी केसेज़) में तुरन्त चिकित्सा सहायता दिये जाने के लिये कैजुअल्टी और एमरजेंसी कमेटी की राय पर, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में एक कन्ट्रोल रूम खोला गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस व्यवस्था की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या दिल्ली और देश के अन्य भागों, खासकर उत्तर पूर्व के सीमावर्ती क्षेत्रों के अस्पतालों में इसी प्रकार की व्यवस्था करने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० द० स० राजू)** : (क) तथा (ग) सफदरजंग अस्पताल का नियंत्रक कक्ष समन्वय करेगा और दिल्ली के अन्य अस्पतालों के सम्पर्क से काम करेगा । योजना को देश के अन्य भागों में लागू करने के सम्बन्ध में सभी राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों को योजना भेजी गई है ताकि वे चाहें तो लागू करलें ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १५९५/६३]

†**श्री दी० चं० शर्मा** : योजना के संचालन का क्या परिणाम निकला है और नियंत्रक कक्ष में कितनी मांगें आई हैं तथा उन्हें विवरण में उल्लिखित अस्पतालों में किस प्रकार वितरित किया गया है ?

†**डा० द० स० राजू** : मोटे तौर पर प्रतिदिन २० या ३० मांगें आई हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या २० और ३० में कोई अन्तर नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह संख्या २० और ३० के बीच है जो सदा भिन्न भिन्न होती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० द० स० राजू** : इस योजना का संचालन काफी संतोषजनक है । सभी मामलों का तत्काल उपचार किया जाता है और मामलों को विभिन्न अस्पतालों में बांट दिया जाता है । इस योजना से सम्बन्धित आठ अस्पतालों के साथ टेलीफोन सम्पर्क है । दुर्घटना होते ही केस की सूचना दी जाती है और रोगी से किसी निकटस्थ अस्पताल में जाने के लिए कहा जाता है । अस्पताल में पहुंचते ही रोगी नियंत्रण कक्ष को भी सूचना देता है । अतः कोई कठिनाई नहीं हो रही । किन्तु एम्बूलेंस सेवा के बारे में कठिनाई हो रही है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : किन राज्यों में व्यवस्था की गई है और क्या स्वास्थ्य मंत्रालय को पता है कि उन नये मंत्रालयों में संतोषजनक काम हो रहा है या असंतोषजनक ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : उपमंत्री ने कहा कि राज्यों को पत्र भेजे गये हैं यह नहीं कि वहां योजना शुरू कर दी गई है । किन्तु उन में से बहुत से राज्य योजना चालू करने के इच्छुक हैं और चालू होने पर हम उनकी प्रगति के बारे में सभा को बता सकेंगे । दिल्ली में इस का जहां तक संचालन हुआ है यह संतोषजनक है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह नियंत्रक कक्ष इस कारण स्थापित किया गया है कि कुछ समाचार मिले हैं कि कुछ आपातिक मामलों में देर से उपचार करने के कारण लोगों की मृत्यु हो गई है ।

†**डा० सुशीला नायर** : हां, श्रीमान् । कुछ मौतें हो गई थीं जिस कारण कुछ व्यवस्था करने की आवश्यकता समझी गई ।

†**डा० गायतोंडे** : प्रायः सभी अस्पतालों में बिस्तरों के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए उनकी संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह अलग प्रश्न है ।

श्री भक्त दर्शन : अभी बताया गया है कि जिस तरह का कंट्रोल रूम सफदरजंग अस्पताल में खोला गया है जस तरह के कंट्रोल रूम खोलने का राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सुझाव मात्र ही दिया गया है या यह भी कहा गया है कि यदि वे ऐसे कंट्रोल रूम खोलेंगी तो उनको आर्थिक सहायता भी दी जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : उनको सिर्फ इत्तिला दी गई है इसकी कि यहां क्या हुआ है । अब उनकी मर्जी है ।

श्री भक्त दर्शन : प्रश्न के पार्ट (सी) में पूछा गया था कि क्या इस तरह की व्यवस्था अन्य राज्यों तथा संघ क्षेत्रों में स्थापित करने का विचार है, जिस के उत्तर में बताया गया है कि उनको सुझाव दिया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या केवल सुझाव देकर ही केन्द्रीय सरकार संतोष कर लेना चाहती है या उन्हें कोई सहायता भी देना चाहती है ताकि जल्दी से जल्दी इस तरह के केन्द्र खुल सकें ?

डा० सुशीला नायर : फाइनेंशियल असिस्टेंस तो स्टेट्स को स्वास्थ्य के विषय में बहुत दी गई है । इस योजना में कोई अलग अस्पताल खड़ा करने की बात तो नहीं है, उनकी एफिशेंसी बढ़ाने की बात है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या यह सच है कि कुछ एम्बूलेंस इतनी खराब हो चुकी हैं कि एक दो मामलों में रोगियों को टैक्सी में ले जाना पड़ा था ?

†**डा० द० स० राजू** : एम्बूलेंसों की कभी कभी नहीं हुई । उनके पास दस एम्बूलेंस हैं ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : तुरन्त सहायता पहुंचाने की इस योजना का स्वागत किया जा सकता है । मैं जानना चाहता हूं कि प्राइवेट अस्पतालों में, जो तमाम शहरों में और तमाम स्टेट्स में हैं, के सम्बन्ध में भी कोई निदेश आप देना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह अलहदा सवाल है ।

यमुना नदी पर बांधों का निर्माण

†*३६९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री २१ मार्च, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यमुना नदी पर बांधों के निर्माण के बारे में उत्तर प्रदेश तथा पंजाब राज्य सरकारों में जो मतभेद हो गये थे, उन्हें दूर कराने में कहां तक सफलता मिली है; और

(ख) यमुना नदी के लिए संयुक्त नदी बोर्ड स्थापित करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) यमुना और उसकी सहायक नदियों पर प्रस्तावित बांधों की जांच के लिए क्रमबद्ध कार्यक्रम बनाने के लिए एक अन्तर्राज्यिक समिति बनाई गयी थी जिस ने आंकड़ों आदि के बारे में सम्बन्धित राज्यों को सिफारिशें की हैं । सम्बन्धित राज्य उन पर कार्यवाही कर रहे हैं ।

(ख) यमुना नदी के लिए एक संयुक्त नदी बोर्ड बनाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्यों से पत्र-व्यवहार किया जा रहा है ।

†**श्री भक्त दर्शन** : माननीय मंत्री के उत्तर से स्पष्ट है कि दो राज्यों के मतभेद दूर नहीं हुए। क्या माननीय मंत्री इसे निबटाने में स्वयं सहायता देंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो कार्यवाही के लिए सुझाव है ।

†**श्री भक्त दर्शन** : क्या उत्तर प्रदेश सरकार को छूट दे दी गई है कि वे यमुना प्रथम प्रक्रम के निर्माण और यमुना दूसरे प्रक्रम की जांच पड़ताल का काम करे ताकि वार्ता का निर्णय होने तक काम न रुके ?

†**डा० कु० ल० राव** : हां श्रीमान्, यमुना प्रथम प्रक्रम और यमुना दूसरा प्रक्रम को जारी रखा जायेगा । यमुना और उसकी सहायक नदियों पर पांच बांधों की जांच करनी है । प्रश्न है कि कौन जांच करे । मैं इसे शीघ्र निबटाने का प्रयत्न करूंगा ।

बैंक आफ चाइना का समापन

†*३७०. { **श्री हेडा** :
श्री प्र० के० देव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के रिजर्व बैंक द्वारा समापित बैंक आफ चाइना के लेन देन कहां तक तय

---

†मूल अंग्रेजी में

किये जा चुके हैं;

(ख) क्या कोई अन्तरिम या तदर्थ भुगतान किया गया है; और

(ग) वह किस आधार पर किया गया था ?

†**वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) पुस्तकगत निक्षेपों के दावों और (ख) अन्य कुछ दायित्वों के सम्बन्ध में लेनदारों की सूची तैयार हो गई है। बैंक की आस्तियां वसूल की जा रही हैं।

(ख) तथा (ग). समवाय अधिनियम की धारा ५३० के अन्तर्गत कुछ अधिमान्य दावों का भुगतान करने के अलावा समापक ने १ जुलाई, १९६३ से जमा बीमा निगम की ओर से भुगतान आरम्भ कर दिया है। १५०० रुपये तक के निक्षेपक दावेदारों को पूरा और अन्य निक्षपकों को प्रारम्भ में १५०० रुपये की राशि दी जा रही है।

†**श्री हेडा** : इस बैंक के समापन में देश की सुरक्षा और अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार लेखों का शीघ्र निबटारा कर रही है ? क्या सामान्य बैंकों की अपेक्षा इस के सम्बन्ध में अधिक देर हो रही है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : पहले रिजर्व बैंक ने सब लेखों की ध्यानपूर्वक जांच की थी किन्तु बाद में देखा कि कुछ लेखों की जांच विशेष अधिकारों के बिना नहीं की जा सकती। अतः भारतीय प्रतिरक्षा नियमों के अधीन अधिकार प्राप्त किये गये और विशेष पुलिस प्रतिष्ठान इस की जांच कर रहा है।

†**श्री हेडा** : क्या यह सच है कि अधिकांश लेखे विशेष राजनैतिक दल के लोगों के थे और क्या इस पहलू पर विचार किया जा रहा है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री त्यागी** : क्या भारत के रिज़र्व बैंक ने वित्त मंत्रालय को बताया है कि पश्चिम बंगाल के विशेष राजनैतिक दल, कुछ राजनीतिज्ञों और उनकी पत्नियों की काफी बड़ी बड़ी राशियां इस बैंक में जमा थीं यदि हां तो क्या सरकार ने जांच की है कि वह धन कहां से आया ?

†**श्री ब० रा० भगत** : भारत के रिज़र्व बैंक ने उन संगठनों के लेखों का पूरा विवरण दिया है जिनके बैंक में लेखे थे। किन्तु बैंकिंग की दृष्टि से उस में अनियमितताएं नहीं हैं। अब हमें और जांच करनी है . . .

†**श्री त्यागी** : प्रश्न है कि क्या सरकार ने यह जानने की कोशिश की कि वह धन कहां से आया क्योंकि मुझे पता है कि चीन के समर्थक साम्यवादियों और उनके मित्रों के उस में बड़े बड़े लेखे थे।

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : पुलिस की जांच पर सब कुछ पता लग जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

†**श्री त्यागी** : क्या जांच की जा रही है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : जांच की जा रही है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि चीनी भाषा में लिखे कुछ पत्रों से पता लगा है कि बैंक की वित्तीय स्थिति और व्यापारिक विनिमय रिज़र्व बैंक से छिपाये जाते थे और विशेष राजनैतिक दल

---

†मूल अंग्रेज़ी में

को ४० लाख रुपये की राशि ऋण के रूप में दी गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार वास्तविक स्थिति और उन भारतीयों के नाम बतायेगी जो चीन की उदारता का लाभ उठा रहे थे ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : माननीय सदस्य मुझ से अधिक जानते हैं किन्तु पूरे तथ्य पुलिस जांच की अन्तिम रिपोर्ट पर पता लगेगा ।

†**श्री हेम बरुआ** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया । क्या मेरी बात का विरोध किया गया है या सराहना ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं उन्हें विश्वास दिला सकता हूं कि यह सराहना है ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस चाइना बैंक में अंग्रेजी के किसी प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र का भी बहुत बड़ा अकाउंट पाया गया है ? यदि हां, तो क्या वित्त मंत्रालय ने यह जानने का भी यत्न किया है कि वह धन किस स्रोत से आया है, और क्या उस के बारे में भी कुछ एन्क्वायरी चल रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह बात पूछी जा चुकी है और मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इन्क्वायरी चल रही है ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : नाम बतलाने में तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : एक एक अकाउंट के बारे में पूछा जायेगा तो कैसे काम चलेगा ? उसकी तहकीकात हो रही है । मिनिस्टर साहब एक एक अकाउंट के बारे में कैसे कह सकेंग । पहले "**पोलिटिकल पार्टी**" कहा गया फिर "**सम मेम्बर्स आफ ए पोलिटिकल पार्टी**" कहा गया । जवाब तो वही होगा जो कि एक के लिये है ।

श्री त्यागी : मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि यह बतलाने के लिये कि किस के नाम अकाउंट है किसी पुलिस इन्क्वायरी की जरूरत नहीं है । किस के नाम अकाउंट है, उस में किसी अखबार का नाम है या नहीं, यह तो एक फैक्चुअल स्टटमेंट है । इस में इन्क्वायरी की क्या बात है ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : माननीय मंत्री तथ्यों को छिपा क्यों रहे हैं . . . (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री मोरारजी देसाई** : उस में प्राय: २५०० लेखे हैं । लेखे से तत्काल तो कुछ पता नहीं लगता । पुलिस द्वारा जांच का आदेश दिया गया है । जांच पूरी होने पर सब बातों का पता लगेगा ।

श्री त्यागी : किसी पोलिटिकल पार्टी का अकाउंट है या नहीं, किसी अखबार का अकाउंट है या नहीं, इस के बदलाने में क्या दिक्कत हो सकती है ? कोई कई हजार या कई लाख अखबार तो हैं नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री त्यागी यह तो देखेंगे, वह खुद मिनिस्टर रहे हैं, किसी का अकाउंट होना **इन इटसेल्फ** क्या काफी है इस के लिये कि उस को डिस्क्लोज किया जाय ? अकाउंट के बाद और भी चीजें हैं जिन की तहकीकात हो रही है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : नाम बतलाने में क्या आपत्ति हो सकती है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैंने पहले सभा में बताया था कि पीपल्स पब्लिशिंग हाउस या पीपल्स राज नामक प्रकाशक का लेखा किन्तु पैसा कहां से आया यह देखा जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : श्रीमान हम आपसे सहायता मांगते हैं । इस साधारण-सी जानकारी के लिए कि राजनैतिक दल के कुछ सदस्यों का वहां खाता है वित्त मंत्री को पुलिस के पास जाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि रिजर्व बैंक जांच कर चुका है और उस जांच के प्रतिवेदन से यह जानकारी दी जा सकती है ।

†**श्री त्यागी** : संभवत: यह हमारी तटस्थता की नीति के विरुद्ध है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह गुप्त है ।

†**श्री जसवन्त मेहता** : किन विशेष बातों के बारे में सरकार जांच कर रही है और पुलिस को कागज दिये गये हैं ?

†**श्री मुरारजी देसाई** : यह जानने के लिए कि उसमें गड़बड़ क्या है ?

श्री कछावाय : मैं जानना चाहता हूं कि ब्लिट्ज जो पेपर है उस के सम्पादक श्री क्रांजिया के नाम से भी कोई एकाउंट वहां है ?

अध्यक्ष महोदय : एक एक के बारे में कैसे कहा जाय ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मिनिस्टर साहब जवाब दे रहे हैं ।

श्री मोरारजी देसाई : मेरे पास यहां काई फहरिस्त तो है नहीं ।

अध्यक्ष महोपय : ले लीजिये जवाब ।

†**श्री कपूर सिंह** : इस बात का देखते हुए भी कि चीनी बैंक के कारबार से देश की सुरक्षा सम्बन्धित है, और यह अत्यन्त लोक महत्त्व का प्रश्न है इस विषय में इतनी शिथिलता क्यों बरती जा रही है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : किसी प्रकार की शिथिलता है ही नहीं ।

श्री शिव नारायण : मैं यह जानना चाहता हूं कि किन किन संस्थाओं के विरुद्ध पुलिस इन्क्वायरी चल रही है ? गवर्नमेंट ने किस कैटेगरी के पुलिस अफसर को मुकर्रर किया है इस इन्क्वायरी के लिये ?

अध्यक्ष महोदय : बैंक के खिलाफ इन्क्वायरी हो रही है ।

श्री शिव नारायण : अकाउंट्स के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि किस कैटेगरी के पुलिस अफसर को जांच करने के लिए मुकर्रर किया गया है ।

†**श्री ब० रा० भगत** : इस विषय में जांच करने का कार्य हमने केन्द्रीय गुप्तचर्याविभाग के एक उप-अधिकारी को सौंप दिया है ।

†**श्री मुरारका** : इस बैंक में भारतीय राष्ट्रजनों की कुल कितनी राशि जमा है और क्या इस पूरी राशि का भुगतान किये जाने की संभावना है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : सारी कटौतियों के बाद ४५.१० लाख रुपये, किन्तु परिसमापन के समय इसका कुल दायित्व १.६८ करोड़ रुपये था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : पुलिस की जांच के अतिरिक्त क्या क्या भारत के रक्षित बैंक के साथ भी इस बैंक का जो देश में एक विदेशी मुद्रा बैंक के रूप में भारत का रक्षित बैंक अधिनियम के अन्तर्गत आता है। सामान्य बैंकिंग का लेन देन चलता रहा है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं प्रश्न नहीं समझ पाया।

†**अध्यक्ष महोदय** : उस जांच कार्य के अतिरिक्त जो पुलिस को सौंपा गया है क्या इस बैंक में कुछ ऐसी अनियमिततायें भी हुई हैं जो रक्षित बैंक के अधीक्षण अथवा नियंत्रण के अधीन हैं ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : ऐसी काई बात ध्यान में नहीं आई। मैं अपने पहले उत्तर में संशोधन करना चाहता हूं। भारतीय राष्ट्र जनों की कुल जमा राशि २८ लाख रुपये थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न संख्या ३७१ के साथ ३७४ भी ले लिया जाये।

दण्डकारण्य में विस्थापित व्यक्ति

\+

†*३७१. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या निर्माण आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दण्डकारण्य विकास प्राधिकार ने पश्चिमी बंगाल सरकार से मलकनगिरि में कृष्यकरण-कार्य में प्रगति होने तक कृषक विस्थापित परिवारों को दण्डकारण्य न भेजने के लिए कहा है ;

(ख) ऐसे भूतपूर्व शिविर कृषक-परिवारों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी बसाया जाना है ;

(ग) १९६३ में कितने परिवार दण्डकारण्य भेजे गये ; और

(घ) क्या उन्हें उन जमीनों पर बसा दिया गया है जो उन्हें दी गई थीं ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) कृषक विस्थापित परिवारों को भेजने का कार्यक्रम स्थगित नहीं किया गया है अपितु दण्डकारण्य में नये गांव स्थापित किये जाने से सम्बद्ध कर दिया गया है।

(ख) लगभग ३५०० परिवार।

(ग) जून, १९६३ तक ६६८२ परिवार दण्डकारण्य पहुंचा दिये गये हैं।

(घ) कार्य-केन्द्रों से १३२ परिवारों को छोड़ कर जून, १९६३ तक सारे परिवार बसने के लिये गांवों के लिये निर्धारित स्थानों पर पहुंचा दिये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

दण्डकारण्य विकास प्राधिकार

†*३७४. **श्री च० का० भट्टाचार्य :**
श्री जेना :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय श्री सुकुमार सेन के कहने पर दण्डकारण्य विकास प्राधिकार के किसी पूर्णकालिक प्रधान की नियुक्ति के बारे में कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) क्या इस बारे में पश्चिम बंगाल सरकार की राय ले ली गई है और इस सम्बन्ध में उसकी क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) नियुक्ति के बारे में अन्तिम निश्चय कब तक किया जायेगा ?

†**निर्माण आवास तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) हां ।

(ख) हां, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सरकारों के परामर्श सहित ।

(ग) लगभग १ महीने में ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या सरकार ने दण्डकारण्य में कृषि-परिवारों को बसाने के क्रमबद्ध कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया है, और यदि हां, उन्हें कब तक वहां बसा दिया जायेगा ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : इस समय कृषि-परिवारों को दण्डकारण्य ले जाया जा रहा है। उन्हें वहां बसाने के विषय में निश्चित क्रमबद्ध कार्यक्रम है । यदि उनका अभिप्राय दीर्घकालीन विकास कार्यक्रम से है, तो दण्डकारण्य प्राधिकार ने एक पुनरीक्षित परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और वह सरकार के विचाराधीन है ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि त्रिपुरा के मुख्य मंत्री ने पूर्वी पाकिस्तान से हाल ही में आये हुए २५०,००० से अधिक व्यक्तियों को बसाने की व्यवस्था करने के लिये केन्द्रीय सरकार से कहा है और उन्हें दण्डकारण्य भेजे जाने का विचार है ।

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : हमने एक विशष अधिकारी को त्रिपुरा भेज कर स्थिति का मूल्यांकन किया है और मैं भी त्रिपुरा के मुख्य मंत्री और वहां के पुनर्वास मंत्री से मिला हूं । हमारे अनुमान के अनुसार हाल ही में पूर्वी पाकिस्तान से त्रिपुरा में ३१०० परिवार आये हैं । उनमें से १८०० के अपनी भूमि उन मुस्लिमों को जो त्रिपुरा से वापिस पाकिस्तान गये हैं बेच दी है या विनिमय कर लिया है । लगभग १२०० परिवार रहे हैं । उनमें से हम ७५० कृषि-परिवारों को दण्डकारण्य में बसा लेने के लिये सहमत हो गये हैं और शेष के विषय में हमने त्रिपुरा की सरकार से उसी राज्य में व्यवस्था करने के लिये कहा है । संभवतः उनमें से सब कृषक नहीं हैं । कुछ कृषि-परिवार ऐसे भी होंगे जिनके मुखिया पुरुष नहीं हैं । दण्डकारण्य केवल कृषि-परिवारों के लिये ही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या दण्डकारण्य में १९६३ में और अधिक शरणार्थियों को नहीं बसाया जायेगा ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : मैं इस बात को स्पष्ट कर सकता हूं । दण्डकारण्य में शरणार्थियों को लिये जाने के सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहता हूं कि वहां का कार्य वर्ष-वार नहीं किया जाता । यह सितम्बर से आरम्भ होता है, कार्य का काल जून, १९६४ तक जायेगा । इस बीच विस्थापितों को लिया जाता है । १९६३ के लिये हम सितम्बर या अक्टूबर से दण्डकारण्य में विस्थापितों को लेना आरम्भ करेंगे ।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : क्या अब भी कई विस्थापित कृषि परिवार सियालदह स्टेशन पर हैं, और यदि हां, तो क्या उन्हें दण्डकारण्य ले जाने का सरकार का विचार है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : यह मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । सियालदह में रहने वाले अनधिकार वासियों का प्रश्न कई बार सभा के सम्मुख आया है । हमने उन्हें बसा दिया है । सियालदह के नये अनधिकारवासियों की जिम्मेदारी मैं नहीं लेता ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : प्रश्न ३७४ के उत्तर में उपमंत्री ने कहा था कि स्वर्गीय श्री सुकुमार सेन के स्थान पर प्रशासक की नियुक्ति करने के विषय में निश्चय करने के लिये सब राज्य सरकारों की बैठक हुई थी । क्या प्रशासक पश्चिमी बंगाल से लेने के विषय में कोई निश्चय लिया गया है ।

†**श्री पू० शे० नास्कर** : शायद माननीय सदस्य ने प्रश्न को अथवा मेरे उत्तर को ठीक तरह नहीं पढ़ा । यह प्रशासक नियुक्त करने का प्रश्न नहीं अपितु दण्डकारण्य विकास प्राधिकार के सभापति पद का प्रश्न है । भारत सरकार ने सम्बन्धित राज्य सरकारों, अर्थात् पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश की सरकारों के साथ परामर्श किया है और उस विषय में शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा ।

†**श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा** : क्या सरकार आसाम में आये हुए विस्थापितों को दण्डकारण्य में बसाने के मामले पर भी विचार कर रही है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : पहले कैम्पों में रहने वाले लगभग ३५०० परिवार अब भी पश्चिमी बंगाल में हैं । लगभग ७५० परिवारों को त्रिपुरा से लेना है । दण्दकारण्य में मैं लगभग ३००० अथवा २५०० परिवार ले सकता हूं क्योंकि कृषि योग्य भूमि का २५ प्रतिशत आदिवासियों को देना होता है । ऐसी स्थिति में मेरे लिये आसाम से अतिरिक्त परिवार लेना संभव नहीं है ।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह**: क्या यह सच है कि श्री सुकुमार सेन के निधन से दण्डकारण्य के विकास की गति में काफी बाधा पहुंची है और उनके उत्त राधिकारी उसी गति से कार्य नहीं कर सके हैं ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : यह अप्रिय आक्षेप किया गया है । काम चल रहा है । श्री सुकुमार सेन द्वारा किया गया कार्य, जो हमारे अच्छे अधिकारियों में से थे और जिन्होंने दण्डकारण्य में बहुत अच्छा कार्य किया है, आगे बढ़ाया जा रहा है मुझे आशा है कि हम उनकी आशा के अनुरूप कार्य कर सकेंगे और दण्डकारण्य का कार्य अच्छी तरह चालू रख सकेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वर्ण नियन्त्रण का प्रतिकूल प्रभाव

†*३७२. **श्री जसवन्त मेहता :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बालकृष्ण वासनिक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान स्वर्ण नियत्रण बोर्ड के प्रधान की १४ मई, १६६३ की खुली स्वीकारोक्ति की ओर गया है कि हाल में सोने का तस्कर व्यापार पुनः आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ;

(ग) क्या स्वर्ण नियत्रण बोर्ड के प्रधान ने यह भी कहा कि आदेश का ग्रामीण ऋण पर कुछ प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो कितना प्रभाव पड़ा है और स्वर्ण नियंत्रण कार्यवाही का ग्रामीण ऋण पर प्रतिकूल प्रभाव रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

†**वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) **और (ख)**. एक विवरण, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है, सभा पटल पर रखा जाता है

विवरण

(क) हां । समाचार-पत्रों में छपा हुआ समाचार बिल्कुल सही नहीं है और सभापति के कथित वक्तव्य का समाचार सही प्रतीत नहीं होता ।

(ख) व्यापारियों और परिष्करण करने वालों द्वारा १४ कैरट शुद्धता से अधिक का सोने का स्टाक रखा जाना प्रतिषिद्ध घोषित कर दिया गया है । उन्हें कहा गया है कि वे सोने के क्रय-विक्रय की प्रविष्टि रजिस्टरों और विवरणियों में करें जिनका निरीक्षण किया जाता है और नियमों को लागू करने वाले अधिकारियों की प्रविष्टि करने, जांच-पडताल करने और माल ज़ब्त करने की शक्तियां बढ़ा दी गई हैं । स्वर्ण-आयात के लिये गैर-कानून रूप से विदेशी मुद्रा के संग्रहण अथवा भारतीय मुद्रा के बाहर जाने को रोकने के लिये विदेशी विनिमय विनियम और सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) हां ।

(घ) ग्राम्य-ऋण पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है और छोटे बैंकों और उनके ग्राहकों को स्वर्ण पर अग्रिम धन देने पर प्रतिबन्ध स्वरूप प्रतिकर देने के लिये, खाद्यान्नों पर अग्रिम धन दिये जाने से सम्बन्धित संवरित ऋण नियंत्रणों को अस्थायी रूप से शिथिल करने के रूप में रियायत देने के अतिरिक्त और कोई विशेष कार्यवाही न की गई है और न इसे आवश्यक समझा गया है ।

†**श्री जसवन्त मेहता** : केन्द्रीय चुंगी विभाग ने दुकानों पर छापा मारा और ऋण के लिये बन्धक रखे गये कृषकों के आभूषणों को जब्त कर लिया जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण ऋण व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। क्या इन घटनाओं को देखते हुए क्या सरकार स्वर्ण नियंत्रण आदेश का संशोधन करने अथवा नीति उचित परिवर्तन करने पर विचार कर रही है जिससे कृषि ऋण को क्षति न पहुचे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० रा० भगत** : यदि स्वर्ण ऋण लेने के लिये बन्धक रखा गया हैं और इसकी घोषणा कर दी गई है तो ऐसा किये जाने की आवश्यकता नहीं है और न ही ऐसा किया जायेगा . . .

†**श्री जसवन्त मेहता** : यह जब्त कर लिया गया है ।

†**श्री ब० रा० भगत** : मुझे मालूम नहीं । यदि माननीय सदस्य मुझे विशेष उदाहरण दें तो मैं उसकी जांच करूंगा ।

†**श्री जसवन्त मेहता** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया । क्या सरकार सभा को यह आश्वासन दे सकती है कि यदि आभूषणों के मालिकों ने इस बात की सत्यता को प्रमाणित कर दिया कि जब्त किये गये आभूषण उन्होंने बन्धक रखे थे तो सरकार उन्हें लौटा देगी जिससे ऋण व्यवस्था को हानि न पहुंचे ?

†**श्री ब० रा० भगत** : इस बात की वास्तविकता को प्रमाणित करना होगा और यदि ऐसा कर दिया गया तो निश्चय ही हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि इन्हें जब्त न किया जाये । किन्तु हम मामले के ब्यौरे में जाने के बाद ही निश्चय किया जा सकेगा ।

†**श्री रंगा** : क्या सरकार ने प्रश्न के भाग (ग) और (घ) के सम्बध में भारत के रक्षित बैंक और अन्य अनुसूचित बैंकों से कि इस विषय में उनका अनुभव क्या है और स्वर्ण नियंत्रण आदेश से किस सीमा तक ग्राम्य ऋण व्यवस्था प्रभावित हुई है, जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया है अथवा वह एकत्रित करेगी ?

†**श्री ब० रा० भगत** : उस विषय में हम ने कुछ अनुमान लगाये हैं । स्वर्ण नियंत्रण आदेश के लागू किये जाने के पूर्व सूची बद्ध और अनुसूचित बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को दिये गये ऋण की राशि ६० करोड़ रुपया थी। आज हमारे अनुमान के अनुसार यह २५ करोड़ रुपया है। इस सीमा तक इसमें कमी हुई है। किन्तु जैसा कि प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में कहा गया है हमने कार्यवाही की है और हमने छोटे बैंकों द्वारा किसानों की आवश्यकता के लिये दिये जाने वाले ऋणों और खाद्यान्नों पर दिये जाने वाले अग्रिम धन की शर्तों को कुछ शिथिल कर दिया है। हमने इस विषय में भी कार्यवाही की है कि प्राथमिक भूमि बन्धक बैंकों और अन्य सहकारी बैंकों के ऋण को विस्तृत कर दिया जाये जिससे यह कमी पूरी हो जाये और अधिक अग्रिम धन दिया जा सके ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पश्चिमी बंगाल में अनधिकारवासियों की बस्तियां

†*३७३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि तथा "अनधिकारवासियों की बस्तियों" का विकास, जिन्हें पश्चिमी बंगाल में नियमित रूप देना स्वीकार कर लिया गया था, विस्थापित व्यक्तियों को नहीं दी गई है ;

(ख) क्या अनेक बस्तियों में मालिकों ने अब न्यायालयों से आदेश ले लिए हैं और लोगों को वहां से हटा रहे हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) सरकार इन विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास में शीघ्रता करने के लिए तथा उन्हें निष्कासन से बचाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ; और

(घ) अनधिकारवासियों की इन बस्तियों में पुनर्वास की समस्या का ठीक रूप क्या है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जब भी कभी अनधिकारवासियों की बस्तियों का विनियमन किया जाता है तभी बस्ती में बसने के लिए उनके दावों को मान्यता देने के लिए उपयुक्त विस्थापित परिवारों को 'अर्पण पत्र' दिए जाते हैं। अपेक्षित शर्तों को पूरा करने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ऐसे आबंटियों को वहां जाने का अधिकार दे देगी।

(ख) और (ग). पश्चिम बंगाल सरकार ने बताया है कि कुछ जमीदारों ने सरकारी अधिकारियों से डिग्री ले ली है परन्तु राज्य सरकार को ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है कि नियमित अनधिकारवासियों की बस्तियों के लिए ली गई भूमि पर से किसी को हटा दिया गया हो।

(घ) स्थायी समस्या नीचे दी जाती हैं :

(१) २९ बस्तियों का पूरा पूरा बसाया जाना तथा १८ का आंशिक रूप से ;

(२) ३५ अनधिकारवासी बस्तियों में हो रही विकास योजनाओं को पूरा करना।

अनिवार्य जमा योजना के लिये प्रबन्ध

†*३७५. **श्री इम्बीचीवाबा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हेम राज :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री ओंकार लाल बैरवा :
श्री स्वैल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवार्य जमा योजना को लागू करने के लिए क्या प्रशासनिक प्रबन्ध किए गए हैं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई नये पद बनाये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो कितने पद बनाये गये हैं ; और

(घ) १९६३-६४ में इस पर कुल कितना धन व्यय किया जायेगा ?

†**वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)**: (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी--१५९६/६३**]

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयले के परिवहन की समस्या

†*३७६. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री ब० कु० वास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या वित्त मंत्री २८ फरवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के परिवहन से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए भारत में आये हुए विदेशी सलाहकार दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य सुझाव दिए गए हैं ?

†**वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भोजन व्यवस्था के ठेके

†*३७७. **श्री हरि विष्ण् कामत** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटौदी हाउस तथा लिंक रोड होस्टल, नई दिल्ली में भोजन व्यवस्था के ठेके मंजूर हो गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों जगह भोजन व्यवस्थापकों के नाम क्या हैं ;

(ग) ये ठेके कितनी-कितनी अवधि के लिए दिए गए हैं ; और

(घ) क्या इस सिलसिले में टेंडर मंगाये गये थे ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) से (घ). निकट भविष्य में ही लिंक रोड होस्टल के भोजन व्यवस्था में ठेकों के लिए टेंडर मंगाने का विचार है। पटौदी हाउस की स्थिति नीचे दी जाती है :—

ठेके की अवधि समाप्त होने से छः महीने पहले प्रतिरक्षा मंत्रालय को कोटा हाउस से हटा लिया गया था तथा उसको बन्द कर दिया गया था। उसके स्थान पर पटौदी हाउस को अतिथिगृह बना दिया गया था इसलिए जो भोजन व्यवस्थापक कोटा हाउस में था वही पटौदी हाउस में भोजन व्यवस्था करने लगा था। इसलिए नये टेंडर मंगाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

राजस्थान नहर प्रणाली

†*३७८. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० पू० नां० खां :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हेम राज :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में राजस्थान नहर परियोजना के लिए जिन लोगों की

---

†मूल अंग्रेजी में

जमीनें ली गई हैं उन्हें राजस्थान नहर के साथ-साथ दूसरी जमीन दी जायेगी;

(ख) भूमि अर्जन का कार्य पूरा करने में अधिकारियों को कितना समय लगेगा ; और

(ग) क्या राजस्थान नहर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बन जायेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) जी हां ।

(ख) जब तक राजस्थान नहर का काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक भूमि अर्जन का काम होता रहेगा ।

(ग) जी हां । परियोजना के लिए निधि की उपलब्धता पर ।

सोने का आयात

†*३७९. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री ओंकारलाल बैरवा :

क्या **वित्त** मंत्री ११ अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ८३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात संवर्द्धन कार्यक्रम के अनुसरण में, सोने के आभूषणों के निर्यात की योजना के अधीन सोने का आयात करने के लिये स्वर्ण नियंत्रण नियम तथा अन्य सम्बन्धित नियमों/आदेशों में इस बीच कोई संशोधन किया गया है ;

(ख) पुनरीक्षित योजना के अधीन चालू वर्ष में कितने सोने का आयात किये जाने तथा कितने सोने के आभूषणों का भारत से निर्यात किये जाने की संभावना है ; और

(ग) इन आभूषणों के मुख्य आयातकर्ता कौन हैं ?

†**वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) सोने के आभूषणों तथा सोने की वस्तुओं के निर्यात की नीचे लिखे अनुसार अनुमति दी जाती है । (क) सोने के आयात पर आभूषणों के निर्यात की रिजर्व बैंक की योजना (ख) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय द्वारा मई, १९६३ में घोषित चार योजनायें (ग) जरी निर्यात संवर्द्धन योजना । (घ) में उल्लिखित योजना में व्यवस्था के अनुसार फारस की घाटी से आयात किया जाने वाला सोने के लिए विशेष प्रयत्न रहेंगे । इस आयात किए गए सोने के भारत में आभूषण बनते रहेंगे तथा इस योजना के अधीन निर्यात के विरुद्ध आयात को प्रोत्साहित नहीं किया जायेगा । (ख) और (ग) में उल्लिखित निर्यात संवर्द्धन योजनाओं से भारतीय आभूषणों तथा हस्तशिल्प का निर्यात बढ़ाने तथा कुछ विशिष्ट मदों के आयात की अनुमति के रूप में प्रोत्साहन देने का विचार है । स्वर्ण नियंत्रण नियमों का संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है तथा इन योजनाओं की क्रियान्विति के लिए स्वर्ण बोर्ड के विशिष्ट आदेश नहीं दिए गए हैं परन्तु इन योजनाओं के अधीन सोने के आभूषणों तथा वस्तुओं का निर्यात करने वाले पंजीबद्ध निर्यातकर्त्ताओं के पक्ष में नियमों के अधीन विशेष छूट देने के प्रश्न पर आवेदनपत्र मिले, पर विचार किया जायेगा ।

(ख) और (ग) . भारत में सोना रिजर्व बैंक के अधीक्षण तथा नियंत्रण में योजनाओं के लिए अस्थाई तौर पर मंगाया जाता है क्या उसको आयात किया हुआ सोना नहीं माना जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्य योजनाओं के बारे में यह बताना संभव नहीं है कि सोने का कितना आयात किया जायेगा। इसका अनुमान लगाना भी संभव नहीं है कि चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न योजनाओं के अधीन कितने मूल्य का निर्यात होगा तथा कौन निर्यातकर्त्ता होंगे जो सोने का आयात करने की स्थिति में होंगे।

भारत सेवक समाज द्वारा निर्माण कार्य

†*३८०. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५६ से १९६२ तक की अवधि में भारत सेवक समाज की निर्माण सेवा द्वारा किये गये सरकारी निर्माण कार्यों के परिणामस्वरूप लगभग १.७ करोड़ रुपये की बचत हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो १९६३-६४ में भारत सेवक समाज द्वारा क्या नये कार्य किए जायेंगे ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** :(क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

फेफड़े का कैंसर

†*३८१. **श्रीमती विमला देवी :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री च० का० भट्टाचार्य :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में फेफड़े के कैंसर का रोग बढ़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) रोग की रोकथाम करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) वी० पी० चैस्ट इंस्टीट्यूट चित्तरंजन कैंसर अस्पताल तथा अणु शक्ति आयोग विभाग ने बताया है कि उनको गत दस वर्षों में फेफड़ों में कैंसर की घटनायें बढ़ गई हैं।

(ख) वृद्धि के संभावित कारण नीचे दिए जाते हैं :—

(१) रोग का पता लगाने के लिए उपलब्ध अधिक सुविधायें।

(२) रोग पकड़ने वाले का वर्ग में जनसंख्या का बढ़ जाना।

(३) औद्योगिक नगरों में, वातावरण में औद्योगिक गैस के कारण की तथा मोटर गाड़ियों द्वारा छोड़े गए धूवें के कारण वायु का दूषित हो जाना।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(४) गर्द भरी सड़कें तथा भारी यातायात ; और

(५) तम्बाकू पीने की वृद्धि ।

(ग) इस रोग की और जांच तथा अध्ययन की आवश्यकता है । अस्पतालों/संस्थाओं में रोग की पहचान तथा उपचार की उत्तम सुविधायें । केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो ने तम्बाकू पीने की बुराइयों का पता लगाने के लिये सामग्री बनाई है ।

भारत पाकिस्तान सीमा पर तस्कर व्यापार

†*३८२. **श्री सुबोध हंसदा :**
डा० पू० ना० खां :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पूर्व-पाकिस्तान सीमा पर चावल, पटसन आदि का तस्कर व्यापार रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ख) गत दो वर्षों में अब तक कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई तथा उन्हें दण्ड दिया गया ?

†**वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) तस्कर व्यापार को रोकने के लिये भारत-पूर्व-पाकिस्तान की सीमा के महत्वपूर्ण स्थानों पर सीमा शुल्क चौकियां स्थापित कर दी गई हैं । संदेहास्पद व्यक्तियों के कार्यों पर नियमित सतर्कता रखी जा रही है । सीमा पुलिस कर्मचारियों के सहयोग से प्रायः संदेहास्पद स्थानों पर नियंत्रण गश्त, रेलगाड़ियों, नावों तथा अन्य प्रकार के वाहनों की जांच की जाती है ।

(ख) १९६१-६२ में १३७ मामलों पर विचार हुआ था और इन मामलों में ६४ व्यक्ति सम्मिलित थ ।

सोने का भाव

†*३८३. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री बालकृष्ण वासनिक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण नियंत्रण आदेश लागू करने के बाद सोने का भाव बढ़ गया है ;

(ख) सोने का इस समय क्या भाव है ; और

(ग) भाव में वृद्धि रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) मूल्य घट-बढ़ रहे हैं तथा अगस्त, १९६२ के अन्त में प्रचलित १० ग्राम १२९ रुपये ९० नये पैसे से कम ही हैं ।

(ख) व्यापार में व्यापारियों को १४ कैरट १० ग्राम के सोने के मूल्य लगभग ६३ रुपये के लगभग हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) मूल्यों में वृद्धि अनिवार्यतः हुई है क्योंकि सोने का तस्कर व्यापार कम हो जाने से संभरण कम हो गया तथा बाजार में २२कैरट के आभूषण कम मिलने लगे। जब सोने की मांग कम हो जायेगी तो मूल्य और कम हो जायेंगे ।

दामोदर घाटी निगम तथा कोसी बांध

†*३८४. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री बदरुद्दुजा :
श्री न० प्र० यादव :
श्री ह० प० चटर्जी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दामोदर घाटी निगम तथा कोसी बांध को रेत जमा हो जाने से बचाने के लिए क्या सुरक्षात्मक कार्यवाही की गई है तथा क्या यह मालूम करने के लिये कोई जांच की गई है कि की गई कार्यवाहियां पर्याप्त हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) :** दामोदर घाटी निगम के जलाशयों तथा कोसी बांध को रेत जमा होने से बचाने के लिए निम्नलिखित कार्य किए गए हैं :—

१. दामोदर घाटी निगम :

(क) दामोदर घाटी निगम के चार बांधों अर्थात्, तिलैया, कोनार, माईथान तथा पांचेट के भांडार बनाये गये हैं ।

(ख) वन लगा कर, बांध निर्माण का तथा रेत जमा होने को रोकने के लिए ऊपरी घाटी में फार्मिंग के द्वारा भू-संरक्षण के कार्य किए गए हैं ।

इन कार्यवाहियों से जलाशयों में रेत बढ़ना कम हो जायेगा । दामोदर घाटी निगम के माईथान तथा पांचेट जलाशयों में रेत जमा होने का अध्ययन करने के लिये सर्वेक्षण कार्य किया गया है ।

२. कोसी :

(क) कोसी नदी तथा उस की सहायक नदियों के ऊपरी भाग में बांध का निर्माण करने के बारे में विचार किया जा रहा है । नेपाल में कोठार के निकट ऐसा बांध बनाने की जांच हो रही है ।

(ख) तलहटी में भू-संरक्षण कार्यों के आरम्भिक प्रयोग किए गए हैं ।

कोपिली जल विद्युत परियोजना

†*३८५. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री ११ अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ८२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोपिली जल विद्युत् परियोजना की कार्यान्विति की समस्याओं पर सलाह देने तथा बांध स्थान की जांच करने के लिए इस बीच अमरीकी विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इन विशेषज्ञों ने इस बीच मौके पर जांच करने के बाद अपनी राय दे दी है तथा यदि हां, तो उन का परामर्श क्या है ; और

(ग) परियोजना की कार्यान्विति में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) जी हां । दो विशेषज्ञ आमंत्रित किए गये थे ।

(ख) गत अप्रैल में एक विशेषज्ञ स्थान का दौरा करने गया था उस ने सुझाव दिया है कि वैकल्पिक बांध स्थान की और जांच तथा अध्ययन किया जाना चाहिए ।

(ग) जांच पूरी हो जाने के बाद तथा परियोजना प्रतिवेदन स्वीकार हो जाने के बाद परियोजना की क्रियान्विति हो सकती है ।

विद्युत जनन

†*३८६. **श्रीमती विमला देवी :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युत जनन के भावी संगठनात्मक ढांचे के बारे में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) और (ख) राज्य सरकार के परामर्श से समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है ।

एशियाई देशों के लिये प्रविधिक सहायता

†*३८७. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोलम्बो योजना आरम्भ होने के बाद से भारत ने कोलम्बो योजना के सदस्य देशों को दक्षिण तथा पूर्व एशिया क्षेत्र में सब से अधिक प्रविधिक सहायता दी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या तथा कितनी सहायता दी गई है और यह सहायता मुख्यत: किन-किन देशों को मिली है ?

†**वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी नहीं । कोलम्बो योजना के अन्तगत इस के अपने सदस्य देशों में से भारत ऐसा देश है जो सब से अधिक प्रविधिक सहायता दे रहा है ।

(ख) भारत ने प्रविधिक सहायता मुख्यत: प्रशिक्षण स्थानों तथा विशेषज्ञों के रूप में दी है जिस की धनराशि ३० जून १९६३ तक १·५२ करोड़ रुपये आती है। मुख्यत: नेपाल, लंका, फिलिपीन, थाईलैंड, बर्मा, इंडोनेशिया तथा मलाया को सहायता दी गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली विश्वविद्यालय के समीप नाला

†१११४. **श्री श्यामलाल सर्राफ :** क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सूचना मिल चुकी है कि एक गन्दा नाला दिल्ली विश्वविद्यालय प्रांगण के समीप से गुजरता है और उस के किनारों पर गन्दगी और गाद जमा रहती है ;

(ख) क्या इस क्षेत्र के इर्द गिर्द में तथा इस के बिल्कुल समीप अधिक शिक्षा संस्थायें बनाई जा रही हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किये जाने का विचार है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) से (ग) नजफगढ़ नाला दिल्ली विश्वविद्यालय प्रांगण पास से गुजरता है। बाढ़ नियंत्रण उपाय के तौर पर इसे चौड़ा और गहरा किया जा रहा है। नाला से मिट्टी निकाली जा रही है और कुछ स्थानों पर इस के किनारों को ऊंचा किया जा रहा है। किनारों से फालतू मिट्टी उठाई जा रही है। इन कामों को पूरा हो जाने पर, नाले में जल का प्रवाह तेज हो जायेगा। दिल्ली नगरपालिका निगम इस के बायें किनारे के साथ एक ट्रंक नाली बना रही है और इस से नाले में गन्दी कम हो जायेगी।

(ख) जी हां।

सरकारी क्षेत्र के उद्योग

†१११५. **श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२-६३ में सरकार क्षेत्र के उद्योगों में कोई वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) से (ग) विविध सरकारी क्षेत्रीय उद्योगों के १९६२-६३ के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे सामान्यतः ३० सितम्बर १९६३ तक पूरे हो जाते हैं। अतः अपेक्षित सूचना तभी प्राप्त होगी जब सरकार के पास सभी प्रतिवेदन आ जायेंगे।

राजस्थान में तापीय विद्युत् योजनायें

†१११६. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३–६४ में अब तक केन्द्र सरकार के पास राजस्थान सरकार ने कितनी तापीय बिजली योजनायें भेजी हैं ;

(ख) क्या उन की आवश्यक मंजूरी दे दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो उन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो, इस के क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव):** (क) से (घ) राजस्थान प्राधिकारियों ने

---

†मूल अंग्रेजी में

१९६३–६४ के लिये अपने प्रस्तावों में निम्न दो थर्मल बिजली घर योजनायें भेजी हैं :—

(१) १५०० लाख रुपये की अनुमानित लागत का पालाना थर्मल बिजलीघर;

(२) राणा प्रताप सागर में अणु शक्ति केन्द्र ।

उपरोक्त योजना (१) अभी तक राज्य की योजना में शामिल नहीं की गई क्योंकि यह अभी प्रारम्भिक स्थिति में है । योजना (२) योजना आयोग द्वारा स्वीकार कर ली गई है और कार्यान्वयन अधिकार अर्थात् अणु शक्ति आयोग को सूचित कर दिया गया है । इस बिजली घर की स्थापित क्षमता २०० मैगावाट होगी और लगभग ३४·१ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है । १९६८ में इसके पूर्ण होने की आशा है ।

राजस्थान में हैजा और प्लेग

†१११७. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में राजस्थान में हैजा और प्लेग को रोकने के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी जायेगी ; और

(ख) उक्त अवधि में राज्य में इन बीमारियों से क्रमश: कितनी मृत्यु हुई ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) कोई नहीं, क्योंकि इन योजनाओं को केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती ।

(ख) इस अवधि में राज्य में इन बीमारियों से किसी मृत्यु की सूचना प्राप्त नहीं हुई ।

दण्डकारण्य परियोजना के कर्मचारी

†१११८. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री २८ मार्च, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६० से १९६३ तक की अवधि में दण्डकारण्य परियोजना के कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई जांच शेष तीन मामलों में पूरी हो चुकी है और दण्ड दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना दण्डकारण्य प्रशासन से मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान में पीने का पानी

†१११९. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में अब तक राजस्थान की नगरपालिकाओं को पीने का पानी देने के लिये राज्य सरकार को केन्द्र ने कोई धन आवंटित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख) राज्य की तीसरी योजना में राष्ट्रीय जल संभरण और स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत नागरिक जल सम्भरण एवं स्वच्छता योजनाओं के लिये ५०० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। इन योजनाओं की क्रियान्विति के लिये राज्य सरकार को तीसरी योजना में अब तक ऋण के रूप में मंजूर की गई केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है :

१९६१–६२	४१·१६ लाख रुपये
१९६२–६३	६०·०० ,, ,,

राजस्थान में आयुर्वेद का विकास

†११२०. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना अवधि में राजस्थान में आयुर्वेद के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितना धन निर्धारित किया है, और

(ख) अब तक कितना धन खर्च किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) ७० लाख रुपये (योजना आवंटन)

(ख) १९६१–६२ ७,९८,००० रुपये (अनुमानित)

१९६३–६४ १०,००,००० रुपये (बजट उपकरण)

राजस्थान में गैर सरकारी संगठनों के लिये अनुदान

†११२१. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२-६३ और १९६३-६४ में अब तक राजस्थान में क्षय और कुष्ठ रोग, तथा फफोलों के इलाज के लिये केन्द्रीय सरकार की ओर से किन किन गैर-सरकारी संस्थाओं को अनुदान दिये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : इस अवधि में राजस्थान की इन स्वयंसेवी क्षय, कुष्ठ और अन्य चिकित्सा संस्थाओं के लिये मंजूर अनुदान दिये गये :

संस्था	वर्ष	उद्देश्य
(१) श्री कल्याण आरोग्य सदन (टी०बी० सैनेटोरियम), सीकर	१९६२–६३	क्षय चिकित्सालय और क्षय नियंत्रण कार्यक्रम आरम्भ करने के लिये।
	१९६२–६३	१०० एम. ए. एक्सरे रेकार्ड खरीदने के लिये।
(२) मदार यूनियन सैनेटोरियम, मदार, अजमेर	१९६२–६३	निर्धन क्षय रोगियों के लिये ४ पलंगों का आरक्षण।
	१९६३–६४	तदैव

गांवों में बिजली लगाना

†**११२२. श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, १९६३ तक राज्यवार गांवों में बिजली लगाने के लिये क्या प्रयत्न किये गये; और

(ख) किन किन राज्यों में अधिकतम गांवों में बिजली लगाई गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव)** : ग्रामीण बिजली के लिये तीसरी योजना में किये गये १०५ करोड़ की व्यवस्था में से २२·७९ करोड़ रुपये ऋण के रूप में योजना के पहले दो वर्षों में विविध राज्य सरकारों को इस प्रकार दिये गये हैं :—

राज्य	मंजूर ऋण की राशि (करोड़ रुपये)
आन्ध्र प्रदेश	२·४१
आसाम	·०४
बिहार	·७७
गुजरात	१·०८
केरल	·०९४
मध्य प्रदेश	२·३२
मद्रास	८·२०
महाराष्ट्र	१·५३
मैसूर	·४१
पंजाब	३·२६
राजस्थान	·२९
उत्तर प्रदेश	१·२४
पश्चिम बंगाल	·१०
उड़ीसा	·२०
योग	२२·७९

†मूल अंग्रेजी में

इन ऋणों पर, जिन के ऊपर रियायतें दी जाती हैं, पहले पांच वर्षों में केवल ब्याज दिया जाता है। उस के बाद ब्याज तथा मूल धन पच्चीस समान वार्षिक किश्तों में लौटाये जाते हैं।

ऋण राज्यों के प्रतिवेदनों के आधार पर मंजूर किये जाते हैं जो योजना आयोग द्वारा अनुमोदित योजनाओं संबंधी काम के बारे में होते हैं। ऐसे अनुमोदन की छानबीन का तरीका भी छोटा कर दिया गया है।

देशी सस्ते माल के उपयोग सुरक्षा तथा सेवा की कुशलता के अनुरूप निर्माण के निम्न स्तरों को अपनाने की सिफारिश ग्रामीण क्षेत्र में लाइनों के निर्णय के बारे में की गई है।

(ख) मद्रास, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मैसूर और आन्ध्र प्रदेश।

दण्डकारण्य परियोजना में औद्योगिक ऋण

†११२३. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दण्डकारण्य क्षेत्र में १९६३–६४ में अब तक विस्थापित व्यक्तियों को औद्योगिक ऋण में कुल कितनी रकम स्वीकृत की गई है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना):** १९६३-६४ में १७६ परिवारों की स्थापना में १९६३ में जुलाई के अन्त तक कुल ३६,४२६ रुपये के औद्योगिक ऋण स्वीकृत किये गये थे।

कावेरी डल्टा (मद्रास)

†११२४. **श्री वें० तेवर :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मैटूर जलाशय में जल की निम्न सतह की चिन्तनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैसूर राज्य में जल साधनों से जल संभरण बढ़ा कर मद्रास राज्य कावेरी डेल्टा में जल की कमी दूर करने के लिये (सिंचाई हेतु) केन्द्रीय सरकार कोई कदम उठाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० कु० ल० राव) :** (क) भारत सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ऋण पर ब्याज

†११२५. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहायता देने वाले देशों ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये ऋणों पर ब्याज की दर कम करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उस में कितनी कमी हुई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) किन किन देशों ने अब तक ब्याज की दर घटाने का निर्णय कर लिया है ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** :(क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—१५९७/६३]

बजीराबाद में पानी साफ करने का सन्यन्त्र

†११२६. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बजीराबाद में ४०० लाख गैलन पानी साफ करने का संयंत्र स्थापित करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि यह कार्य योजना और निर्धारित समय के अनुसार प्रगति नहीं कर रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(घ) गत वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के पिछले पांच महीनों में पृथक पृथक कितना खर्च हुआ है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) इस संयंत्र के लिये खुदाई कार्य १ जुलाई, १९६३ को प्रारम्भ हुआ था ।

(ख) और (ग). यह कार्य तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रारम्भ और सम्पन्न हुआ था । प्रारम्भ में कुछ देर हुई है किन्तु कारपोरेशन ने रिपोर्ट दी है कि यह कार्य १ अगस्त, १९६३ के पश्चात १८ महीनों में अर्थात फरवरी १९६५ तक पूरा हो जायेगा । यह तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में ही पूरा हो जावेगा ।

(घ) खर्च का ब्योरा इस प्रकार है :—

१९६२-६३ . .	रु० ४३८.७५ न० पै
१९६३-६४	३½ लाख रु०

रिक्शा चालन

†११२७. **श्री यशपाल सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजधानी में आदमी द्वारा खीचो जाने वाली रिक्शाओं के बढ़ने पर रोक लगाने का विचार कर रही है ; और

(ख) क्या इन रिक्शाओं का स्थान तीन पहिये वाली स्कूटर रिक्शायें लेंगी ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) (१) नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी के क्षेत्रों में समिति की उपविधियों के अधीन आदमी द्वारा चलायी जाने वाली रिक्शायें बंद कर दी गयी हैं ।

(२) नगर निगम क्षेत्र में आदमी द्वारा चलायी जाने वाली रिक्शाओं की संख्या धीरे धीरे घटायी जा रही है क्योंकि कोई नये लाइसेंस नहीं दिये जा रहे हैं ।

(ख) नगर निगम क्षेत्र में, दिल्ली राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा तैयार की गयी एक योजना, जिसके अधीन साइकिल रिक्शा चालक सहकारी समिति तथा साइकिल रिक्शा का लाइसेंस

†मूल अंग्रेजी में

वापस देने पर साइकिल रिक्शा चालक को स्कूटर रिक्शा का लाइसेंस मंजूर करने की व्यवस्था है, लाग है ।

इर्विन अस्पताल

११२८. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इर्विन अस्पताल में दवा लेने के लिये रोगियों को घण्टों खड़ा रहना पड़ता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि महिलाओं के लिए भी इस गर्मी में लाइन में खड़े रहना जरूरी होता है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ४–५ घण्टे तक लाइन में खड़े रहने के बाद भी महिला रोगियों को कई बार बिना दवा लिए घर लौटना पड़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : (क) भीड़ के समय रोगियों को लगभग २५ से ४० मिनट तक खड़ा रहना पड़ता है ।

(ख) जी नहीं । महिलाओं के लिए एक ढके हुये बरामदे में, जिस में बेंच और बिजली के पंखे लगे हुये हैं, अलग खिड़कियां हैं ।

(ग) ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं मिली है ।

(घ) औषधों और टिकियाओं को देने का काम विकेन्द्रित कर दिया गया है और वर्तमान तीन खिड़कियों के अतिरिक्त दो और खिड़कियां खोल दी गई हैं । रोगियों की सुविधा के लिए पंखों और बेंचों का प्रबंध किया गया है ।

बैंक लाकरों का परीक्षण

†११२९. **श्री रा० गि० दुबे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण नियंत्रण बोर्ड ने ऐसे अनुदेश जारी किये हैं कि संदेहयुक्त मामलों में बैंक के लाकरों की जांच की जायेगी :

(ख) यदि हां, क्या इस संबंध में कोई शिकायतें आयी हैं ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) जी नहीं । वाल्ट तथा लाकरों के तलाशी लेने की शक्ति भारत रक्षा नियम १२६ नल (२) तथा उस के अन्तर्गत जारी किये गये संगत अधिसूचना के अधीन केन्द्रीय उत्पादन विभाग के उप निरीक्षक के ऊपर के अधिकारियों को प्राप्त है तथापि केन्द्रीय सरकार ने यह अनुदेश जारी किये हैं कि शक्ति का दुरुपयोग न होने पावे ।

(ख) जी नहीं ।

रोगियों को दिये जाने के लिये रक्त

†११३०. **श्री रा० गि० दुबे :**
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अमेरिका की तरह भारत में भी रोगियों

---

†मूल अंग्रेजी में

को दिये जाने के प्रयोजन के लिये मृतकों से रक्त लेने के प्रयोग किये जा रहे हैं ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : जी नहीं ।

केरल में सिंचाई योजनायें

†११३१. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर : }

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र से यह अनुरोध किया है कि राज्य की कल्लाडा, चित्तुरपूजा और पावबा योजनाओं को पूर्ववर्तिता दी जाये ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने उक्त योजनाओं के लिये और अधिक राशियां देने को लिखा है; और

(ग) यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) केरल से कल्लाडा, चितुरपूजा और पावबा योजनाओं को पूर्ववर्तिता देने के लिये कोई अनुरोध नहीं किया गया है ।

(ख) केरल सरकार से यह आवेदन प्राप्त हुआ है कि १९६३–६४ के लिये तीसरी योजना के अधीन उक्त योजनाओं में अधिक व्यय करने के लिये अधिक राशियों की मांग की गयी है ।

(ग) केरल सरकार को यह उत्तर दिया गया है कि राज्य को उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए १९६३–६४ के लिये १६२ लाख रु० का उपबंध किया गया था जो कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित मूल उपबंध से ७ लाख रुपये अधिक है, नयी योजनाओं के लिये अतिरिक्त राशियां, राज्य के लिये अधिकतम निर्धारित राशि के अन्दर से ही प्राप्त करनी होंगी ।

चल एक्सरे एकक[1]

†११३२. { **श्रीमती विमला देवी :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य : }

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या चल एक्सरे एककों को स्थापित करने सम्बन्धी योजना में कुछ प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, अब तक कितने एकक स्थापित हो चुके हैं;

(ग) इन एककों द्वारा कितने व्यक्तियों की परीक्षा हो चुकी है; और

(घ) कितने मामलों का पता चला है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) ५ चल एक्सरे एककों की खरीद के आदेश संभरण तथा निपटान के महानिदेशक को दिये जा चुके हैं ।

(ख) अभी तक कोई एकक प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Mobile X-ray Units.

केरल में सिंचाई योजनायें

†११३३. { **श्री प० कुन्हन :**
श्री इम्बीचिबावा :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार के इस अनुरोध पर कि कंजीरपूजा सिंचाई योजना को तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाये, सरकार विचार कर चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या नतीजा निकला है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (श्री कु० ल० राव)** : (क) और (ख). कंजीरपूजा सिंचाई योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल है । राज्य सरकार से प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग विचार कर रहा है ।

रहने की इमारतों पर संधारण व्यय

†११३४. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रहने की इमारतों के संधारण में पिछले तीन वर्षों से वर्षवार सरकार द्वारा कितना व्यय किया गया;

(ख) मंत्रियों तथा सचिवों के रहने की इमारतों पर पृथक् पृथक् कितना व्यय होता है; और

(ग) मंत्रियों तथा सचिवों के रहने की इमारतों पर, सरकारी कर्मचारियों के रहने की इमारतों की तुलना में कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क), (ख) और (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है तथा उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

दिल्ली के लिये नये अस्पताल

†११३५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १६ अगस्त, १९६२ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ७६१ के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि तब से दिल्ली की वृहद् योजना के अधीन २० नये अस्पताल खुलने में क्या प्रगति हुई ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : अभी तक दिल्ली की वृहद् योजना के अधीन अस्पताल खोलने के लिये कोई भूमि नहीं दी गयी है ।

केन्द्रीय अनुसन्धान संस्था कसौली

†११३६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या कसौली इंस्टीट्यूट स्वावलम्बी हो गया है तथा विदेशी मुद्रा कमाने लगा है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : केन्द्रीय अनुसंधान संस्था कसौली को १९६२–६३ में वेक्सीन इत्यादि की बिक्री से ११.४५ लाख रुपये की आय हुई जब कि उसी अवधि में व्यय १२.२६ लाख रुपये हुआ । संस्था ने कुछ देशों को सीरम और वेक्सीन भेजा जहां से उसे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय विद्युत बोर्ड

†११३७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत् बोर्ड ने २३ मई, १९६३ को शिमला में निश्चित किया है कि जीवन-हानि को बचाने के लिये सभी नये विद्युत् संस्थापनों में तीन पिनों वाले प्लेग लगेंगे; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना किस प्रकार क्रियान्वित की जायेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हा० कु० ल० राव)** : (क) और (ख). केन्द्रीय विद्युत् बोर्ड ने २१ से २४ मई, १९६३ को हुई अन्तिम बैठक में भारतीय विद्युत् नियम १९५६ के नियम ६१(३) के संशोधन करने का प्रस्ताव किया । जिससे कि कम वाल्ट के नये विद्युत् कनक्शनों में तीन पिनों वाली प्लग का उपयोग करना अनिवार्य हो गया है । यह भी सुझाव दिया गया कि बिजली के वर्तमान कनक्शनों को पांच वर्ष की अवधि में बदल कर तीन पिन वाले कर दिया जाये । तीसरी पिन स्थायी रूप से तथा अच्छी तरह जमीन में गाड़ी जाये । बोर्ड द्वारा नियमों में तथा अन्य संशोधनों को जनता की राय जानने के लिये पहिले प्रचारित कर दिया जायेगा । बोर्ड, प्राप्त आलोचनाओं के आधार पर अपने आगामी बैठक में, उन्हें लागू करने के पहिले विचार करेगा । लागू होने के बाद इस नियम का उल्लंघन करने पर उसे नियम १४१ के अधीन ३०० रु० तक दंड देना होगा ।

गांव के सुनारों के लिये लाइसेंस शुल्क

†११३८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण नियंत्रण बोर्ड ने गांव के सुनारों के लिये लाइसेंस शुल्क कम करने के सम्बन्ध में अन्तिम निश्चय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो शुल्क में कितनी कमी होगी ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). प्रश्न विचाराधीन है ।

शराबी

११३९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २५ अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि दिल्ली के इर्विन अस्पताल में कुछ समय पहिले शराब पीने वालों की आदत छुड़ाने के प्रयोजन से जो विशेष केन्द्र खोला गया था, उसे अब तक कितनी सफलता मिली है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : व्यसन-मुक्ति बहिरंग-रोगी क्लिनिक लगभग ६ महीने से चालू है । यह सप्ताह में एक बार काम करता है । अब तक ८ शराबियों का इलाज किया जा चुका है । यह इलाज सलाह देने तथा उपयुक्त औषधियां देने तक ही सीमित है । सम्बद्ध व्यक्तित्व विकार के रोगियों को अस्पताल के मनश्चिकित्सा विभाग में भेजा जाता है । अनुपरीक्षण कार्य तथा अस्पताल द्वारा की जाने वाली सेवा की लोकप्रियता नशाबन्दी समिति जैसे सामाजिक संगठनों पर निर्भर करती है, जो सामान्यतया रोगियों को इस अस्पताल में भेजते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चिकित्सा शिक्षा का विकास

†११४०. **श्री हेडा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को चिकित्सा शिक्षा के विकास के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी है;

(ख) प्रत्येक राज्य का लक्ष्य क्या है;

(ग) हमारी मांगें क्या हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). तीसरी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना में नये मैडिकल कालेज खोलने तथा वर्तमान कालेजों का विकास करने की योजना शामिल की गयी है तथा निम्नलिखित रूपरेखा के अनुसार केन्द्रीय सहायता दी जा रही है ।

(१) अनावर्त्ती (इमारतें और उपकरण)—७५ प्रतिशत २५,५०० रु० तक उपकरणों के लिये । पुराने और नये कालेजों के लिये क्रमश: २५,००० रु० तथा ३७,५०० रु० प्रति विद्यार्थी के हिसाब से ।

(२) आवर्त्ती, ५० प्रतिशत, अधिकतम ४००० रु० प्रति विद्यार्थी के हिसाब से ।

केन्द्रीय सहायता विहित प्रक्रिया के अनुसार ही दी जाती है । प्रत्येक राज्य में डाक्टरी कालेजों के विकास के लिये कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है । राज्य सरकारें स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति की सिफारिशों के अनुसार काम करेंगी । राज्य सरकारों को अपने संसाधनों के अनुसार, भारतीय डाक्टरी परिषद् तथा संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा विहित मापदंडों के अनुसार अपने मैडीकल कालेजों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने तथा उन्हें अतिरिक्त सुविधायें प्रदान करने और इसके लिये केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।

(ग) तथा (घ). तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य ८१,००० है । तथापि हमारी मांगें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं । तथा हमें लक्ष्यों में संशोधन करना है ।

देश में डाक्टरों की संख्या बढ़ाने तथा प्रतिरक्षा की मांगों को पूरा करने के लिये, भारत सरकार ने भी राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया है कि वे मैडीकल कालेजों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ायें तथा इस प्रयोजन के लिये निम्न रूपरेखा के अनुसार सहायता दी जायेगी :—

१. अनावर्त्ती	१५,००० रु० प्रति व्यक्ति
२. आवर्त्ती	२००० रु० प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष

यह निश्चय किया गया है कि विस्तार कार्यक्रम को केन्द्रीय योजना के रूप में लिया जायेगा । इस योजना के अन्तर्गत जो केन्द्रीय सहायता दी जायेगी वह राज्य को मिलने वाली अधिकतम सहायता से बाहर होगी । यह आशा की जाती है कि हम इस योजना के अन्दर तीसरी योजना के अवशेष वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या में २००० से ३००० तक वृद्धि होगी । १९६३–६४ के दौरान १९६४ अतिरिक्त विद्यार्थी भरती किये गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के लिये रक्तदान

†११४१. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के लिये १९६३–६४ के दौरान उत्तर प्रदेश से कितना रक्त जमा किया गया ; और

(ख) १९६३-६४ के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने व्यक्तियों का नाम अब तक रक्तदान के लिये दर्ज कर लिया गया है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) उत्तर प्रदेश में १-४-६३ से ३०-६-६३ तक २९,४०० सी० सी० रक्त जमा किया गया ।

(ख) उस अवधि में ३,४२८ व्यक्तियों ने रक्त देने के लिये अपने नाम दर्ज करवाये ।

दिल्ली में बिक्री-कर के लिये पंजीयन

११४२. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के बिक्री-कर विभाग ने १९६२-६३ में पंजीयन के सम्बन्ध में क्या प्रगति की है; और

(ख) १९६१-६२ की अपेक्षा यह प्रगति कैसी है ?

वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के कुल २७१० आवेदन पत्रों में से १९६२-६३ में २३१९ आवेदन-पत्र निबटा दिये गये ।

(ख) १९६१-६२ और १९६२-६३ में पंजीयन के जितने आवेदन-पत्र निबटाये गये उनके तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

वर्ष	पहली अप्रैल को बाकी आवेदन-पत्र	वर्ष में प्राप्त आवेदन-पत्र	जोड़	वर्षमें निबटाये गये आवेदन-पत्र	शेष
१९६१–६२ .	२३४	२३४३	२५७७	२३०८	२६९
१९६२–६३ .	२६९	२४४१	२७१०	२३१९	३९१

बिक्री कर सम्बन्धी अपीलें

११४३. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में बिक्री-कर सम्बन्धी कुल कितनी अपीलें ३१ मार्च, १९६३ तक विचाराधीन थीं ; और

(ख) उन का निपटारा कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) ८२७ ।

(ख) जुलाई १९६३ के अंत तक उनमें से ६९८ अपीलें निबटा दी गयीं । बाकी १२९ अपीलों में से १०० अपीलें अगस्त और सितम्बर महीने में निबटाने के लिए रख दी गयी हैं और सम्भव है कि इन का निबटारा इन महीनों में हो जायगा । बाकी २९ अपीलों को निबटाने का प्रबन्ध अभी

†मूल अंग्रेजी में

नहीं किया गया है क्योंकि उनमें जिन प्रश्नों का ज़िक्र है वे अदालतों में उठाये गये हैं और अदालतों के फैसलों का इन्तज़ार किया जा रहा है ।

समवायों द्वारा पूंजी का जारी किया गया

†११४४. **श्री इराम लाल सर्राफ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वाणिज्यिक तथा औद्योगिक एककों को १९६२–६३ में कुल कितनी पूंजी एकत्र करने का अधिकार दिया गया ;

(ख) ऐसे एककों की क्या संख्या है जिन्हें वर्तमान व्यापार के प्रसार के लिये और पूंजी की आवश्यकता है ; तथा

(ग) ऐसे एककों की संख्या तथा वे किस किस्म का व्यापार तथा उद्योग करते हैं ?

†वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार ने १९६२–६३ में वाणिज्यिक तथा औद्योगिक एककों को ४०८१६.४८ लाख रुपये की पूंजी एकत्र करने का प्राधिकार दिया ।

(ख) जिन समवायों को वर्तमान व्यापार की वृद्धि के लिये पूंजी की आवश्यकता है उन की संख्या १८६ है । जो कम्पनियां नयी पूंजी एकत्र कर के आरम्भ की जाने वाली थीं उन की संख्या १३१ है ।

(ग) एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १५९८/६३]

जब्त किये गये स्वर्ण आभूषण

†११४५. **श्री इराम लाल सर्राफ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून १९६३ के आरम्भ में आसाम में जोरहाट की एक दुकान से १४ कैरेट से अधिक के १०० तोले से ऊपर आभूषण जब्त किये गये ;

(ख) क्या उस दुकान का मालिक पाकिस्तानी नागरिक था ?

†वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) ६–६–१९६३ को जोरहाट के एक व्यापारी की दूकान से १०२१.३७४ ग्राम स्वर्णाभूषण और ३२९.६२४ ग्राम बिना गढ़ा हुआ सोना जब्त किया गया ।

(ख) जी हां । किन्तु उस के पूर्व इतिहास की जांच की जा रही है तथा मामला शिवसागर के सुपरिंटेंडेंट पुलिस को सौंपा गया है ।

करों की बकाया रकम

११४६. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में ३१ मार्च १९६१ तक के आयकर, धन कर तथा उपहार कर की बकाया रकम पूरी वसूल हो चुकी है ;

(ख) यदि नहीं ; १ अप्रैल १९६२ को इन तीनों मदों में पृथक् पृथक् कितनी राशि थी ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने बकाया राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं। अभी कुछ राशि बकाया है।

	हजार रुपये
(ख) आयकर . . .	५२,२४७
धनकर	४३३
उपहारकर	८

(ग) उक्त अधिनियमों में जिन बातों की व्यवस्था है उन के अनुसार बकाया राशि वसूली के यथाशक्ति प्रयत्न किये जा रहे हैं।

आन्ध्र प्रदेश में तापीय विद्युत् केन्द्र

†११४७. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक गैर-सरकारी दल ने आंध्र प्रदेश सरकार के लिये एक २,००० एम० वी० तापीय विद्युत् केन्द्र बनाने के बारे में इच्छा प्रकट की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) जी हां।

(ख) अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया।

राष्ट्रीय जल-सम्भरण तथा स्वच्छता समिति

†११४८. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या स्वास्थ्य मंत्री ९ नवम्बर, १९६२ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल-संभरण तथा स्वच्छता समिति की सिफारिशों पर सभी राज्यों द्वारा इस बीच में विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस से ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों की जल समस्या का कहां तक समाधान हुआ है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)** :(क) तथा (ख) मांगी गयी जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १५९९/६३]

दिल्ली में तपेदिक की रोकथाम

†११४९. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या स्वास्थ्य मंत्री २२ नवम्बर १९६२ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ३२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या दिल्ली क्षेत्र में तपेदिक की रोकथाम के लिये अग्रिम परियोजना को तैयार कर के

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकार द्वारा अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

†स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर): (क) तथा (ख). दिल्ली क्षेत्र में तपेदिक की रोक-थाम सम्बन्धी अग्रिम परियोजना अभी विचाराधीन है ।

शरवती जल-विद्युत् परियोजना

†११५०. { श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री २२ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ९२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि शरबती जल-विद्युत् परियोजना सम्बन्धी कार्य के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : परियोजना सम्बन्धी विभिन्न कार्यों सम्बन्धी स्थिति निम्न प्रकार है :—

१. **लिंगनमक्की बांध**: बांध के चुनाई भाग में चुनाई, सिवाय स्पिलवे भाग में ७०० फुट की लम्बाई के जहां स्तर आर० एल० १७०० तक पहुंच चुका है समूची लम्बाई में आखिर के पहले प्रक्रम तक आर०एल० १८०५ तक हा चुकी है। बांध के मिट्टी तथा रोड़ी से भरे जाने वाले भाग के स्तर को आर० एल० १७७५ तक उठा दिया गया है ।

२. **तालकलाल बांध** : चुनाई बांध की समूची लम्बई में अन्तिम स्तर आर० एल० १७०५ तक कर दी गयी है, सिवाय १२० फुट की लम्बाई के यहां स्तर आर० एल० १६९९ तक पहुंच चुका है ।

३. **विद्युत चैनल** : कुल मात्रा के ८४ प्रतिशत को सीमेंट से पक्का करने का काम पूरा हो चुका है ।

४. **सुरंगें** :

(क) **मलाली सुरंग** : सीमेंट से पक्का करने का काम पूरा हो चुका है ।

(ख) **वोडनबाईल प्रशर सुरंग** : सुरंग संख्या १ के लिये ३,२०० फुट तक की लम्बाई को सीमेंट से पक्का करने का काम पूरा हो चुका है । सुरंग संख्या २ के लिये यह काम हो रहा है ।

५. **बिजली सम्बन्धी कार्य** : एकक संख्या १ की नीवों के लिये कंक्रीटिंग कार्य पूरा हो चुका है। प्रथम टरबाइन के निर्माण सम्बन्धी कार्य में अच्छी प्रगति हो रही है और इसके मार्च, १९६४ तक पूरा हो जाने की सम्भावना है एकक संख्या २ की नींव का कंक्रीटिंग कार्य हो रहा है ।

इस्पात की कमी, मशीनरी और सामान के आयात में विलम्ब, तथागत मानसून में हुए भूमि-खिसकन के कारणों से परियोजना निश्चित समय पर चालू नहीं हो सकी । आशा है कि प्रथम प्रक्रम के दो एकक वर्ष १९६४–६५ में चालू हो जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

उपरि कृष्णा परियोजना

†११५१. { **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री २२ मई, १९६२ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या १७१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपरि कृष्णा परियोजना को तृतीय योजना में सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) तथा (ख). जी हां, उपरि कृष्णा परियोजना प्रक्रम १ के बारे में केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा सामान्य तकनीकी सर्वेक्षण तथा परिनिरीक्षण होने पर निर्णय ले लिया जायगा। परियोजना प्रतिवदन हाल ही में प्रकट हुआ है। प्रक्रम १ में अलामाक्षी बांध के प्रथम प्रक्रम तक निर्माण, नारायणपुर बांध का ७८ फुट ऊंचाई तक, दरवाजों सहित, निर्माण, तथा आयाकट के लिये ५.३ लाख को सिंचाई व्यवस्था, शामिल हैं।

तवा बहुप्रयोजनीय योजना

†११५२. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तवा बहुप्रयोजनीय परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये मध्य प्रदेश की सरकार ने अतिरिक्त निधियों की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार की मांग पर विचार किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) तथा (ख) : तवा बहुप्रयोजनीय परियोजना के लिये राज्य सरकार के अतिरिक्त निधियों के अनुरोध पर योजना आयोग के परामर्श से विचार किया गया था परन्तु संसाधनों के अभाव में, विशेषतया आयात के प्रसंग में, उस को स्वीकार नहीं किया जा सका।

जापान से सहायता

†११५३. **श्री राम रत्न गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान से सहायता सम्बन्धी वार्ता के लिये जून-जुलाई, १९६३ की अवधि में कोई सरकारी कर्मचारी वहां गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधि-मंडल की यात्रा का क्या परिणाम निकला ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) तथा (ख). जी, हां। जापान ने भारत सहायता संस्था की पिछली बैठक में, जो ७ अगस्त १९६३ को समाप्त हुई, वर्ष १९६३–६४ के लिये भारत की सहायतार्थ येन में, ६५० लाख डालर (३०.९५ करोड़ रुपये) के बराबर, ऋण देने की बात कही थी। ऋण के निबन्धन और शर्तों के बारे में शीघ्र ही बातचीत की जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

तो क्या होगा ? आज जरूरत इस बात की है कि इस पालिसी की ओवरहालिंग की जाय, इस पालिसी को बदला जाय । यह हमारे प्रचार का साधन है । आज जिस तरह से रूस ने अपने रेडियो से दुनिया को और अपनी जनता को ट्रैक्टर की ट्रेनिंग दी, राइफल की ट्रेनिंग दी, युद्ध की ट्रेनिंग दी, अन्नोत्पादन की ट्रेनिंग दी, उसी प्रकार से हमारे माननीय मंत्री जी भी कर सकते हैं । जितना समय हमारे माननीय मंत्री जी को मुझे समझाने में लगता है, डांटने में लगता है उतना समय वे आल इंडिया रेडियो के सुधार में लगायें तो इस देश का बच्चा बच्चा पत्थर की तरह से, लोहे की तरह से लौहपुरुष बन सकता है, लेकिन इस के लिये आप को काम करना पड़ेगा ।

मैं आप को आज की बात बतलाऊं । सुबह मेरे पास एक ठाकुर साहब आ गये, बहुत बड़े, बहुत तगड़े । मेरे पिता के साथी थे, मैं उन की गोदी खेला हुआ था, मैं उन का पाला हुआ था । सवरे आ कर मुझ से नाराज होने लगे । मैं ने कहा आप नाराज क्यों होते हैं ? आप मझे बतलाइये, अगर मैं आप की आज्ञा से न चलू तो आप नाराज हों । मैं ने उन से पूछा कि आखिर क्या बात है और वे क्यों मुझ से नाराज हो रहे हैं । ठाकुर साहब ने कहा कि बात पर तो दुनिया नाराज हो जाय, लेकिन ठाकुर तो वह है जो बगैर बात के ही नाराज हो जाय । मैं मंत्री महोदय से दख्वास्त करूगा कि जितना समय वह हमें डांटने में लगाते हैं उतना समय व आल इंडिया रेडियो की पालिसी को बदलने में लगायें तो यह देश लोहे का देश बन जायेगा ? यह गुरु गोविन्द सिंह की भूमि है—महाराणा प्रताप की भूमि है, यहां भूषण की जरूरत है, यहां कविवर तुलसीदास की जरूरत है, बाल्मीकि की जरूरत है । यहां पर कोई गीता के कृष्ण का पुजारी पैदा हो इस बात की जरूरत है ।

मैं आप से पूछता हूं कि इतनी रिकमेन्डेशन्स की गई थीं इन में से कितनी रिकमेन्डेशन्स ऐसी हैं जिन के ऊपर आप ने अमल किया ? श्री प्रकाश जी खुद कहते हैं कि मैं तो ७५ वर्ष का बूढ़ा हो गया हूं, ७५ साल की उम्र में मेरी एनर्जी थक गई है, लेकिन हमारी सरकार कहती है कि नहीं, आल इंडिया रेडियो के लिये जो सिफारिशें हुई हैं उन को इम्प्लिमेंट करने के लिये श्री श्रीप्रकाश आयेंगे । वह कहते हैं कि मैं इनवैलिड हूं, वह कहते हैं कि मैं जर्जर हो गया हूं, मैं वृद्धावस्था में हूं, और सरकार यह कहती है मानो न मानो, तुम्हें यह काम करना पड़ेगा । जरूरत इस बात की है कि इस पालिसी को बदला जाय । अगर आप कहें कि देश इस के बगैर उन्नति कर सकेगा तो मैं कहना चाहता हूं कि वह हर्गिज इस काम में उन्नति नहीं कर सकता । आल इंडिया रेडियो के महकमे के लिये सब से बड़ी जरूरत इस बात की है । अगर इस रेडियो पालिसी को आप नहीं बदलते तो अंग्रेजी के जो भी शब्द हमारी जबान में आते हैं वे हमारी भाषा को भ्रष्ट करने के लिये आते हैं । अंग्रेजी जहां भी गई, उस मुल्क की आजादी को खत्म करने के लिये गई । जो जबान बोसीदा हो चुकी है, जिस जबान को कान पकड़ कर इजराईल निकालता है, जिसे कान पकड़ कर दूसरे मुल्क निकालते हैं वह अंग्रजी जबान हमारी इस भाषा पर लादी जा रही है । आप से मेरा निवेदन यह है कि आज से आल इंडिया रेडियो की पालिसी को बदला जाय ।

अगर मैं भूलता नहीं हूं तो पिछले महीने की २९ तारीख थी, या उस से एक दो दिन पहले बाद में हो सकती है, मैं बैठा हुआ शाम को रेडियो सुन रहा था । वहां से को प्रवचनकर्ता बोल रहे थे । मुझे शर्म आई उस को सुन कर । मैं ने दस मिनट तक उन ई भाषण को सुना, मालूम होता था जैसे कोके दर्जा चार का लड़का पढ़ रहा हो । शायद उन को चश्मे से दिखलाई न देता हो, इसलिये नाक से लगा कर पढ़ रहे थे, अटक अटक कर के । हमारी भाषा का इस प्रकार से इतना

[श्री यशपाल सिंह]

पतन हो चुका है कि जो लोग आते हैं वे सिफारिशों के बेटे हैं, जो लोग आते हैं बोलने के लिये वे सिफारिश ले कर आते हैं। अधिकारी लोग नहीं आते। आज ऐसी भाषा की जरूरत है जो भूषण ने दी थी, जो गीताकार भगवान कृष्ण ने दी थी। आप इस काम को कर सकते हैं। आप भगवान राम के वंश से हैं, उन के वंशज हैं। भगवान राम की यह तारीफ थी कि :

"रामोद्विर्नवंविभाषते"

राम जो कुछ कह लेते हैं उस से पीछे नहीं हटते हैं। आप ने यह बादा किया है कि आप आये हैं तो आप हिन्दी की सेवा करेंगे, आप ने वादा किया है कि आप राष्ट्र का निर्माण करेंगे। मैं पूछता हूं कि क्या यही भाषा राष्ट्र का निर्माण करेगी जिस का आप उपयोग करते हैं ? मैं आप से साफ कहता हूं कि आज अय्याशी के गाने या शृंगार रस के गाने देश को ऊपर नहीं उठा सकते। महाकवि के अनुसार मुझे याद आता है कि आज वह समय है कि :

"विभुक्षितैः व्याकरणं न भुज्यते
पिपासतैः काव्य रसो न पीयते।"

आज जरूरत इस बात की है कि देश के अन्दर एक ठोस आवाज पैदा की जाय, देश के अन्दर मारने और मिटने की भावना पैदा की जाय। जब नेगोशियेशन्स की बात कही जाती है, जब परसुएशन की बात कही जाती है, जब मैं आल इंडिया रेडियो खोल कर बैठता हूं और लेक्चर सुनता हूं नेगोशिएशन, परसुएशन और एसोसिएशन के, तो मैं एक दम समझ लेता हूं कि देश की खुद्दारी को बेचा जा रहा है, देश के आत्मसम्मान के साथ धोखा किया जा रहा है। देश अगर उठेगा तो नैगोशिएशन से नहीं उठेगा, देश अगर उठेगा तो परसुएशन से नहीं उठेगा, देश अगर उठेगा तो एसोसिएशन से नहीं उठेगा। देश **टिट फार टैट** मांगता है, देश **ब्लड फार ब्लड** मांगता है, देश **इन्जरी फार इन्जरी** मांगता है। देश अपमान का बदला लेना चाहता है, देश हर्गिज इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज अगर कोई कहते हैं कि बातों से मसला हल करेंगे तो वे बातों से मसला हल नहीं करना चाहते, वे देश के अभिमान को बेचना चाहते हैं। मुझे याद है कि अपने जमाने के सब से बड़े आदमी प्रिंस बिसमार्क ने लिखा था :

"Not by parliamentary speeches or majority votes are the mighty questions of State solved but through a policy of blood and iron."

एक तरफ देश की २६ हजार मुरब्बा मील जमीन दुश्मन के कब्जे में है, एक तरफ हमारे नौजवानों को, महाराणा प्रताप और गुरु गोविन्द सिंह की औलादों को, निहत्था करके मरवाया जाता है, और दूसरी तरफ एयाशी के गाने सुनाये जा रहे हैं। इस पालिसी को बिल्कुल बदलना होगा अगर आप को देश को उसका आत्मसम्मान वापस दिलाना है। मैं आप को बतलाऊं कि मेरे भतीजे विक्रम सिंह को चीनियों ने कुल्हाड़ों से तीन टुकड़ों में काटा और उसका खून पिया। हमारे दिल से पूछिये जिन के लाल गये हैं कि क्या हम को आल इंडिया रेडियो से ये शृंगार रस के गाने अच्छे, लगते हैं। ये एयाशी के गाने अच्छे लगते हैं, ये अश्लील गाने अच्छे लगते हैं ? हरगिज अच्छे नहीं लगते, आज आप को केवल वीरता के गाने प्रसारित करने चाहिऐ।

Dr. Sarojini Mahishi (Dharwar North): Sir, on a point of order. Is the half-an-hour discussion on the language of AIR or with reference to the contents of the programmes?

श्री यशपाल सिंह : माननीया महोदया, अभी तो दस मिनट हुए हैं, अभी बीस मिनट और बाकी हैं।

मैं बड़े अदब से अपने मिनिस्टर साहब से निवेदन करना हूं कि जो आज शृंगार रस के गाने सुनाये जाते हैं उन को बन्द करायें। जिन लोगों को ऐसे गाने सुनने हों, उन के लिए बहुत ज्यादा घर खुले हैं, वे वहां जा कर उन को सुन सकते हैं। हमें तो आज देश के गिरते हुए चरित्र को उठाना है, देश की गिरती हुई भावनाओं को उठाने के लिए आज वीरता के गानों की जरूरत है, आज देश के आत्म-सम्मान की रक्षा के लिए, देश के उत्थान के लिए वीरता की जरूरत है, आज एयाशियाने गानों की जरूरत नहीं है।

नशा पिला के गिराना तो सब को आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को उठाये साकी।

आज जरूरत इस बात की है कि जो देश का अपमान हुआ है, जो देश की पराजय हुई है उस पराजय के कलंक को धोया जाये। आज देश की ४४ करोड़ जनता में आत्मसम्मान की भावना भरनी चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि जहां धर्म करने वाले पहुंचते हैं, जहां इबादत करने वाले पहुंचते हैं, जहां बन्दगी करने वाले पहुंचते हैं उसी स्वर्ग में धर्म युद्ध में मरने वाल वीर भी पहुंचते हैं।

तो मेरा निवेदन है कि आज आल इंडिया रेडियो की भाषा नीति में सुधार की नहीं बल्कि आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, उसकी नीति को अलिफ से लेकर ये तक बदलना पड़ेगा।

प्रातःकाल के समय उठने का समय होता है, सायंकाल को सोने का समय होता है। अगर आप को देश की रक्षा करनी है तो देश की भावना को बदलना पड़ेगा। मैं आप से पूछता हूं कि आप मुझे कोई भी ऐसा देश बतायें जहां कि राष्ट्र गीत सोते हुओं को सुनाया जाता हो। लेकिन हमारे आल इंडिया रेडियो से "जन मन गण" सोते वक्त गाया जाता है। संसार में राष्ट्र गीत सोतों को जगाने के लिए सुनाया जाता है, लेकिन इस अभागे देश में राष्ट्र गीत गाया जाता है लोगों को सुलाने के लिए, यह गीत उस समय बजाया जाता है जब सोने का समय होता है। मेरा कहना है कि राष्ट्र गीत के समय को बदला जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप खत्म करें।

श्री यशपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह एक सच्चे क्षत्रिय की तरह से, एक सच्चे योद्धा की तरह से, एक सच्चे नेता की तरह से मैदान में आवें और आल इंडिया रेडियो की भाषा नीति को बदलें, और ऐसी व्यवस्था करें कि आल इंडिया रेडियो से देश भक्ति के और वीरता उपदेश दिये जायें और शुद्ध मातृभाषा का उपयोग किया जाये और अंग्रेजी भाषा के गन्दे शब्द ले कर हमारी भाषा को नापाक न किया जाये।

Mr. Deputy-Speaker: Shri D. C. Sharma. Only those persons who have given previous notice will be permitted to ask questions. Shri Sharma has given notice. So, he can ask a question.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): I will ask one question. What is the average time per day given by the All India Radio so far as the emergency situation is concerned? What was the time given when the emergency began and what is the time given now?

Shri Bhakt Darshan *rose*—

Mr. Deputy-Speaker: No further questions. It is not permissible. The rules are very strict.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के इंचार्ज मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने माननीय सदस्य का भाषण, जिन के नाम से यह विवाद रखा गया था, बड़े गौर से सुना। उन्होंने जो कुछ कहा वह

[श्री सत्यनारायण सिंह]

तो श्री प्रकाशवीर शास्त्री जी के भाषण से मिलता जुलता था, रेडियो से तो शायद उसका सम्बन्ध कम ही रहा । ये बातें तो माननीय सदस्य नेफा रिपोर्ट पर बोलते समय कह सकते थे। उन के मोशन से तो मैं यह समझा था कि रेडियो पर जो हिन्दी इस्तेमाल की जाती है उस के बारे में कुछ कहेंगे । जो बातें उन्होंने कहीं उन से लगता है कि वह या तो रेडियो को ठीक से सुनते नहीं या केवल रात को ही सुनते हैं, या एसे वक्त ही सुनते हैं जिस वक्त कि शृगार रस के गाने ही आते हों ।

पहले क्या होता था यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन आजकल सुबह राष्ट्र गान होता है । जबय इमरजेंसी शुरू हुई ह तब से कोई दस ग्यारह महीने से एक कमेटी की राय से रेडियो का प्रोग्राम रखा जाता है और उस कमेटी में दोनों सदनों के सभी दलों के सदस्य शामिल हैं । उस कमेटी में कम्युनिस्ट भाई भी हैं और अन्य दलों के सदस्य भी हैं । और उन की सब की यह राय है कि इमरजेंसी के बाद से जो इन दस महीनों में रेडियो का प्रोग्राम आता है वह बहुत अच्छा है । मैं भी कभी कभी रेड़ियो सुनता हूं । जैसे ही शहनाई गजना बन्द होता है राष्ट्रीय गगीत गाया जाता है । जो सुनते होंग उन को इस का पता होगा । किसी दिन एसा नहीं होता कि प्रार्थना के शुरू होने से पहल या जो अंग्रेजी बुलेटिन पांच मिनट का होता है, उसके पहले राष्ट्र गीत न बजाया जाता हो । उसके बाद प्रार्थना होती है । उस में हमने कभी कोई अश्लील गाना नहीं सुना । आध घंट या ४० मिनट तक यह कार्यक्रम होता है ।

जो जय भारती प्रोग्राम होता है उस को आप देखें । उस में वेद से, पुराण से, और अन्य ग्रन्थों से वीर गाथाएं दी जाती हैं । आज ही मैं सुन रहा था उस में अर्जुन का और श्री कृष्ण का सम्वाद आ रहा था जिस में अर्जुन से कहा जाता है :

युद्धस्व कृत निश्चयः

अर्जुन से कहा जाता है कि तू क्यों डरता है । युद्ध कर । वेद से वीरता की कथाएं आती हैं । मुझे पता नहीं था कि वेद में भी ऐसी चीजें हैं । इस प्रोग्राम में वेदों की ऋचाएं सुनायी जाती हैं । उस में एक बात मैं ने सुनी जो कि आज के युग में भी कितनी लागू होती है । उस में सुनाया गया कि पीले रंग के लोगों से बहुत होशियार रहना चाहिए । मुझे यह सुन कर आश्चर्य हुआ कि आज से चार पांच हजार वर्ष पहले भी लोगों की यह धारणा थी । मैं चाहता हूं कि वहां से ला कर वह ऋचा आप लोगों को सुनाऊं । उस में दिया गया है कि ऐसे दुश्मन की जीभ काट देनी जाहिए । उस के कान काट देने चाहिए ।

श्री यशपाल सिंह : भाई भाई नहीं करना चाहिए ।

श्री सत्यनारायण सिंह : तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वेदों से इस प्रकार की ऋचाएं उस प्रोग्राम में सुनायी जाती हैं, शास्त्रों से, तुलसीदास की रामायण से वीरता के प्रसंग उस में सुनाये जाते हैं । मैं समझता हूं कि यह कहना अनुचित है कि आल इंडिया रेडियो से सिर्फ शृंगार रस के गाने ही प्रसारित किये जाते हैं ।

और फिर जीवन में और चीजें भी हैं । माननीय सदस्य क्या जीवन को बिल्कुल शुष्क बना देना चाहते हैं । अगर सिर्फ लड़ाई की ही बाते चलती रहे तो लोग कहेंगे कि यह मौजूं नहीं है । फिर अभी तो लड़ाई नहीं है । लड़ाई के लिये हमारी तैयारी हो रही है । अगर हम रात दिन मारशल सांग सुनाते रहें तो लोगों पर उस का क्या असर पड़ेगा ।

शायद माननीय सदस्य को यह पसन्द हो या उन जैसे दो चार प्रतिशत लोगों को पसन्द हो । लेकिन उन को छोड़ कर और लोग कहेंगे कि यह क्या हो रहा है कि सिर्फ मारशल सांग ही चल रहे हैं । हर वक्त मारशल सांग लोगों को अच्छे नहीं लग सकते । थोड़े वक्त दूसरे गाने भी इसलिये बजाए जाते हैं । और फिर माननीय सदस्य जीवन को इतना खुश्क क्यों बनाना चाहते हैं, वह ऋंगार रस से इतना नाराज क्यों हैं ।

मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य को ऋंगार रस से इतनी नाराजी क्यों है ? मनुष्य जीवन में उस का भी एक बड़ा जबरदस्त हिस्सा है । अश्लील ऋंगार अलबत्ता खराब है लेकिन अच्छा ऋंगार रस तो आदमी को और ऊंचा उठाता है ।

अब जहां तक भाषा का सवाल है, उस को ले कर श्री श्रीप्रकाश के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है मैं उसे उचित नहीं समझता हूं । अब उम्र का कोई सवाल नहीं है । कुछ लोग ३२ साल कीं उम्र में ही कमजोर और बूढ़े हो जाते हैं । आप स्वयं अपने नेता को ही देख लीजिये । उन के लिये मेरे दिल में बड़ी इज्जत है । मेरा मतलब श्री राजगोपालाचार्य से है जो कि ८५ वर्ष के हैं लेकिन इस उम्र में भी उन में कितनी इनर्जी विद्यमान है यह आप और हम सब खूब जानते हैं । आज वह ८५ साल की उम्र में भी हिन्दुस्तान में तहलका मचाये हुए हैं तो हमारे श्री श्रीप्रकारश तो ७५ साल के ही हैं । वह काफी तगड़े हैं और खूब काम करते हैं । इसलिये उम्र की बात इस में लाना फिजूल है । जो कमेटी बनी उस कमेटी की एक वर्ष में चार मीटिंग्स हुई । चारों मीटिंग्स उन्हों ने एटेंड कीं । उन के जो सुझाव आये थे, उन में जो सिफारिशें की गईं उन पर काफी तौर पर अमल किया गया है । अब एक आध एडमिनिस्ट्रेशन की बात को जाने दीजिये लेकिन उन को छोड़ कर बाकी सिफारिशों पर काफी तौर पर अमल किया गया है । थोड़ी बहुत चोजों को छोड़ कर वह काम हुआ ।

आप को मालूम होगा कि पिछले साल अगस्त महीने में १९६२ के बाद रेडियो की हिन्दी भाषा के सम्बन्ध में विवाद शुरू हो गया था । अब कैसे हुआ और वह क्यों हुआ मैं उस में नहीं जाना चाहता हूं । लेकिन यह सही बात है कि हमारे संसद् के सदस्यों की काफी तादाद में और संसद् के बाहर भी हिन्दुस्तान में इस चीज की बड़े जोर से चर्चा चली कि यकायक जो इस रेडियो की भाषा की हिन्दी की, उस में खास तौर पर उर्दू के शब्द आ गाये हैं । रेडियो की भाषा हिन्दी नहीं बल्कि उर्दू हो गई है । मेरे कान में भी यह बात आई और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी मझ से कहा इसलिये मैं ने उस वक्त के जो इनफारमेशन एंड ब्राडकास्टिंग के मंत्री थे, श्रीगोपाला रेड्डी, उन को मैं ने इस बारे में एक कमेटी बिठाने का सुझाव दिया और उसी वक्त उन्हों ने एक कमेटी बनाई । उस कमेटी के वह चेअरमैन हुए और कमेटी के सदस्य हुए मामा वरेड़कर, सेठ गोबिन्द दास, श्री महाबीर त्यागी, श्री गंगा शरण सिंह, डा० गोपाल सिंह, श्री राम धारी सिंह दिनकर, श्री प्रकाशवीर शास्त्री, श्री नवल प्रभाकर, श्री ललित सेन, श्री एम०पी० सत्यनारायणा और प्रोफेसर एच० एन० मुखर्जी । इसी से आप समझ सकते हैं कि कैसे लोगों की कमेटी बनी थी ? उस कमेटी ने सिफारिश की और वह कमेटी गने जिसके कि अध्यक्ष श्री श्रीप्रकाश जी हैं । इस कमेटी की जो कुछ सिफारिशें आई हैं वे सब कबूल हो गयी हैं । याद रखिये जो कुछ उन्हों ने बताया उन्हों ने यह बताया कि रेडियो की हिन्दी भाषा शुद्ध तो होनी चाहिये लेकिन साथ ही साथ सरल भी होनी चाहिये । एक बात हम को हमेशा याद रखनी है कि एक स्पौकेन वर्ड होता है और एक रिटेन वर्ड होता है । जब हम रेडियो से प्रसार करते हैं तो रेडियो खाली माननीय सदस्य जैसे विद्वान लोगों के लिये ही नहीं है बल्कि वह उन लाखों और करोड़ों आम आदमियों के लिये हैं जो कि पान की दुकान को घेर कर, चौपाल में बठ कर गांवों में रेडियो सुनते हैं । उन में बहुत बड़ी तादाद अनपढ़

[श्री सत्यनारायण सिंह]

लोगों की है । अब ऐसे लोग जो कि दस्तखत कर सकते हैं उन की गिनती मरदमशुमारी में लिखे पढ़े लोगों में की जाती है। हालांकि वह पढ़े लिखे खाक होते हैं, वह चिट्ठी पत्री नहीं लिख सकते हैं, अखबार नहीं पढ़ सकते हैं लेकिन चूंकि वह अपना नाम लिख पाते हैं इसलिये पढ़े लिखे लोगों में ऐसे लोगों का भी नाम लिख लिया जाता है। अब जरा ध्यान दीजिये कि जब ऐसी हालत हो तो अगर बहुत विलष्ट हिन्दी और साहित्यक हिन्दी का प्रयोग किया जाएगा तो उन के पल्ले क्या पड़ेगा ? मैं तो रेडियो की भाषा आम लोगों की समझ में आने वाली है या नहीं इस की जांच मैं अपने नौकर से कर लेता हूं । मैं उससे पूछता हूं कि भाई तेरी कुछ समझ में आता है या नहीं। अब अगर ऐसे लोग रेडियो की भाषा नहीं समझ सकते तो फिर देश की बहुत बड़ी आबादी उससे लाभ न उठा सकेगी ।

यह ठीक है कि रेडियो में कुछ साहित्यक चर्चा भी होनी चाहिये । मैं मानता हूं कि इस तरह का अगर कोई आप प्रोग्राम चलाते हैं जैसे मालविकाग्निमित्र, किरातार्जुनीय और भारवि अर्थ गौरव की चर्चा करते हैं तो उस की भाषा कठिन होगी, उस की भाषा साहित्यक होगी । लेकिन रेडियो के जो न्यूज बुलेटिंस होते हैं, स्वास्थ्य से सम्बन्ध रखने वाली वार्त्तायें निकलती हैं और कृषि से सम्बन्ध रखने वाली नो वार्त्तायें निकलती हैं या जानवरों की किस तरीके से हिफाजत करनी चाहिये इस सम्बन्ध में जो वार्त्तायें निकलती हैं, उनकी भाषा सरल होनी चाहिये । अगर उन की भाषा कठिन होगी, साहित्यक अथवा लिटरेरी होगी तो उस का कोई फायदा नहीं होने वाला है । क्योंकि जिन को आप इस बारे में बतलाना चाहते हैं वह ९५ फीसदी आदमी इसको नहीं समझ पायेंगे । इसलिये यह देखना होगा कि ऐसी चोजें जिन को कि आप आम लोगों तक और गांव गांव में पहुंचाना चाहते हैं और उनके लिये प्रचार बुलेटिंस निकालते हैं तो उन बुलेटिनों की भाषा सरल होनी चाहिये और वह ऐसी होनी चाहिये कि जिसको कि सब लोग समझ सकें ।

मैं इस बात को मानता हूं कि अहिन्दी लोग संस्कृतमय हिन्दी को जल्दी समझ लेते हैं । शुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिन्दी उन को जल्दी समझ में आ जाती है क्योंकि देश की सभी प्रादेशिक भाषायें, एक खाली तामिल को छोड़ कर सभी भाषाओं की एक प्रकार से जननी संस्कृत है, और उन की भाषाओं में संस्कृत शब्द काफी मात्रा में होते हैं इसलिये बंगाला, आसामी और तेलुगु वाले उस हिन्दी को बहुत अच्छी तरह समझ पाते हैं जिस में कि संस्कृत के शब्द होते हैं । मैं उस को मानता हूं । उस के लिये जो प्रोग्राम हमारे होते हैं जैसा मैं ने बतलाया लिटरेरी प्रोग्राम्स होते हैं उन की भाषा उस तरह की होनी चाहिये, मैं इसे मानता हूं । लेकिन आम जनता के लिये जो आम बुलेटिन समाचार आदि के होते हैं उन की भाषा सरल होनी आवश्यक है । इसलिये मैं तो समझता हूं कि जो कुछ कम व बेशी उस कमेटी की कार्यवाही हुई है उस में कोई खास शिकायत भी बात मुझे नजर नहीं आती है ।

अब जहां तक हिन्दी में अंग्रेजी अथवा अन्य भाषाओं के पापुलर शब्दों को न ले कर हिन्दी में ही उनके लिये शब्द रखने का आग्रह है मैं समझता हूं कि इस के लिये जिद करना उचित न होगा । आप किसी भी भाषा को देख लीजिये । आज अंग्रेजी भाषा दुनिया में सबसे ऊंची भाषा मानी जाती है । उस का प्रचार आज संसार में फ्रेन्च भाषा से भी ज्यादा हो गया है हालांकि पहले फ्रेंच भाषा सब से ज्यादा बोली जाती थी और समझी जाती थी । अब अंग्रेजी भाषा को देखिये । उस भाषा में क्या है । उस के साहित्य में हिन्दी के हजारों शब्द भरे पड़े हुए हैं । जिस तरह से स्वास्थ्य आदमी को पचाने की शक्ति होती है उसी तरह से एक बलवती भाषा की यह निशानी है ।

कि उस में दूसरी भाषाओं के शब्दों को पचाने की शक्ति होती है, उन को ले कर वह अपने में एबजौर्ब कर लेती है, ऐसिमिलेट कर लेती है और उन को अपने अन्दर रख लेती है । इसलिये अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं के जो शब्द आ गये हैं और उनको हम अपने व्यवहार में रख सके हैं तो खामख्वाह ऐसे अंग्रेजी शब्दों की हिन्दी के लिये जिद करना उचित नहीं है । अब अगर इस पर जिद करी जाय तो कोशिश कर के नये नये शब्द उन के लिये गढ़े जायेंगे और हो सकता है कि वे शब्द ऐसे गढ़े जायें जो कि अनपढ़ लोगों का तो कहना ही क्या है पढ़े लिखे लोगों की समझ में भी न आयें ।

पोस्टकार्ड, रेल, स्टेशन और चैक आदि शब्द जो कि काफी प्रसिद्ध हो गये हैं और हर कोई उनको बखूबी समझ लेता है अगर हिन्दी अनुवाद निकालने का आग्रह किया गया तो इस तरह के क्लिष्ट और अनपापुलर शब्द गढ़े जायेंगे कि आम लोगों का तो कहना ही क्या पढ़े लिखे लोगों को भी उनको समझने में कठिनाई होगी ।

जहां तक न्यूज बुलेटिन्स का सवाल है मैं तो नहीं कह सकता कि उस से सभी लोग संतुष्ट होंगे लेकिन आम तौर पर उस की भाषा जैसी होने चाहिए वैसी होती है । मैं जह तो दावा नहीं करता कि उसमें कूछ भी सुधार गुंजाइश नहीं है लेकिन निश्चित रूप से हम प्रगति की तरफ जा रहे हैं । दोनों कमेटियां फिर जो उसके सदस्य लोग हैं, उन्हों हैं जो कुछ भी राय मशविरा दिया है, उस के अनुसार हम काम कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि जो भी थोड़ी बहुत कमी बाकी रहती है उस को भी हम सदस्यों के परामर्श से उस अधूरे काम को पूरा कर लेंगे ।

इमरजेंसी के बारे में प्रचार के लिय जो उन्हों ने पूछा तो मैं यकायक उस का जवाब नहीं दे सकता हूं कि कितना समय उस में दिया जाता है लेकिन जहां तक मैं समझता हूं जैसा कि मैं ने उस के सम्बन्ध में बतलाया था दस महीने पहले हाल में जो रेडियो का प्रोग्राम बना है उस के लिये भी समय दिया जाता है । माननीय सदस्य के पास उस के लिये कोई सुझाव हो तो वे मेरे पास भेज दें । जो कुछ भी संभव होगा मैं हमेशा करने के लिये तैयार रहूंगा । आप जानते ही हैं कि मेरा आप लोगों से कैसा सम्बन्ध रहा है । आप लोगों के सहयोग से ही हम सब कुछ काम करते हैं । जब तक यह डिपार्टमेंट मेरे हाथ में है, मुझे आशा है कि आप का सहयोग मुझे सदा की तरह मिलता रहेगा और जो भी आप का सुझाव होगा उस पर बराबर अमल करेंने की कोशिश की जायेगी ।

श्री यशपाल सिंह : यह नेशनल ऐंथम प्रातःकाल को हाना चाहिये संध्या को नहीं होना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

17.29 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, September 20, 1963/Bhadra 29, 1885 (Saka).

		Columns
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		6927—72
S.Q. No.	*Subject*	
756	Advances aginst warehouse receipts	6927–28
757	Gandak Project	6928—31
758	Shifting of offices from Delhi	6931—34
759	Bhakra Power Plant	6934—36
760	Ministers' Accounts in foreign banks	6936—49
761	Kosi river	6949—51
762	Satellite townships	6951—54
763	Tibbia College, New Delhi.	6954—56
764	Work studies	6957—60
765	C.H.S. Medical specialists	6960—63
766	Bogus *Hundis*	6963—65
S.N. Q.No.		
10	P. Forms	6965—69
11	SEarches conducted by Central Excise and Customs Department at Nagpur.	6969—72
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		6972
S.Q. No.		
767	Impact of taxation measures	6972–73
768	Kishau Dam Project	6973–74
769	Compulsory Deposit Scheme	6974
770	Brahmaputra river	6974
771	Indus Water Commission	6975
772	Increase in pension	6975–76
773	Security Paper Mill	6976–77
774	Displaced persons in Payagpur	6977
775	Sales tax on export goods	6977–78
776	Payment of salaries to civilian staff	6978
777	World Bank loan for I.C.I.C.I	6979
778	Power supplied from Punjab	6979
779	Super grid in Rajasthan	6980
780	Credit from Switzerland	6980
781	Plague in Southern States	6981
S.Q. No.		
2162	Retinal Chlorid Degeneration	6981–82
2163	Birgovindpur Project	6982
2164	Primary Health Centres in Orissa	6982
2165	Small Savings Certificates	6983
2166	Tribal settlers in Dandakaranya	6983
2167	Medicinal doses	6983
2168	Kidney stone solvent	6983–84
2169	Assessment cases in Andhra Pradesh	6984
2170	Rehabilitation of goldsmiths	6984–85
2171	Smuggled diamonds	6985–86
2172	Advances made byL.I.C.	6986
2173	Income tax arrears in Kerala State	6986
2174	Quarters for Income Tax Officials	6987
2175	Homocopathic hospitals in Orissa	6987
2176	Small-pox and Cholera in Orissa	6987–88
2177	Primary Health Centres in Rajasthan	6988–89
2178	V.D. clinics in Rajasthan	6989
2179	Centrally sponsored schemes in Rajasthan	6989–90
2180	Small-pox and cholera in Rajasthan	6990–91
2181	Watches in foreign post parcels	6991–92
2182	Vaccination Programme	6992
2183	National Savings Central Advisory Board	6992–93
2184	Arrears of rent of Government buildings.	6993

डा० राम मनोहर लोहिया : इस सवाल पर सरकार से फिर आप कभी बात कर लीजिए। में नहीं जोर दे रहा हूं। मैं हर बार बैठ जाता हुं।

अध्यक्ष महोदय : आपकी मेहरबानी।

डा० राम मदोहर लोहिया : मैंने आपका ध्यान इसलिये खींचा है कि जल्दी इस सवाल को लाइये . . .

अध्यक्ष महोदय : शुक्रिया अदा करने के बाद भी फिर आप खड़े हो गए आप।

श्री भू० ना० मंडल : (सहरसा) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की ऐसी नीति है कि देहात के लोगों की जीविका यानी ज़मीन को छीन करके शहर में रहने वालों को सुख सुविधायें प्रदान की जायें ?

डा० राम सुभग सिंह : जीविका छीनने का जहां तक सवाल है, हम लोगों को उनके साथ उतनी ही हमदर्दी है जितनी कि प्रश्न कर्ता महोदय को है जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने बताया है कि उनके पुनर्वास के लिए हर तरह के सुझाव दिये गये हैं। उनको अगर यहां खेती करने की सुविधा नहीं होगी तो जीविका छिनने का तत्काल सवाल कुछ हद तक जरूर होगा लेकिन उसका पूरा मुआवज़ा देने की नीति के अनुसार हम चलना चाहते हैं और इसी पर सरकार विचार कर रही है।

श्री काशीराम गुप्त (अलवर) : क्या सरकार की जानकारी में यह है कि ये जमीनें इंडस्ट्रियलिस्ट्रस के लिए ली जा रही हैं और क्या सरकार को यह भी पता है कि इस सदन में फूड मिनिस्टर साहब ने बार बार कहा है कि यथासम्भव यह कोशिश की जाएगी कि जब ज़मीनें इस काम के लिए ली जाएं तो सीधे उनके लिए बातचीत किसानों और कारखानेदारों में हो ? गुड़गांव और फरीदाबाद में ऐसा ही हुआ है। क्या यह जानकारी आप देने की कृपा करेंगे कि यहां पर भी वह नीति क्यों नहीं बरती गई और जब कि इस तरह से ज़मीनें लिये जाने का सिलसिला जारी है तो उन किसानों को बसाने की योजना बनाने से पूर्व ही इस तरह की कार्यवाही क्यों की जा रही है ?

डा० राम सुभग सिंह : आल्टरनेटिव की भी छानबीन हम लोगों ने की थी और उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके सम्मुख इस विचार को प्रस्तुत भी किया था पर जैसा कि सदन स्वीकार करेगा, गाज़ियाबाद के गांव बिल्कुल दिल्ली के करीब हैं और वहां के लोगों ने उस वक्त अनिच्छा प्रकट की और कहा कि हम दूर नहीं जायेंगे। एक और बात में साफ कर देना चाहता हूं। केवल आठ गांव हैं जिन में पचास प्रतिशत जमीन ही ली जानी है और वे ही इस छ : हजार एकड़ में आते हैं। थोड़ी बहुत जमीन बहुत लोगों की बचेगी। इसलिये जो पुनर्वास वाला सवाल है, हर विधि से हम लोग उस पर विचार करेंगे। वहां पर उद्योग धंधे खड़े करने के भी सुझाव दिये गये हैं। अगर वे लोग खुद चाहें किसी प्रकार का उद्योग खड़ा करना तो उनको प्रेफ्रेंस दी जाएगी, उनके लड़कों को और चाहे और जो आदमी काम करना चाहें,उन लोगों को वहां ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जाएगी जैसा गुड़गांव में हुआ, उस चीज़ का जब हम लोगों ने विचार किया तो पता चला कि पहले उस चीज का प्रचलन वहां नहीं हो पाया था और सड़कें वगैरह बननी शुरू हो गई थीं। अब उन सड़कों को तोड़ करके फिर गुड़गांव वाली पद्धति वहां लागू की जाये, इसमें कुछ कठिनाईयां थीं और

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री राम सुभग सिंह]

इन कठिनाईयों के कारण ही यू० पी० गवर्नमेंट ने समझा कि इस मामले को टाला नहीं जा सकता है।

श्री त्यागी : एक बात का जवाब नहीं मिला है। जब ये बढ़े दामों पर बेचते हैं तो स्टेट्स को मिडिलमैन प्राफिट खाने के मामले में गवर्नमेंट ने क्या कोई फैसला किया है, कितनी दूर तक इसको इजाजत द दी है?

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से इजाजत नहीं दी जा सकती है।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रधान मंत्री के जवाब से जाहिर है कि मुआवजे का कुछ फैसला डा० राम सुभग सिंह और रजा साहब ने किया है और उत्तर प्रदेश की सरकार को लिखकर भेजा है। मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ घरेलू संकट में मुबतला है, क्या केन्द्रीय सरकार इस मामले का फैसला खुद करेगी और उसके जवाब की आशा नहीं करेगी ताकि मामला खत्म हो जाए?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल लैण्ड एक्वीज़ीशन में है कि किस तरह किया जाना है डेट का मामला था और वह डट उन्होंने लिख कर भेज दी है।

श्री स० मो० बनर्जी : कम्पेंसेशन तो फरवरी १९६२ . . .

अध्यक्ष महोदय : मार्किट रेट प्लस १५ परसेंट इज़ दी ला प्रोवाइडिड २९,००० एकड़ छोड़ दी गई है और ६००० एकड़ रह गई है। सैकिंड डेट उन्होंने रिकोमेंड की है।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या भूमि अर्जन अधिनियम को सख्ती से लागू किये जाने के प्रश्न को देखते हुए सरकार इस समस्या के समस्त पहलुओं पर विचार करने के लिये एक सक्षम आयोग की स्थापना पर विचार कर रही है?

†**डा० राम सुभग सिंह** : यह कार्य के लिये सुझाव है हमारे द्वारा अपने अधिकारों का सख्ती से प्रयोग करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। हम इस आरोप का खंडन करते हैं। किसानों के साथ यथासंभव सहानूभूति और उदारतापूर्ण विचार करने का प्रयत्न करेंगे।

†**श्री रा० बरुआ** : क्या भूमि अर्जन की बढ़ती हुई कार्यवाहियों को देखते हुए सरकार इस अधिनियम में सरलता से प्रतिकर का भुगतान करने के संबंध में, कोई संशोधन करने का विचार रखती है?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है। श्री रामेश्वरा नन्द :

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि संकटकाल में राज्य सरकारों के कार्य में हस्तक्षेप करके ऐसे मामलों को वह सुलझा सकती है। गाज़ियाबाद के किसान प्रधान मंत्री जी से मिले थे और पिछले दिनों प्रधान मंत्री ने स्वयं डा० राम सुभग सिंह और एक दूसरे सज्जन को लगा कर इसके बारे में विवरण मांगा था और सारी स्थिति को स्वयं जाना था। उत्तर प्रदेश की सरकार को लिख कर आपने भेजा और डा० राम सुभग सिंह ने भी भेजा हैं—लेकिन सी० बी० गुप्त साहब की सरकार के कान पर जूं तक नहीं चली हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मामले को सरकार अपने हाथ में ले कर निपटाना . . .

---

†मूल अंग्रजी में

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

श्री रामेश्वरानन्द : मुझे कह तो लेने दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यही एतराज कर रहा था कि आप पूछना क्या चाहते हैं । आप कुछ कह रहे हैं ।

श्री रामेश्वरानन्द : मेरा प्रश्न तो सुन लीजिये। मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारी केन्द्रीय सरकार को अधिकार प्राप्त हैं तो वह इस मामले को अपने हाथ में ले कर निपटाना क्यों नहीं चाहती ? अगर निपटाने में उस के पास देने के लिये पैसा नहीं है तो किसानों को छोड़ दे कि जो जमीन लेने वाले हों उन से वह सीधी बात कर के मामला तय कर ले। अगर इस में कोई आपत्ति हो तो किसानों को पहले जमीन दी जाय । । ऐसा कभी नहीं होता संसार की किसी भी मार्केट में कि वस्तु पहले ले ली जाय और उस की कीमत न दी जाय। ऐसा अन्याय केवल किसानों के साथ होता है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा अन्याय न हो उन की कीमत . . . .

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जायें ।

श्री रामेश्वरानन्द : इस का उचित निर्णय केन्द्रीय सरकार करे क्या यह मांग मैं नहीं कर सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये। सब सवालों का जवाब आ चुका ।

श्री रामेश्वरानन्द : मेरे प्रश्न का नहीं आया ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं बैठ जाता हूं, प्रश्न का उत्तर ले कर ।

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं हैं जो नया हो ।

श्री रामेश्वरानन्द : मेरा प्रश्न है कि केन्द्रीय सरकार क्यों न इसे निपटा दे। उसे अधिकार प्राप्त है ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपनी जिद पर अड़े रहेंगे ? मैं ने कहा है . . . .

श्री रामेश्वरानन्द : मैं ने प्रश्न किया है, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देने देते ? मैं प्रति दिन देखता हूं . . . .

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं आपके साथ इतनी नम्रता करता हूं आप के अधिकार को मानता हूं, लेकिन आप बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनते ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब कभी माननीय सदस्य ने कोई सवाल पूछा है और मैं ने उसे स्वीकार नहीं किया और उनसे कहा कि वे बैठ जायें, तो हमेशा उन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि उन्हें इजाजत नहीं देता । उन्होंने

---

†मूल अंग्रजी में

[अध्यक्ष महोदय]

मेरे ऊपर पक्षपात का आरोप लगाया है। जब यह विधान है, कानून है, कि लैंड ऐक्विजिशन ऐक्ट स्टेट गवर्नमेंट को लागू करना है। अगर स्वामी जी ऐसी बात करें जो इसकी उल्टी हो तो मैं कैसे यहां पर इस की इजाजत दे दूं ? अगर इस पर मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि मैं इजाजत नहीं देता, तो मैं कैसे इस की इजाज़त दे सकता हूं, जब कि वह कानून के वखिलाफ है? मैं जानता हूं कि साफ कानून है। हां, अगर पार्लियामेंट उसे बदल दे तो दूसरी बात है ?

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस मामले में यह कह रहे थे कि यह दिल्कुल केन्द्र के अधीन है ही नहीं जो इस को स्वीकार किया जाय हालांकि हम लोग कई दिन से कह रहे थे। अब यह केन्द्र के अधीन कैसे हो गया ? इसी तरह से मैं कहूंगा कि केन्द्र इस मामले को ले सकता है।

अध्यक्ष महोदय : यह मैं ने खुद अर्ज किया कि कम्पेन्सेशन का सवाल किसी तरह से सेंट्रल पार्लियामेंटरी के अन्दर नहीं आता, और न आना चाहिये। मुझ पर जोर डाला गया हर एक तरफ से। और जब मैं ने गवर्नमेंट पर जोर डाला कि नहीं, इस का कोई जवाब दिया जाय तो क्या इस का यह मतलब है कि मुझ से उल्टे कहा जाय कि अगर यह सवाल लिया गया है तो क्यों लिया गया है और अगर यह लिया गया है तो इस का जवाब दिया जाय ?

श्री रामेश्वरानन्द : मैं प्रधान मंत्री से कहना चाहता हूं कि उन्होंने इसके विवरण को जानने के लिये डाक्टर साहब को पहले ही लगाया था, इसलिये...

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। अब कोई दूसरी चीज पैदा नहीं होती। पत्र सभा पटल पर रखे जायें।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

१६६३-६४ में केन्द्रीय सरकार द्वारा लिये गये ऋण

वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं १६६३-६४ में केन्द्रीय सरकार द्वारा लिये गये ऋणों के परिणाम बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १५२२/६३]

सीमा शुल्क अधिनियम, १६६२ और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और नमक अधिनियम, १६४४ के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० रा० भगत) :** मैं —

(१) सीमा-शुल्क अधिनियम, १६६२ की धारा १५६ और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १६४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १६६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) दिनांक १७ अगस्त, १६६३ की जी० एस० आर० संख्या १३६४।

(ख) दिनांक १७ अगस्त, १६६३ की जी० एस० आर० संख्या १३६५।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १५६३/६३]

(२) सीमा-शुल्क अधिनियम, १६६२ की धारा १५६ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्र ति सभा पटल पर रख

(क) दिनांक १० अगस्त, १६६३ की जी० एस० आर० संख्या १३०६।

(ख) दिनांक १७ अगस्त, १६६३ की जी० एस० आर० संख्या १३५८।

(ग) दिनांक १७ अगस्त, १६६३ की जी० एस० आर० संख्या १३५६।

(घ) दिनांक १७ अगस्त, १६६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३६० में प्रकाशित सीमा शुल्क मूल्यांकन (संशोधन) नियम, १६६३।

(ङ) दिनांक १७ अगस्त, १६६३ की जी० एस० आर० संख्या १३६१।

(च) दिनांक १७ अगस्त, १६६३ की जी० एस० आर० संख्या १३६२।

(छ) दिनांक १७ अगस्त, १६६३ की जी० एस० आर० संख्या १३६३।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १५६४/६३]

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, मैं एक अपनी निजी सफाई देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। इस वक्त किसी सफाई की बात नहीं है। आप के बखिलाफ किसी ने कुछ नहीं कहा।

डा० राम मनोहर लोहिया : परसों अन्न मंत्री श्री पाटिल ने हम लोगों के ईमान पर शक किया था।

अध्यक्ष महोदय : वह दूसरा सवाल था।

डा० राम मनोहर लोहिया : आप से जितनी जल्दी हो सके मुझे मौका दें।

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरी बात है। आप दर्म्यान में कार्रवाई न रोका करें।

राज्य सभा से सन्देश

†**सचिव :** मुझे सभा को राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देनी है :—

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना दी :—

(एक) कि राज्य सभा अपनी २७ अगस्त, १६६३ की बैठक में लोक-सभा

---

†मूल अंग्रेजी में

द्वारा १३ अगस्त, १९६३ को पास किये गये अखिल भारतीय सेवायें (संशोधन) विधयक, १९६३ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

(दो) कि राज्य सभा अपनी २१ अगस्त, १९६३ की बैठक में श्री नवाब सिंह चौहान के त्याग-पत्र देने के कारण हुई रिक्ति में ३० अप्रैल, १९६४ को समाप्त होने वाली अवधि तक के शेष भाग में लोक-सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने के लिये राज्य सभा के एक सदस्य को मनोनीत करने की लोक-सभा की सिफारिश से सहमत हो गई और राज्य सभा ने २८ अगस्त, १९६३ को इस प्रयोजन के लिये पंडित एस० एस० एन० तंखा को मनोनीत किया ।

कार्य-मन्त्रणा समिति

अठारहवां प्रतिवेदन

†**संसद कार्य मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के अट्ठारहवें प्रतिवदन से, जो २८ अगस्त, १९६३ को सभा में पेश की गई थी ; सहमत है ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के अट्ठारहवें प्रतिवेदन से, जो २८ अगस्त, १९६३ को सभा में पेश की गई थी ; सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

भारतीय वस्तु विक्रय (संशोधन) विधेयक

†**विधि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विभुअेन्द्र मिश्र)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम, १९३० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार किया जाये ।"

विधि आयोग ने भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम के विभिन्न उपबंधों की जांच करते समय देश में १९३० के बाद से हुये वाणिज्य संबंधी सौदों के विकास के अतिरिक्त अन्य देशों में प्रचलित समान विधियों पर भी विचार किया था । इसने विभिन्न वाणिज्य निकायों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर भी विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विधि में कहीं कहीं संशोधन करने के अतिरिक्त किसी अन्य महत्वपूर्ण संशोधन की आवश्यकता नहीं है और इस विधेयक द्वारा एक सिफारिश के अतिरिक्त विधि आयोग के विभिन्न सिफारिशों को सम्मिलित करने का प्रयत्न किया जा रहा है । यह सिफारिश "वस्तुओं"

---

†मूल अंग्रेजी में

की परिभाषा के अन्तर्गत पानी, विद्युत और गैस सम्मिलित करना है । यह सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई है ।

पहले म यह स्पष्ट करूंगा कि इस सिफारिश को स्वीकार क्यों नहीं किया गया । विधि आयोग द्वारा यह सिफारिश किये जाने के बाद राज्यों के विद्युत उपक्रमों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुये और सिंचाई और विद्युत मंत्रालय ने भी यह प्रश्न उठाया कि पानी, विद्युत और गैस को "वस्तुओं" की परिभाषा में सम्मिलित किया जाना उन वस्तुओं पर विक्रय कर लगाये जाने का भी द्योतक हो सकता है । इस सारे प्रश्न की जांच की गई थी और इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि इसका कोई आधार नहीं है क्योंकि विद्युत पर विक्रय कर अथवा चुंगी लगाना संविधान की प्रविष्टि ५२, ५३ अथवा ५३, ५४—मुझे ठीक पता नहीं है—के अनुसार राज्य सरकार की शक्ति के अधीन आता है और इसलिये चाहे इसे वस्तु विक्रय अधिनियम में सम्मिलित किया जाय अथवा नहीं यह राज्य सरकार की विक्रय कर लगाने की शक्ति को बाधित नहीं करेगा । विद्युत पर विक्रय कर लगाया जाता है या नहीं यह प्रश्न राज्यों के विक्रय कर अधिनियमों में दी हुई वस्तुओं की परिभाषा पर निर्भर करता है ।

यदि अधिनियम की सम्पूर्ण योजना का निरीक्षण किया जाये तो यह प्रतीत होगा कि वस्तु विक्रय अधिनियम स्पर्श्य वस्तुओं के ही विषय में है और इस के अधिकांश उपबन्ध, नमूने दिखा कर बिक्री करना, वस्तुओं की जांच पड़ताल, वस्तुओं को अधिकार में लेना, विशेष वस्तुयें, विद्यत पर लागू नहीं होते । अध्याभति संबंधी शर्तों वाले उपबन्ध को छोड़ कर संभवत: अधिनियम का कोई अन्य उपबन्ध विद्युत के संबंध में लागू नहीं होता ।

इसके अतिरिक्त दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है, जहां वस्तु विक्रय अधिनियम में "वस्तुओं" की परिभाषा में विद्युत, पानी और गैस को सम्मलित किया गया है । इन सब बातों पर विचार करने के बाद यही ठीक समझा गया कि "वस्तुओं" की परिभाषा में विद्युत, पानी और गैस को सम्मिलित नहीं किया जाये, क्योंकि इनके लिये पृथक अधिनियम हैं । विद्युत के संबंध में विद्युत संभरण अधिनियम १९४८ और विद्युत अधिनियम १९१० हैं । इसके अतिरिक्त दामोदर घाटी निगम अधिनियम है । नगरपालिका अधिनियम पानी के संभरण पर लागू होता है । पानी, विद्युत और गैस के लिये पृथक विशेष अधिनियम है इसलिये इन चीजों को "वस्तुओं"की परिभाषा के अन्तर्गत सम्मिलित करना उचित नहीं समझा गया ।

अब मैं उन सिफारिशों का उल्लेख करूंगा जिन्हें इस विधेयक में सम्मिलित कर लिया गया है । पहले मैं धारा १३ का उल्लेख करूंगा, जिसके विषय में विधि आयोग ने उप-धारा (२) से कुछ शब्द निकाल देने के विषय में सिफारिश की है ।

धारा ३ की उप-धारा (२) इस प्रकार है :

"जहां विक्रय की संविदा को विभक्त नहीं किया जा सकता और क्रेता ने वस्तुओं अथवा उनके किसी भाग को स्वीकार कर लिया है, अथवा जहां संविदा किन्हीं विशेष वस्तुओं के संबंध में है जिसकी संपत्ति क्रेता के अधिकार में पहुंच चुकी है, विक्रेता द्वारा पूरी की जाने वाली किसी शर्त को भंग करना अध्याभूति भंग करने के समान समझा जायगा ।"

शेष भाग मेरे प्रयोजन के लिये आवश्यक नहीं है । विधि आयोग ने सिफारिश की है कि शब्द "अथवा जहां संविदा किन्हीं विशेष वस्तुओं के संबंध में है, जिसकी संपत्ति क्रेता के अधिकार में पंहुंच चुकी है" निकाल दिये जायें ।

पहली बात तो यह है कि यदि आप अधिनियम के उपबन्धों की जांच करें तो आप को पता चलेगा कि इनकी शब्दावली में परस्पर विरोधाभास है । शर्त क्या है और अध्याभूति क्या है ? धारा १२ में शर्त की और अध्याभूति की परिभाषा दी हुई है एक शर्त को भंग करने से संविदा का प्रत्याख्यात किया जा सकता है जब कि प्रत्याभूति को भंग करने से क्षतिपूर्ति पाने का ही अधिकार है । अतः यह कहना कि जहां विशेष वस्तुयें क्रेता के अधिकार में पहुंच जायें वहां एक शर्त को अध्याभूति के समान माना जाये, शब्दावलि में विरोधाभास प्रकट करता है, क्योंकि आखिर अगर यह शर्त ही है तो जब तक वह पूरी न हो जाये संपत्ति क्रेता के अधिकार में नहीं जा सकती और यदि शर्त के बावजूद भी यह उसके अधिकार में चली जाती है तो यह शर्त नहीं रह जाती वरन अध्याभूति हो जाती है । इस प्रकार आप को पता चलेगा कि यह शब्दावलि में विरोधाभास है ।

इसके अतिरिक्त भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा १५ में वर्णन के द्वारा विक्रय और धारा १७ में नमूने के द्वारा विक्रय के विषय में दिया हुआ है । धारा १६ में ए श्रेणी अथवा उपयुक्तता के विषय में कुछ प्रच्छन्न शर्तें हैं । अतः उन्होंने सोचा कि भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा १३ की उपधारा २ का इस की धारा १५ और धारा १७ के साथ विरोधाभास है । इसीलिये उन्होंने यह सिफारिश की है कि ये शब्द धारा १३ की उपधारा २ से निकाल दिये जायें ।

अब में धारा २५ पर आता हूं जिसके अनुसार विक्रेता को यह अधिकार है कि जब तक मुल्य की अदायगी न कर दी जाये तब तक वह अपनी वस्तुओं अथवा संपत्ति का हस्तांतरण न करे। आजकल के वाणिज्यिक सौदों में संविदा पत्र-व्यवहार द्वारा भी होती है। दोनों पक्ष एक दूसरे से काफी दूरी पर होते हैं और वस्तुयें रेल अथवा जहाज द्वारा भेजी जाती हैं। सामान भेजने के बाद भी, चाहे वस्तुयें मार्ग में हो, विक्रेता को यह अधिकार दिया हुआ है कि जब तक उसे मूल्य न मिल जाये तब तक ये वस्तुएं क्रेता के हाथ में न पहुंचे। यह उपबन्ध अब वहन पत्र तक ही सीमित कर दिया गया है। १६३० के बाद से रेलवे द्वारा भेजी जाने वाले वाणिज्यिक सामान की अधिक मात्रा को ध्यान में रखते हुये रेल द्वारा सामान का भेजा जाना भी धारा २५ की व्याप्ति के अन्दर माना जाये जिससे विक्रेता को वही अधिकार मिले जो समुद्र मार्ग द्वारा भेजने पर मिलता है।

अन्त में मैं धारा ६४ पर आता हूं जिसके अनुसार संविदा पूर्ण होने के बाद, यदि उत्पादन अथवा सीमा शुल्क लगाई गई हो, बढ़ाई गई हो अथवा घटाई गई हो, तो संविदा में दिये हुये मूल्य का समायोजन करते उमय उस का भी सम्मिलित कर लिया जायेगा। मूल चूंकि बिक्री कर और क्रय कर भी हैं इसलिये यह प्रस्ताव किया गया है कि उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क ही नहीं अपतु बिक्री कर और क्रय कर लगाया गया हो, बढ़ाया गया हो या कम किया गया हो तो उस को भी संविदा में दिये हुये मूल्य का समायोजन करते समय सम्मिलित कर लिया जाये ।

ये संक्षेप में विधि आयोग की सिफारिशें हैं जो सरकार द्वारा स्वीकृत कर ली गई हैं और संशोधन करने वाले विधेयक में सम्मिलित कर ली गई हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री दाजी** (इन्दौर): श्रीमान्, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि यह विधेयक विधि विभाग की अक्षमता का प्रमाण है । राज्य सभा ने २६ फरवरी, १६६० को यह विधेयक पारित कर दिया था। फिर इसे इस सभा में प्रस्तुत करने में इतना समय क्यों लगा ? हमने विधि आयोग की स्थापना की है जो कार्य करता है और प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। यह बहुत आवश्यक है कि उसकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये विधि–विभाग शीघ्र कानूनों में परिवर्तन करे, क्योंकि हमने यह कानुन विदेशी शासन से लिये हैं जिन में से कुछ अन्याय परिवर्तित परिस्थितियों के उपयुक्त नहीं हैं ।

उप मंत्री महोदय अभी तर्क प्रस्तुत कह रहे थे कि गैस, विद्युत और पानी क्यों वस्तुओं की परिभाषा में सम्मिलिति नहीं किये गये । किन्तु इस बात को समझने में इतना समय क्यों लगा। बम्बई उच्च न्यायालय का निर्णय अनभ्र वज्रपात नहीं था राज्य सभा में प्रस्तुत मूल विधेयक के पाठ में ये सम्मिलित थे और उस समय कुछ माननीय सदस्यों ने इन्हें रखे जाने का विरोध किया था। किन्तु उस समय उनकी बात नहीं सुनी गई। विधेयक के इस सभा में प्रस्तुत किये जाने के पूर्व ही राज्य सभा से इसके संशोधन के लिये कहा गया। इस बात के सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा होते हैं। पहली बात तो यह है कि हम विधान बनाने का कार्य बहुत जल्दी में सम्पन्न करते हैं और सभा को इस पर गंभीर रूप से विचार करने का समय नहीं मिलता। किन्तु हम विधि मंत्रालय से तो यह आशा करते हैं कि वह इस मामले में सावधानी बरते। यदि कोई स्पष्ट कानूनी गलती हो तो उसे चाहिये कि सूझमता से इसकी जांच करे। किन्तु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होता । हमने विरोधी पक्ष के विरोध के उपरान्त भी, भारत प्रतिरक्षा अधिनियम बनाया। अब तक माननीय न्यायाधीशों की यह राय है कि यह संविधान की शक्ति से बाहर है। महान्यायवादी ने भी यह स्वीकार किया है, किन्तु साथ ही यह भी कह दिया है कि न्यायालय इस विषय में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि कुछ प्रविधिक कठिनाइयां हैं। किन्तु हमारे लिये यह स्थिति सराहनीय नहीं है। इसलिये मैंने कहा था कि विधि मंत्रालय अक्षम है ।

यह विधेयक अधिक व्यापक नहीं है। हम १६३० के अधिनियम और इस विषय पर दिये गये विधि आयोग के प्रतिवेदन पर विचार कर रहे हैं। हम रेल के द्वारा माल ले जाने को भी इस विधेयक में सम्मिलिति कर रहे हैं। यह ठीक है किन्तु परिवहन के अन्य साधन भी महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। उन्हें इसमें सम्मिलित क्यों नहीं किया गया। हम कोई अस्थायी विधान नहीं बना रहे। इसलिये अच्छा यही होता कि परिवहन के अन्य साधनों, हवाई यातायात आदि को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाता ।

दूसरी बात यह है कि आज की आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुये क्रयावक्रय की पद्धिति का अधिक रिवाज हो रहा है। यदि इसके सम्बन्ध में भी विधान बना लिया जाता तो यह मध्यम वर्गीय लोगों के लिये बहुत अच्छा होता। यरोपीय देशों में कई वस्तुयें इसी प्रकार बेची जाती हैं । इससे कम आय वाला व्यक्ति भी इन चीजों को खरीद सकता है, जिन्हें वह एक मुश्त मूल्य देकर नहीं खरीद सकता।

इस समय इस पद्धति से माल बेचने में विक्रेता मनमानी करता है। ट्रक-ड्राइवरों से मनमाने करार लिखवाते हैं और एक किश्त न देने पर सारी रकम जब्त कर लेते हैं। ऐसी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दाजी]

स्थिति में हमें चाहिये था कि इस विधेयक में क्रयावक्रय के सम्बन्ध में भी उपबन्ध कर देते। विधि आयोग ने इस सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन दिया है और इस बात को लगभग एक वर्ष हो गया है। इंग्लैण्ड में माध्यमवर्गीय क्रेताओं के हितों की रक्षा के लिये क्रयावक्रय अधिनियम नामक पृथक विधान है। विधि आयोग ने इस विषय पर विचार करके संभवतः १६६२ के आरम्भ में, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। वह विभिन्न मंत्रालयों के पास भेज दिया गया है। किन्तु आश्चर्य की बात है कि अभी तक सरकार ने उस विषय में कुछ भी निश्चय नहीं किया।

कुछ विधेयक प्रवर समिति के पास भेजे जाते हैं जहां उन पर अधिक शान्त वातावरण में, विस्तार के साथ विचार किया जाता है। कुछ विधेयक ऐसे भी हैं जो नीति से सम्बन्धित होने के कारण वहां नहीं जाते। मेरा सुझाव है कि ऐसे विधेयकों को एक अन्य समिति को निर्दिष्ट किया जाये। एक ऐसी समिति बनाई जाये जो स्थायी हो या, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के समान हर वर्ष उसकी रचना में परिवर्तन कर दिया जाये, जिससे कि जो विधेयक प्रवर समिति के पास नहीं भेजे जा सकें उन्हें वहां भेज दिया जाये। वहां पर इन पर अच्छी प्रकार विचार किया जा सकेगा। प्रस्तुत विधेयक के सम्बन्ध में भी राज्य सभा के कुछ सदस्यों ने गैस, विद्युत और पानी के विधेयक में सम्मिलित न किये जाने के लिये तर्क किया था। किन्तु उनके मत की अवहेलना की गई। यदि यह बात समिति द्वारा कही जाती तो शायद ऐसा नहीं होता।

अन्त में मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**डा० सरोजिनी महिषी** (धारवाड़–उत्तर): यह विधेयक १६३० में इंग्लिश वस्तु विक्रय अधिनियम के आधार पर बनाया था। आश्चर्य है कि विभिन्न न्यायालयों के निर्णय दिये जाने के बाद भी इन ३२ वर्षों में इस में संशोधन क्यों नहीं किया गया।

१६३० में भी रेलें थीं, फिर भी इस बात का आश्चर्य है कि इन्हें अधिनियम में सम्मिलित क्यों नहीं किया गया। मुझे हर्ष है कि इस विधेयक द्वारा ऐसा किया जा रहा है। परिवहन के अन्य साधनों को भी इस में सम्मिलित किया जाना चाहिये।

यह विधेयक राज्य सभा में १६६० में प्रस्तुत किया था। "वस्तुओं" की परिभाषा में गैस, विद्युत और पानी भी सम्मिलित किये गये थे; किन्तु विद्युत बोर्डों आदि के अभ्यावेदन पर इनको निकाल दिया गया। इन बातों से पता चलता है कि हम विधान बनाने में जल्दी करते हैं।

विधान निर्माण में जल्दी यथासंभव नहीं करनी चाहिये। अन्यथा संशोधन पर संशोधन लाने पड़ते हैं और जल्दी करने का कोई लाभ नहीं रहता।

धारा १३(२) में इन शब्दों अर्थात् "जहां संविदा विशेष सामान के लिए हो और अन्य खरीददार को मिल गया हो" का लोप किया जा रहा है। आश्चर्य है कि इन शब्दों के बारे में ३० वर्ष के दौरान क्यों कठिनाई अनुभव नहीं की गई। इस संबंध में विभिन्न उच्च

---

†मूल अंग्रेजी में

न्यायालयों ने जो निर्णय दिये थे उन के आधार पर पहले ही इनका लोप क्यों नहीं कर दिया गया ।

धारा १७ और १५ का सम्बन्ध नमूने और विवरण के द्वारा बिक्री से है । यदि शर्त की पूर्ति के बिना भी खरीददार माल को स्वीकार कर लेता है तो यह समाश्वासन का उल्लंघन है । अतः ये उपबन्ध धारा १३(२) के शब्दों के अनुकल नहीं है और इसलिये उनका लोप किया जा रहा है । मुझे हर्ष है कि मंत्रालय ने यह संशोधन पेश किया है ।

धारा २५ का संबंध बिक्रेता द्वारा माल बेचने के अधिकार से है और यदि खरीददार माल को स्वीकार नहीं करता तो उसे विनिमय का बिल या बिल्टी लौटानी पड़ती है। यदि वह न लौटाये तो बिक्रेता को अधिकार है कि वह माल वापस लेने से इन्कार कर दे। आश्चर्य है कि इस बात को पहले क्यों नहीं उठाया गया।

धारा ६४ क में संशोधन किया जा रहा है कि विनिमय के दौरान यदि उत्पादन शुल्क सीमा शुल्क या बिक्री कर बढ़ जाये तो संविदा का मूल्य बढ़ाया जा सकता है । यह संशोधन समय की आवश्यकता के अनुकूल है ।

विधेयक के संशोधन समय के अनुकूल है और मैं इनका स्वागत करती हूं।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के मुताल्लिक इतना अर्ज करना चाहता हूं कि यह बिल ला कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पेश करने का वादा किया गया था । माननीय श्री सीतलवाड़ की रिपोर्ट पर, जिन की काबलियत पर किसी को शक नहीं है, पूरी तरह से अमल किया जाना चाहिए और जो कुछ उन्होंने कहा है, उस को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए । इस रिपोर्ट में लिखा है, कि अमरीका में यह समझा जाता है कि बिजली व्यक्तिगत सम्पति है और उसे बेचा जा सकता है । इस बिल में ऐसी कोई प्राविजन नहीं है कि जहां डिस्क्रिमिनेटिंग फ़ैक्टर्ज़ हैं। जहां एक ही स्टेट अलग अलग कन्ज्यूमर्ज़ को अलग अलग रेट्स पर पावर देती है, वहां पर न्याय की व्यवस्था की जा सके। इस बिल के मुताबिक उन लोगों को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने का कोई अधिकार नहीं है, जिन से पावर के रेट्स ज्यादा लिये जा रहे हैं। इसलिए इस बारे में एक काम्प्रिहैंसिव बिल लाया जाये ।

यू० पी० में गरीब किसान १६ नये पैसे फी यूनिट बिजली का देता है। जब ग़रीब किसान अपने खेत में पानी देता है, तो उसको ट्यूबवेल को चलाने का चार्ज १६ नये पैसे फ़ी यूनिट देना पड़ता है । इस के मुकाबिले में बिड़ला साहब उसी बिजली का जो किराया देते हैं. वह ३ नये पैसे फ़ी यूनिट होता है । ला कमिशन की रिपोर्ट में यह कहा गया कि यह एक ऐसा मसला है, जिस पर सारे हिन्दुस्तान में एक ला होना चाहिये । मैं ला कमीशन की रिपोर्ट में से थोड़ा सा पढ़ देता हूं। उस में लिखा है कि धारा २(७) में संशोधन कर देना चाहिये और बिजली, पानी और गैस को सामान की व्याख्या के अन्तर्गत रखना चाहिये । इस वक्त सब से ज्यादा जरूरी यह है कि एक कम्प्रीहैंसिव बिल लाया जाए और उसमें यह व्यवस्था की जाए कि सारे देश के अन्दर एक ही तरह से जितने भी कायदे हैं, उनको लागू किया जाए । इस वक्त स्टेट गवर्नमेंट्स हर जगह किसानों के साथ और मिल मालिकों के साथ अलग अलग व्यवहार करती है । गरीब किसानों के साथ आज देखा जाता है कि स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया जाता है । मैं चाहता हूं कि इस कानून को हायर परचेज का

[श्री यशपाल सिंह]

कानून बना कर सप्लीमेंट किया जाए । जैसा कि यू० के० में किया जाता है । सब से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि जो वादा किया गया था सीतलवाद साहब की रिपोर्ट के मुताबिक—कि इस कानून को पूरी ताकत से इस्तेमाल किया जाएगा, वह वादा अभी पूरा नहीं हुआ है । जो बिल लाया गया है, उसका तो मैं स्वागत करता हूं और उसके लिये मंत्री महोदय को बधाई भी देता हूं और कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो सही रास्ता है, उस में एक कदम उठाया है, लेकिन इससे कंज्यूमर की जो दिक्कतें हैं, वे हल नहीं होती हैं। मेरी दरख्वास्त यह है कि जब एक रिपोर्ट को हम मान्य करते हैं और उस रिपोर्ट को तैयार करवाने में सरकार लाखों रुपया खर्च करती है तो उस सूरत में उस रिपोर्ट के साथ, ला कमिशन की रिपोर्ट के साथ हल्के तरीके से बरताव नहीं होना चाहिये । जो ला कमिशन ने कहा है, उसको पूरे तौर पर माना जाना चाहिये । अगर ऐसा नहीं होता है तो जो काबिलतरी हस्तियां हैं, वे कभी हमारे लिये काम करने को तैयार नहीं होंगी ।

मेरी दरख्वास्त है कि पब्लिक ओपिनियन जानने के लिये इस बिल को जनता में घुमाया जाए और यह जो प्रापर्टी है, यह स्टेट प्रापर्टी है, इसलिये इसके ऊपर सारे देश में एक ही तरह के कायदे कानून लागू किए जायें ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और इस बिल को और कम्प्रिहैंसिव बनाने की दरख्वास्त करता हूं ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : ये संशोधन बहुत पहले लाये जाने चाहिये थे किन्तु पता नहीं कि सरकार इतनी देर न्यायालयों के निर्णयों की उपेक्षा क्यों करती रही है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

धारा २५ में यह संशोधन किया जा रहा है कि यदि बिक्रेता विनिमय पत्र और लदान भेज देता है तो क्रेता द्वारा माल स्वीकार न करने पर लदान पत्र या बिल्टी लौटा देनी चाहिये अन्यथा उसे विनिमय पत्र का भुगतान करना होगा । यहां शब्दों के कुछ हेर फेर के कारण लोगों को काफी कठिनाई का अनुभव करना पड़ता रहा है। वास्तव में हमारे अधिकारी सोये पड़े रहते हैं जब तक कोई अन्य व्यक्ति उन्हें नहीं जगाता। विधि आयोग ने इसकी सिफारिश १६५८ में की थी किन्तु संशोधन तैयार करने में दो वर्ष लग गये । फिर राज्य सभा द्वारा विधेयक पारित कर देने पर इतना विलम्ब किया गया कि वह व्ययगत हो गया और उसे अब फिर उसी प्रक्रिया में से गुज़रना पड़ेगा जब कि इसे यहां पास होने में एक घंटे से अधिक समय नहीं लगेगा ।

श्री सी० डी० देशमुख के मंत्रित्व काल में इस बात पर सभा में चर्चा हुई थी और मेरे कहने पर "सामान" की परिभाषा में से बिजली शब्द निकाल दिया गया था । ऐसा प्रतीत होता है कि जो भी मंत्री आता है वह सरकारी कर्मचारियों द्वारा उनकी इच्छा अनुसार हांका जाता है और ऐसा अभिलेख मंत्रालय में नहीं रखा जाता कि पहले किस बात का निर्णय किया जा चुका है । यदि ये अभिलेख न रखें जायें तो इस प्रकार समय नष्ट न हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

धारा ६६क में जो स्थानापन्न प्रस्ताव रखा जा रहा है वह बहुत बांछनीय है । अब जब कि राज्य सरकारों के बिक्री कर अधिनियम लागू होने वाले हैं यह संशोधन बहुत समयानुकल है ।

किन्तु मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । वह यह कि सड़क परिवहन की व्यवस्था काफ़ी प्रचलित हो गई है जब कि विधेयक में केवल लदान पत्र और "बिल्टी" शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका सम्बन्ध रेलवे परिवहन से है । अतः सड़क परिवहन सम्बन्धी शब्दावली का समावेश कर लेना चाहिये ।

श्री म० प० स्वामी (टंकासी) : मुझे हर्ष है कि इस अधिनियम का संशोधन किया जा रहा है । खण्ड २ में "भारतीय" शब्द का लोप किया जा रहा है, यह श्लाघनीय है । वास्तव में हमारी संविधि पुस्तिकाओं से ही भारतीय शब्द का लोप कर देना चाहिये । आजाद हो जाने के उपरांत इस शब्द की आवश्यकता नहीं रही ।

धारा ६४ का सशोधन की बहुत बांछनीय है । जल, गैस और बिजली को सामान की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा रहा ताकि इस सम्बन्ध में भ्रम पैदा न हो किन्तु मेरा निवेदन है कि मद्रास उच्च न्यायालय में बिजली की चोरी के बारे में एक मामला था । एक न्यायाधीश का मत था कि बिजली चोरी की जाने वाली वस्तु है जब कि दूसरे न्यायाधीश का मत था कि बिजली सामान की परिभाषा के अन्तगत नहीं आती । अतः यह आवश्यक है मंत्री महोदय बिजली को सामान की परिभाषा में रखने के बारे में विचार करें ।

†**विधि मन्त्री (श्री अ० कु० सेन)** : यदि श्री दाजी ने सर्वथा बेपरवाही से विधि मंत्रालय के विरुद्ध आयोप न लगाये होते तो उत्तर देने की कोई आवश्यकता ही न होती । यह खेद की बात है कि उस ओर से जब कभी आरोप लगाये जाते हैं तो सम्बन्धित सदस्य उत्तर सुनने के लिये उपस्थित नहीं रहता । माननीय सदस्य ने कहा था कि उस विषय को गत अधिवेशन में नहीं निबटाया गया जिससे मंत्रालय की अक्षमता लक्षित होती है । माननीय सदस्य अभी अभी संसद् में आये हैं अतः वे नहीं जानते कि किसी विधयक को शीघ्र पारित करवाने के लिए नहीं बल्कि अन्य विचारों के आधार पर मंत्रियों की एक समिति विधेयकों की प्राथमिकता का निर्णय करती है ।

इस विधेयक के राज्य सभा द्वारा पारित होने के उपरांत भारत के बिजली उपक्रमों के संघ से ज़ोरदार अभ्यावेदन आये थे कि बिजली के सामान को परिभाषा के अन्तर्गत रखा जाए क्योंकि बिजली का अन्तर्राज्यिक सभरण होना है और अनेक राज्यों के स्थानीय करों का बिजली के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । राज्य बिजली बोड इसके घोर विरोधी थे । राज्य सभा में विधेयक पारित होने के बाद सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय ने जोरदार अनुरोध किया कि इस में संशोधन किया जाए या सशोधित विधयक लोक सभा में पारित करवा कर राज्य सभा को भेजा जाए ताकि बिजली उपक्रम संघ और राज्य बिजली बोर्डों की आपत्तियों को पूरा किया जा सके । वास्तव में पहले तो सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय ने बिजली के सामान की परिभाषा के अन्तर्गत लाने का विरोध किया था । अतः १६६१ के दौरान इस विधयक को प्राथमिकता नहीं दी गई क्योंकि उस समय अधिक महत्वपूर्ण विधान उपस्थित थे जैसे कि निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण और दण्ड संहिता के संशोधन और साम्प्रदायिक तथा प्रान्तीय भावनाओं को समाप्त करने के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन सम्बन्धी विधान लाये गये थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सेन]

यदि विरोधी पक्ष के यह सदस्य इसे गत अधिवेशन में लाने के पक्ष में थे तो वे समिति से इस की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिये कह सकते थे। किन्तु क्योंकि इस विषय पर पुनर्विचार हो रहा था अतः इसे प्राथमिकता नहीं दी जा सकती थी।

इसे इस रूप में लोक-सभा में लाने से पूर्व विधि आयोग को भेज दिया गया था ताकि वे बतायें कि "सामान" की परिभाषा में ऐसा परिवतन लाना वे उचित समझते हैं अथवा नहीं। विधि आयोग ने सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय तथा राज्य बिजली बोर्डों की आपत्तियों पर विस्तारपूवक विचार किया और उ होंने किसी भी पक्ष में कोई राय नहीं दी। हमारा अपना विचार था कि वे बिजली, पानी और गैस को "सामान" की परिभाषा में लाने के पक्ष में नहीं है। जब तक इस मामले को चर्चा के लिय अन्तिम रूप दिया गया गत लोक सभा बंद हो गये और नये संसद् का प्रारम्भ हुआ। इसलि विधि मंत्रालय की अक्षमता का प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है। जब एक विधेयक विधि मंत्रालय से चला जाता है तो विधि मंत्रालय का उत्तरदायित्व समाप्त हो जाता है। फिर संसदीय प्रक्रिया द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कब एक विधेयक एक सभा से दूसरी में ले जाया जायेगा और किन प्रतिक्रियाओं पर सरकार विचार करेगी। सभा को स्मरण होगा कि जिस संविधान संशोधन अधिनियम का न्यायाधीशों की आयु आदि से सम्बन्ध है वह अभी तक संयुक्त समिति के पास पड़ा है। ऐसी स्थिति में विधि मंत्रालय क्या कर सकता है ?

समझ में नहीं आता कि उत्तरदायित्वपूर्ण संसद सदस्य कार्यशील और सेवानिष्ठ अधिकारियों पर कैसे आरोप लगा देते हैं। इस विधेयक का प्रभारी अधिकारी विधि आयोग का सचिव योग्यतम अधिकारी था और उसे अब पेटंट विधियों का प्रारूप तैयार करने के लिये नियुक्त किया गया है। ऐसे अधिकारी पर अक्षमता के आरोप का मैं घोर विरोध करता हूं। धन कर, आय कर और उपहार कर सम्बन्धी महत्वपूण अधिनियमों के प्रारूप इसी अधिकारी श्री राजगोपाल ने तैयार किये थे। विधयक को पेश करने की प्राथमिकता विधि तथा संसदीय कार्य समिति द्वारा दी जाती है।

एक सदस्य ने इस विधेयक से असम्बन्धित बात उठायी थी कि महान्यायवादी ने स्वीकार किया है कि भारतीय प्रतिरक्षा विनियम जहां तक निवारक निरोध के प्रश्न का सम्बन्ध है सविधान के अनुच्छेद १२ और १४ के विरुद्ध है। उन्होंने महान्यायवादी की इस स्वीकृति का विरोध किया।

यह तो स्पष्ट निष्कर्ष है कि वे नियम अनुच्छेद १२ के विरुद्ध हैं। सरकार, यह तक देती रही है कि सविधान निर्माताओं का यह विचार था कि आपातकाल में मूल अधिकारों का पालन संभव नहीं अतः सम्पत्ति अजन या अधिग्रहण के विभिन्न कदम उठाने होंगे अतः अनुच्छेद ३५९ आपातकाल में उपचारो पर रोक लगाने के लिये रखा गया था। इसमें बुराई क्या है? यह तक उच्चतम न्यायालय में रखा गया है कि अनुच्छेद ३५९ के अन्तर्गत राष्ट्रपति उद्घोषणा कर सकता है कि ऐसी विधियां बनाई जा सकती है जो मूल अधिकारों के विरुद्ध होंगी। अब उच्चतम न्यायालय को देखना है कि यह तक ठीक है अथवा नहीं। हम यह तर्क प्रस्तुत करने के लिए लज्जित नहीं हैं।

मैं जानता हूं कि कुछ सदस्य भारतीय प्रतिरक्षा नियमों के सवथा विरुद्ध हैं जिन्हें सरकार को विवश हो कर अपनाना पड़ा है और उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ी है जिन के विरुद्ध विध्वंशात्मक कार्यवाहियों के प्रमाण थे। जब इन कठोर नियमों की आवश्यकता नहीं

रहेगी तो हम एक दिन के लिये भी इन्हें जारी नहीं रखेंगे। देश में अन्य लोग हैं जो हमें ऐसी कार्यवाहियों के लिये विवश करते हैं ?

इंगलैंड में भी किराया खरीद विधि सामान की बिक्री अधिनियम में शामिल नहीं। हम भी अलग विधि बनाना चाहते हैं। विधि आयोग को अमल भेजा गया था और उसका प्रतिवेदन मिल गया है। अब लोक मत जानने के उपरांत उसे सभा में पेश किया जायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम १९३० में अग्रतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड २ से ५ पर कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं अतः उन्हें इकट्ठे मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है कि :

"कि खण्ड २ से ५ विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ से ५ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड १ (विधेयक का छोटा नाम) संशोधन किया गया

पृष्ठ १ पंक्ति ४ :

"1962" ["१९६२"] के स्थान पर "1963" ["१९६३"] रखा जाए (२)

[श्री विभुधेन्द्र मिश्र]

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया--

पृष्ठ १ पंक्ति १ :

" thirteenth " [" तेरहवां"] के स्थान पर " fourteenth " ["चौदहवां"] शब्द रखा जाए (१)

[श्री विभुधन्द्र मिश्र]

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :—

"कि अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**श्री अ० कु० सेन :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, सशोधित रूप में, पारित किया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

विधेयक में अन्य बातों के अलावा इस बात की व्यवस्था की गयी है कि ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों पर भी भविष्य निधि तथा उसके अधीन योगायोग के उपबंध लागू हो सकें ।

इस समय ७९ विभिन्न उद्योगों के ३६ लाख कर्मचारियों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है । इनमें से कई उद्योगों में ठेके दारों द्वारा भी श्रमिकों की नियुक्ति की जाती थी । यद्यपि संसद का उद्देश्य था कि मूल अधिनियम के अधीन ठेकेदारों द्वारा नियुक्त श्रमिक भी शामिल हों । वस्तुत. ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को मार्च १९६२ तक इस योजना के लाभ भी प्राप्त हो रहे थे । तथापि मार्च १९६२ को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय में उन्होंने कहा कि नियोजक ठेकेदारों द्वारा नियुक्त किये गये श्रमिकों से भविष्य निधि के रूप में कानून कोई राशि नहीं ले सकता है तथा ठेकेदार नियोजक को इस राशि के अधीन कुछ देने को वाध्य नहीं है । प्रस्तावित संशोधन से यह त्रुटि दूर हो जायेगी और नियोजक को ठेकेदार से यह राशि प्राप्त करने का अधिकार मिल जायेगा ।

हम ठेके के श्रमिकों की प्रथा उत्तरोत्तर दूर कर रहे हैं । त्रिपक्षीय सम्मेलनों में भी सभी इस मत के हैं कि ठेके के श्रमिकों के स्थान में विभागीय श्रमिक रखे जायें । इस संबंध में विधान विचाराधीन है, तथापि तब तक हम उन्हें भविष्य निधि के लाभ देना चाहते हैं । सभा इस बात से सहमत होगी कि यह एक वांछनीय कदम है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसके अतिरिक्त कई प्रक्रिया संबंधी संशोधन भी रखे गये हैं। ये भविष्य निधि की राशि को कुर्की से बचाने, भविष्य निधि का हस्तांतरण करने तथा विमुक्ति के संबंध में है। "मैन्यूफेक्चर" शब्द की परिभाषा कारखानों अधिनियम १९४८ के अनुरूप कर दी गयी है। केन्द्रीय प्रन्यास बोर्ड के विस्तृत उपबंध को अधिनियम में शामिल कर दिया गया है। भविष्य निधि के निरीक्षकों को और अधिक शक्तियां दी जा रही हैं जिससे कि वे अधिनियम को अच्छी तरह अमल में ला सकें।

मैं आशा करता हूं कि सभा के सभी पक्ष इस विधेयक का समर्थन करेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†श्री मुहम्मद इलियास (हावड़ा) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। वस्तुतः ठेकेदारों के अधीन श्रमिकों की दशा बहुत खराब है वस्तुतः वे बहुत समय से इसके लिये आन्दोलन कर रहे थे। इस संबंध में कई गैर सरकारी विधेयक और संकल्प सभा में रखे गये और उन में श्रम मंत्री ने यह आश्वासन दिया कि जब तक यह प्रथा समाप्त नहीं होती है तब तक कम से कम उन्हें वे लाभ तो प्राप्त होने चाहिये जो अन्य सदस्यों को प्राप्त होते हैं।

अधिनियम पारित करना ही काफी नहीं होगा। सरकार को इस संबंध में पूरी सतर्कता बरतनी होगी कि ठेकेदार अधिनियमों के उपबंधों का उल्लंधन न करें तथा श्रमिकों को इस योजना के लाभों से वंचित न करें। वस्तुतः कई अधिनियमों के अन्तर्गत श्रमिकों को लाभ प्राप्त है तथापि ठेकेदार उन्हें अमल में नहीं लाते हैं।

सरकार को चाहिये कि वे ठेका प्रणाली समाप्त करे। स्थायी प्रकार के कार्यों में ठेकेदारों को नियुक्त न किया जाये।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर): मैं संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं श्री इलियास की इस बात का भी समर्थन करता हूं कि ठेकेदारी की प्रथा समाप्त की जाये।

तथापि मैं सभा का ध्यान इस अवसर पर इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि कई नियोजकों पर भविष्य निधि के अंशदान की बड़ी बड़ी राशियां जमा हो गयी हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार ने उन बकाया राशियों को वसूल के लिये क्या कदम उठाये हैं?

निस्संदेह कुछ विशेष मामलों में विमुक्तियां दी जा सकती हैं तथापि सरकार को देखना चाहिये कि इस से श्रमिक गण लाभ से वंचित न होवें। सरकार को यह भी स्मरण रखना चाहिये कि कई नियोजक केवल श्रम विधियों से बचने के लिये अपने संस्थापनों का विभाजन कर देते हैं।

सरकार ने अनिवार्य जमा योजना लागू कर दी है। अब १२५ रु० मासिक पाने वाले व्यक्ति को भी कुछ न कुछ अनिवार्यतः जमा करवाना होगा। अतः भविष्य निधि में नियोजकों का अंशदान ६¼% से बढ़ाकर ८% कर दिया जाये।

इस बात से सभी सहमत हैं कि कि ठेके की प्रथा समाप्त कर दी जाये। कम से कम सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में इसे समाप्त कर दिया जाये। बारहवें श्रम सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि ठेके के श्रमिकों की प्रथा समाप्त कर दी जायेगी तथापि अभी तक कुछ नहीं किया गया। सरकार को यह बताना चाहिये कि क्या बारहवें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों पर अमल किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री स० मो० वनर्जी]

सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि भविष्य निधि की राशियां देने में अनुचित बिलम्ब न किया जाये । उपदान और भविष्य निधि की राशि पद निवृत्ति के तीस दिन के भीतर दे देनी चाहिये । यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाये तो उस के वारिशों को यह सारी रकम तीस दिन की अवधि के भीतर मिल जाये ।

†डा० मेलकोट (हैदराबाद): मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । वस्तुतः स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् से ही देश के प्रत्येक क्षेत्र के श्रमिक ठेके की प्रथा की समाप्ति की मांग कर रहे हैं। तथापि सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं किया है । भले ही इसके कुछ भी कारण हों ।

इस विधेयक के अन्तर्गत बड़ उद्योगों के समस्त श्रमिक आते हैं। तथापि मेरा सुझाव यह है कि यह ठेकेदारों के अधीन काम करने वाले सभी श्रमिकों पर लागू हो। वस्तुतः इस विधेयक के पारित होने पर भी ऐसे सहस्त्रों श्रमिक रहेंग जिन पर यह विधेयक लागू नहीं होगा ।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस अधिनियम पर कड़ाई से अमल किया जाये । अन्यथा श्रमिको को इस का लाभ प्राप्त नहीं होगा ।

†श्री काशीराम गुप्त: उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल की कुछ धाराओं का तो मैं स्वागत करता हूं जैसा कि मुझे से पहले बहुत से सदस्य बता चुके हैं। किन्तु इस में कुछ धारायें ऐसी जोड़ी गई हैं कि जिनको सरकारीकरण कहा जाए तो ठीक होगा । सब से पहले मैं माननीय मंत्री का ध्यान पृष्ठ २ में जो सेक्शन ४ है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें लिखा है:—

"(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधिकारियों में से पांच से अधिक व्यक्ति

(ग) ऐसे राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले १५ से अनधिक व्यक्ति, जिन्हें केन्द्रीय सरकार निहित करे ।

और उस के बाद ६ आदमी एम्प्लायर्स के होंगे और ६ आदमी एम्प्लाईज़ के होंगे ।

इस संबंध में मेरा यह निवेदन है कि रुपया देने वाले या तो मालिक हैं या मजदूर हैं। उनके सिर पर इतने आदमी बिठाए जांएं सरकार की तरफ से इसका क्या तात्पर्य है । पांच आदमी सेंट्रल गवर्नमेंट् के बिठाए गए हैं और १५ आदमी राज्य सरकार से लेकर बिठायेंगे । उन सब के बिठाने का तात्पर्य क्या होगा ? वे किसके हितों के लिए बैठेंगे ? अगर वे मजदूरों के हितों के लिए बैठेंगे तो उन के बजाय मजदूरों की संख्या बढ़ायी जा सकती थी, और अगर ये लोग मालिकों के हितों की रक्षा के लिए बिठाए जा रहे हैं, तो इतनी संख्या मालिकों के प्रतिनिधियों की बढ़ायी जा सकती थी। ये लोग बीच में किस के हित की रक्षा करेंगे यह माननीय मंत्री बताने की कृपा करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसका नतीजा यह होगा कि जैसाकि अभी श्री बनर्जी बता रहे थे कि और भी ज्यादा देर होगी । यह सरकारीकरण जो होता है यह तो अड़चने पैदा करने के लिये ही होता है और इसका और कोई नतीजा नहीं निकलता है । आज के युग में जब कि हम डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो इस में जिनका हित है उनको अधिक तादाद न देकर, जिनका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है उनको तादाद देना न्यायोचित नहीं है ।

इसी प्रकार से आगे जा करके इस में लिखा है कि इसके लिए सेंट्रल प्रावीडेंट कमिश्नर, डिप्टी प्रावीडेंट कमिश्नर और रीजनल प्रावीडेंट कमिश्नर होंगे और इन सब को तन्खाहें इसी में से दी जाएंगी । यह सिद्धान्त माना गया है कि प्रावीडेंट फंड पर और उसके ऊपर जो ब्याज हो उस पर केवल मजदूर का हक है और किसी का हक नहीं है । तो आप इस रुपये को किन कामों में लाएंग कि उस से इतना मुनाफा हो जाएगा कि ब्याज देने के बाद भी रुपया बचेगा और वह इन लोगों पर खर्च किया जाएगा ? और अगर ऐसी जगह लगाया भी जाए जहां से ज्यादा पैसा आव, तो उसका हक मजदूरों को हो सकता है और किसी को नहीं हो सकता । तो ये जो सरकार ने आदमी अपनी तरफ से बिठाए हैं इनका खर्चा देना सरकार का नैतिक कर्तव्य होना चाहिये । यह नहीं होना चाहिये कि जिसका मूंड उसकी भोगरी । यह उचित नहीं है कि इस फंड में से रुपया लेकर इन लोगों पर खर्च कर दिया जाए । यह बहुत आपत्तिजनक है । इस में जो पृष्ठ ५ पर सैक्शन ६ में लिखा है कि इन अफसरों की तनखाहें इसी फंड में से दी जाएंगी यह उचित नहीं है । सरकार को इनकी तन्खाहें अपने फंड से देनी चाहियें और इस फंड का इस्तेमाल मजदूरों को ग्रेचुएटी और पेंशन आदि देने के लिये होना चाहिये । अगर कोई इंडस्ट्री इतनी तगड़ी है कि वह इतना पैसा दे सकती है कि उसके ब्याज से ग्रचुइटी आदि दी जा सकती है तो वह दी जाए, न कि उस रुपये को इन अफसरों पर खर्च कर दिया जाए ।

स्टेट बोर्डस के बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है । सरकार को तफसील में बतलाना चाहिये कि उनके क्या कर्तव्य होंगे और उनकी आवश्यकता किस प्रकार है ।

इसमें एक जगह लिखा है कि ये जो एप्वाइंटमेंट किए जाए तो यूनियन पब्लिक सरविस कमीशन से पूछ कर किए जाएं । इस से अच्छा तो यह होता कि यूनियन पबलिक सरविस कमीशन को अधिकार होता कि वह नियुक्तियां करती बजाय इस के कि पहले नियक्ति कर ली जाए और फिर उनका कानकरेंस मांगा जाए । इस में जो इस प्रकार के नियम रखे हैं इनसे अड़चने ही पैदा होंगी और उन से उसकी जो आटोनामस पोजीशन है उस में भी बाधा आती है ।

इस में इंस्पेक्टर्स आदि को पावर्स दी गयी हैं कि वे रजिस्टर और वही खाते आदि उठा कर ले जा सकते हैं । पहले तो इसमें स्पेसिफिकली यह बतलाया जाना चाहिये कि किन रजिस्टरों आदि को वे ले जा सकते है, ताकि वे दूसरे रजिस्टरों को न ले जा सके । लेकिन रजिस्टरों को ले जाने के बजाय यह अच्छा होता कि इस में यह प्रावीजन रखा जाता कि उनके खास खास हिस्सों की कापी करके ले जाएं । अभी जो यह प्रावीजन है रजिस्तरों को ले जाने का यह घातक है और इस से भ्रष्टाचार के फैलने का अन्देशा है । मेरा यह निवेदन है कि इन अफसरों के हाथ में इतनी पावर्स न रहनी चाहिये । यह चीज ठीक प्रतीत नहीं होती ।

अन्त में मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि इस में पृष्ठ ५ पर यह लिखा है कि ये अफसर जो फैसले करेंगे प्रावीडेंट फंड के बारे में उन के बारे में एम्पलायर किसी कोर्ट आफ लॉ में नहीं जा सकते । मैं समझता हूं कि यह हमारे संविधान के भी खिलाफ है । और उसके व्यक्तिगत अधिकारों के भी खिलाफ है । अगर कोई समझता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो उसको कोर्ट आफ ला में जाने का अधिकार होना चाहिये, अन्यथा यह उसके प्रति अन्याय होगा । और इस पावर का इस्तेमाल अफसर गलत ढंग से कर सकते हैं ।

[श्री काशीराम गुप्त]

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जब कोई उद्योग इस कानून के तहत में लिया जाये तो यह अच्छी तरह से देख लेना चाहिए कि उसकी शक्ति कैसी है । यह भी देखना चाहिए कि उस उद्योग में जो लेबर है वह संगठित है या नहीं, स्थायी है कि नहीं और उस में जो रुपया लगता है और उस से जो उत्पादन हो रहा है उससे ऐसा मालूम होता है कि नहीं कि उद्योग की जड़ मजबूत हो गयी है । ये सब देखने की बातें होती हैं और इन चीजों को स्थान पर जाकर देखना चाहिए और उनकी जांच की जानी चाहिए ।

मैं निवेदन करूं कि यह मेरी जानकारी में है कि एक प्रदेश में एक रीजनल कमिश्नर ने शिड्यल में जो लिस्ट दी गयी है उसके आधार पर एक ऐसी फैक्टरी पर नोटिस सर्व कर दिया,इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री बता कर, जो कि बिजली के लिए लकड़ी का केसिंग तैयार करती थी । जब उन को बताया गया कि यह तो शिड्यूल में नहीं आती, तो, चूंकि वह फैक्टरी लड़कों के लिखने की स्लेट पेंसिल्स भी बनाती थी, उस से कहा गया कि यह स्टेशनरी के अन्तर्गत आती है । फैक्टरी वालों ने कहा कि आ कर जांच कर लीजिये कि इंडस्ट्री छोटी है या बड़ी है तो उनको धमकी दी गयी और कहा गया कि पहले फार्म को भर कर भेज दो । तो मेरा निवेदन है कि यह जो सरकार को काम करने की नीति है इसको बदलना होगा क्योंकि इस प्रकार शुबहा करते रहने से काम नहीं चलेगा कि ये लोग छुपाते हैं । इस बात की सही जानकारी करना अफसरों का कर्तव्य होना चाहिए । सही जानकारी नहीं की जाती उसी का नतीजा है कि उद्योग सही स्थिति में कायम नहीं रह पाता ।

मैं इस बात का तो समर्थन करता हूं कि अधिक से अधिक उद्योगों को प्रावीडेंट फंड स्कीम के तहत आना चाहिए, लेकिन वे कौन से उद्योग हों इसकी सहीजांच की जानी चाहिए । इसकी जिम्मेदारी रीजनल कमिश्नर की है । वह जो रिपोर्ट भेजता है उस पर भारत सरकार विश्वास करती है । अगर वह गलत रिपोर्ट भेज दे तो उस पर गलत निर्णय ले लिये जाते हैं और इससे हमारे देश के उद्योगों को बड़ा आघात पहुंचता है । इसलिए मैं इस ओर मंत्री महोदय का ध्यान खास तौर से दिलाना चाहता हूं कि जब भी ऐसी जांच हो तो उसके लिए कुछ खास निर्देश भेजे जाने चाहिएं कि पूरी जांच कर के तब आगे रिपोर्ट भेजी जाये । अन्यथा इस में समय और शक्ति बरबाद होती है और उसका नतीजा गलत निकलता है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे समय दिया ।

†**श्री काशीनाथ पांडे** (हाता) : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे देश में ठेके के श्रमिकों की बहुत दुर्दशा है इस प्रकार का विधेयक हमारे लिये अत्यन्त आवश्यक है । वस्तुतः ठेके के श्रमिक सभी क्षेत्रों में हैं कारखानों कोयला खानों इत्यादि में तथा उनका बुरी तरह शोषण होता है । दुःख की बात यह है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के रहते हुए भी उन्हें इस योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है ।

इस विधेयक से ठेके के श्रमिकों को भी भविष्य निधि योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा । तथा सम्बन्धित अधिकारी यह भी देख सकेंगे कि मजदूरों को निश्चित मजूरी ही दी जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अधिनियम को और अधिक व्यापक बनाया जाये जिससे कि कारखानों के वे सारे श्रमिक इसके क्षेत्र में आ जायें जो उस समय काम करते थे। भले ही वे लोग कारखाना अधिनियम के अन्तगत नहीं आते हों।

अन्त में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार इस अधिनियम का क्षेत्र अधिक विस्तृत करे जिससे कि इसकी कामगर परिभाषा के अधीन आने वाले सभी व्यक्ति इसके अन्तर्गत आ जायें।

अन्त में मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री वे० रा० पट्टाभिरामन** : मैं माननीय सदस्यों को उनके सुझावों के लिये बधाई देता हूं।

श्री इलियास ने ठेके के श्रमिकों के बारे में उल्लेख किया। ठेकेदारी का विनियमन और समाप्ति के लिये एक विधेयक बनाया जा रहा है। यदि ठेकेदारी से मजदूर रखे भी जायें तो उनके हितों की रक्षा करनी होगी। वर्तमान अधिनियम से ऐसा करने का प्रयत्न किया गया है। हम स्थिति में सुधार करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं।

मैं श्री स० मो० बनर्जी को यह बताना चाहता हूं कि कुल बकाया राशि २ प्रतिशत से भी कम है। इस सम्बन्ध में मुकदमे चलाये जाते हैं और बकाया राशि की वसूली की जाती है। तथापि इस से कामगरों को नुकसान नहीं होता है क्योंकि हम उन्हें रक्षित निधि से देते हैं।

जहां तक संस्थापनों के विभाजन का प्रश्न है, जहां कहीं भी इस प्रकार का कदाचार देखा जाता है मुकदमे चलाये जाते हैं। हम श्रमिकों को इस प्रकार के कदाचारों से बचाने का प्रयत्न करते हैं।

अब मैं अनिवार्य जमा योजना को लेता हूं। हम अधिनियम में इस प्रकार का संशोधन कर रहे हैं कि स्वेच्छा अंशदान का प्रतिशत बढ़ कर १२ प्रतिशत हो जायेगा इससे उन्हें स्वयं विमुक्ति मिल जायेगी। पाँच उद्योग इसके अन्तर्गत आ गये हैं १७ अन्य उद्योगों पर यह अधिनियम लागू होने वाला है। जहां तक भुगतान का प्रश्न है ६३ प्रतिशत मामलों में भुगतान १० दिनों के अन्दर हो जाता है, १७ प्रतिशत का ५ दिनों के अन्दर हो जाता है। केवल ८ प्रतिशत को एक महीने के भीतर होता है।

श्री गुप्त ने कहा कि सरकार के २० प्रतिनिधि होते हैं जब कि अन्य दो पक्षों के केवल ५, ५ प्रतिनिधि होते हैं। कारण यह है कि सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व मिलता है। जहां तक संघ लोक सेवा आयोग का प्रश्न है विमुक्ति के समय सदैव उसकी सलाह ली जाती है। जहां तक इस योजना को सभी उद्योगों में लागू करने का प्रश्न है। लागू करने के पूर्व बड़ी सावधानी से सर्वेक्षण किया जाता है। अब तो वितरण केन्द्र, संस्थापन तथा उनकी शाखाओं को भी इस विधेयक के अन्तर्गत ले आया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालयों में बहुत अधिक काम रहता है। सारा कार्य प्रन्यास बोर्ड को करना होता है। उनके द्वारा सरकार कामगरों की सहायता करती है। लगभग २०० करोड़ रुपये इस निधि में जमा होते हैं।

वस्तुतः हम आपातकाल में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस से सीमांत क्षेत्रों में काम करने में अड़चनें पड़ेंगी। क्योंकि सीमांत क्षेत्रों के कुछ निवासी आदिवासी तो दलों में आकर ही काम करते हैं। यह ठेकेदारी का ही एक रूप है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : विधेयक में कोई संशोधन नहीं रखे गये हैं ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३ से १४ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

†**विधि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता, १९०८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाय ।"

यह बहुत ही साधारण सा विधेयक है । इसका उद्देश्य यह है कि मूल अधिनियम की धारा ६० और ८० में संशोधन करना है । धारा ६० में यह बताया गया है कि प्रतिधारण की डिग्री के अतिरिक्त किसी भी अन्य डिग्री के प्रतिपादन में वेतन के प्रथम १०० रुपये और बकाया के आधे रुपये कुर्क नहीं किये जा सकते । अब हम निम्न आय वाले सरकारी कर्मचारियों के अभ्यावेदन पर इस १०० रुपये की सीमा को बढ़ा कर २०० रुपये करना चाहते हैं । क्योंकि आजकल महंगाई का जमाना है ।

धारा ८० के संशोधन में यह कहा गया है कि यदि भारत भर में कहीं भी जम्मू तथा काश्मीर राज्य सरकार के विरुद्ध दावा दायर किया जाये तो दो महीने का नोटिस देना होगा । यह अधिनियम जम्मू तथा काश्मीर में लागू नहीं होगा और इसलिए जहां तक उस राज्य का सम्बन्ध है, इससे कठिन स्थिति पैदा हो गयी है । उन की प्रार्थना करने पर ही इस में धारा ८० को शामिल कर संशोधन किया जा रहा है । जम्मू तथा काश्मीर सरकार की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य में भी ऐसा ही कानून होगा । परन्तु हम ने जल्दी के कारण इसे प्रस्तुत कर दिया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : यह बड़ा सरल विधेयक था और समय के साथ इसकी जरूरत थी। महंगाई भत्ते के वेतन के साथ मिल जाने से इसकी जरूरत और भी बढ़ गयी थी। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। परन्तु इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि विधयक के इन सिद्धान्तों को अन्य क्षेत्रों पर भी लागू किया जाय। इसे किसानों पर तथा दूकानदारों पर भी लागू किया जाय। छोटे-छोटे दुकानदारों की आय तो सरकारी कर्मचारियों के वेतनों से भी बहुत कम है। यह आय ५० रुपये से २०० रुपये तक थी। इस संदर्भ में मैं कानपुर से उस केस का उल्लेख करना चाहता हूं यहां सरकार सब साधनों के बावजूद १७ लाख रुपये वसूल नहीं कर सकी।

धारा ८० के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। इसका प्रारूप एक बार फिर बनाया जाना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि सरकार को कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है तो लोगों को भी हानि नहीं होनी चाहिए।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपूर) : यह ठीक है कि १५० रुपये वेतन लेने वाले की कुर्की नहीं होगी। परन्तु महत्वपूर्ण समस्या यह है कि लोगों को कर्जा ही क्यों लेना पड़ता है। परन्तु मेरा यह भी निवेदन है कि यह विधेयक कम आय वाले छोटे-छोटे दुकानदारों पर भी लागू होना चाहिए। सरकार को यह देखना चाहिए कि क्या कोई ऐसा विधान लाया जा सकता है जिससे अधिक ब्याज पर रुपया उधार देने को रोका जाय। उद्योगों क्षेत्रों में तो इससे सारा श्रमजीवी वर्ग तबाह हो रहा है।

श्री यशपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल ५५ साल पहले लाया गया था। जो बिल ५५ साल पहले लाया गया था उस को दुबारा ठीक करने से कुछ नहीं होगा। पहले १०० रु० की जो वैल्यू थी वह वैल्यू आज १२०० रु० की है और जो आदमी आज १५० या २०० रु० माहवार पाता है उसको एग्जेम्प्ट करना कुछ माने नहीं रखता है। जो शक्स कम से कम ५०० रु० माहवार पाता है उसकी सैलरी को ही अटैच किया जाना चाहिये। ५०० रु० माहवार से कम पाने वाले की सैलरी अटैच नहीं की जानी चाहिये। हम ने वादा किया था कि यह कंट्री डेटलेस होगी। जो आदमी रुपया देने वाला है वह १०,००० रु० लिखवाता है और उस के बाद १ ००० रु० देता है, वह उसकी सैलरी के पीछे नहीं है। जो कुछ कचहरी से मिलता है या जो कुछ सेक्रेटेरियट से मिलता है, किसी आफिस से मिलता है, उसके पीछे वह नहीं है रुपया देने वाला जेवर देखता है या उस की जायदाद देखता है, उसकी लैंडेड प्रापर्टी को देखता है जो उसके पास होती है लेकिन जो तनख्वाह सरकार देती है वह बाल बच्चों की गुज़र औक़ात के लिये देती है। उस तन्ख़्वाह को अटेच कराने का अधिकार साहूकार को नहीं होना चाहिये, और अगर हो भी तो ५०० रु० की सैलरी के बाद होना चाहिये। जिसको १२०० रु० माहवार मिलता है उसकी सैलरी को वह सीज करा सके, उस को अटैच करा सके, यह होना चाहिये। कारण यह है कि आज से ५५ साल पहले जो कीमत १०० रु० की थी वह आज १२०० रु० की है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जो ५५ साल पहले का बना हुआ कानून है उसकी ओवरहालिंग की जाय और उसको रिप्लेस करने के लिए नया बिल लाया जाय। उस में जो ५०० रु० माहवार से ऊपर पाने वाले जो लोग हों उनकी सैलरी को अटैच कराने का राइट सिर्फ होना चाहिये। महात्मा गांधी जी ने जो वादा किया था कि यह कंट्री डेटलेस होगी, वह वादा आज पूरा होना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन यह कुछ आगे बढ़े।

श्री दाजी : ५०० रु० टैक्स देने के बाद या टैक्स देने के पहले ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री यशपाल सिंह : टैक्स देने वाले थोड़े से आदमी हैं। २० आदमियों से टैक्स ले लिया जाय और सब को एग्जेम्ट कर दिया जाय, तो भी कोई हर्ज नहीं है ।

†**श्री विभुवेन्द्र मिश्र** : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सभी माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन किया है । श्री दाजी ने जो यह सुझाव दिया है कि इसे अन्य दिशाओं में भी लागू किया जाना चाहिए । इस बारे में मेरा निवेदन है कि मामला विधि आयोग के सामने है, कुछ अभी मैं कह नहीं सकता, परन्तु माननीय सदस्यों के सुझावों पर विचार अवश्य किया जायेगा । मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि जब १६०८ में संहिता का निर्माण हुआ था उस समय यह सीमा २० रुपये थी। १६२३ में इसे ४० रुपये किया गया । १६३७ में इसे बढ़ा कर १०० रुपये कर दिया गया । अतः मूल रूप में यह १५० रुपये न हो कर २० रुपये थी, जैसेकि श्री यशपाल सिंह ने कहा था । वर्तमान संशोधन तो इतने तक ही सीमित है ।

विधि को कर्जदार और लेनदार के बीच सन्तुलन रखना ही होगा । ५०० रुपये से कम वेतन के कुर्क न होने दिये जाने का सुझाव स्वीकार नहीं किया जा सकता । इस विधेयक का यह उद्देश्य बिलकुल भी नहीं कि ऋणदाता को उसके अधिकारों से बिलकुल वंचित कर दिया जाय इन शब्दों से, मैं इस विधेयक को पारित करने की सदन से सिफारिश करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है

"कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता, १६०८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब इस पर खंडवार चर्चा होगी इस पर संशोधन कोई भी नहीं है । मैं इन्हें एक साथ प्रस्तुत करता हूं । प्रश्न यह है :—

"कि खंड २, ३ और १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २, ३ और १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री विभुवेन्द्र मिश्र** : श्रीमान् जी, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों का निष्कासन) संशोधन विधेयक

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : श्रीमान् जी, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत रूप में कब्जा करने वालों का निष्कासन) अधिनियम १९५८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए मेरा विचार एक लम्बे भाषण को करने का है । इस विधेयक में जो भी सिद्धान्त है वह तो १९५८ में ही स्वीकार कर लिया गया था । मुझे आप को बताना है कि पांच वर्षों के बाद इस में संशोधन करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई । यह अधिनियम इसलिए बनाया गया था ताकि दिल्ली में वह सभी सरकारी स्थान जिन पर अनधिकृत रूप में लोगों ने कब्जा कर रखा है, खाली करवाये जायें । और इस तरह दिल्ली का समुचित विकास किया जा सके । परन्तु पिछले कुछ वर्षों के अनुभव ने हमें बताया कि इस तरह काम नहीं चल सकेगा । १९६०–६१ में दिल्ली में पटरियों पर बैठे लोगों की संख्या ४३,००० थी । गत वर्ष यह ५०,००० हो गयी, शायद अब यह संख्या ६०,००० हो गयी हो । हमें पता चला कि हमारे पास स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए अनेक स्थान हैं, परन्तु उन पर अनधिकृत व्यक्तियों ने कब्जा कर रखा है । जिस उद्देश्य के लिए वह भूमि है, वह उद्देश्य नष्ट हो गया है । अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों को कानूनी तौर पर एक जगह से हटाये जाने के बाद अगले दिन वे फिर कब्जा कर लेते हैं । क्योंकि इसमें अपील की व्यवस्था है । अतः हजारों गलत अपीलें अदालतों में हो गयीं । यद्यपि लगभग ७० से ८० प्रतिशत अपीलें प्राय रद्द ही हुई हैं । अतः इन कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से यह विधेयक लाया गया है, ताकि इस अधिनियम के उपबन्धों को ठीक ढंग से कार्यान्वित किया जा सके ।

कहा जायेगा कि हम इन ५०,००० लोगों को तबाह करना चाहते हैं । ऐसी बात नहीं है । गत एक वर्ष में उन सभी अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों को जिन की वर्ष १९६०-६१ की जनगणना में गणना हो गई थी, वैकल्पिक आवास देने के लिए हम ने दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी योजना बनाई है । इस योजना के लिये हम ने १० करोड़ रुपये की व्यवस्था की है हम इस के लिए भी तैयार हैं कि यदि इन में से कुछ लोग छूट गये हों तो उन्हें शामिल कर लिया जाय । अतः मेरा निवेदन यह है कि इस कार्य में मैं सभी माननीय सदस्यों का सहयोग चाहता हूं । सभी को मेरा समर्थन प्राप्त होना चाहिये ।

आज की व्यवस्था के अनुसार लम्बे अर्से के नोटिस दिये जाते हैं, १०, १५, ३०, ६० और ९० दिन तक के नोटिस । न्यायिक कार्यवाही काफी लम्बी चलती है । इस विधेयक द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि न्यायिक कार्यवाही को छोटा किया जाय । इस बात का उपबन्ध किया गया है । यह भी देखा गया था कि कार्यवाही के दौरान अस्थायी तौर पर रोक आदेश जारी किये जाते हैं इन से भी काफी देरी हो जाती थी । सरकारी स्थान से निष्कासित किये गये यदि किसी व्यक्ति को वैकल्पिक आवास स्थान दे दिया गया हो, और वह पुनः उसी स्थान का अनधिकृत कब्जा कर ले तो उसे अपराधी माना जायेगा । क्योंकि इस तरह के मेरे पास बहुत मामले हैं एक व्यक्ति को १८ जनवरी १९६३ को हटाया गया, उस का नाम हरीश्चन्द था । वह १९ जनवरी, १९६३ को पुनः आकर वहां जम गया । इस तरह के कई मामले हैं । हमारी नीति बहुत ही नर्म रही है आखिर दिल्ली में आबादी बढ़ रही है

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

यदि हमें अपनी दिल्ली के विकास की योजनाओं को कार्यान्वित करना है तो भूमि तो अर्जन करनी ही होगी। जब हम गाजियाबाद अथवा फरीदाबाद के किसानों से भूमि लेते हैं तो उन्हें मुआवजा भी दिया जाना चाहिए और उन्हें ठीक ढंग से पुन: बसाना भी चाहिये परन्तु इस से पूर्व कि हम किसी की भूमि अर्जित करें हमें यह भी देखना है कि सरकार की अपनी भूमि का पूरा उपयोग हो गया है। यह उद्देश्य इसलिए पूरा नहीं हो सका, क्योंकि अधिनियम में दोष रह गये थे।

मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि इस मामले के बारे में दिल्ली की सलाहकार परिषद् में भी विचार हो चुका है। उसका सम्बन्ध गृह-कार्य मंत्रालय से है। वह इस संशोधन से सहमत है। दिल्ली के महापौर तथा नयी दिल्ली नगरपालिका से भी इस मामले में परामर्श कर लिया गया है। वे भी इस संशोधन से सहमत हैं। इस बारे में काफी सोच विचार कर कदम उठाया गया है। जो लोग जनगणना में छूट गये थे,उन्हें भी ८० गज का प्लाट दे देंगे। कैम्पों के पास हम २५ गज दे रहे हैं। हम लगभग७,८०० लोगों को ऐसे स्थानों से हटा चुके हैं, जिन में से ७१०० को वैकल्पिक स्थान मिल चुका है ७,८०० में से केवल ७०० लोगों को प्लाट देना सम्भव नहीं हुआ। अत: अब इस विधेयक को पारित करने की आवश्यकता है। बहुत से ऐसे स्थान हैं जोकि संसद् सदस्यों के लिए हैं परंतु उन्हें दूसरे लोग प्रयोग में ला रहे हैं। दिल्ली की जनसंख्या में प्रतिवर्ष १$^{1}/_{2}$ लाख लोगों की वृद्धि हो रही है। दिल्ली की जनसंख्या १९४७ में ७ और ८ लाख थी, अब यह २७ लाख है। मैं इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव को सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने के सम्बन्ध में संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : विधेयक तथा यह संशोधन दोनों सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं।

†**श्री दाजी** : माननीय मंत्री ने इस कड़े कानून को बड़े नर्म शब्दों से पारित कराने का प्रयत्न किया है। मैं इस विधेयक से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। यह ठीक है कि अनधिकृत कब्जा करने वाले लोगों को निकाल दिया जाना चाहिये। परन्तु संसद् सदस्य के घर के अनधिकृत कब्जे की बात पर मुझे बहुत खेद है।

†**कुछ माननीय सदस्य** : पर यह बात उन पर तो लागू नहीं होती।

†**श्री दाजी** : यदि अदल बदल हो, तो उन पर भी इसका असर पड़ेगा।

†**एक माननीय सदस्य** : कष्ट गरीब को होता है।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : हम सरकारी भू-गृहादि अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही कर रहे हैं।

†**श्री दाजी** : सारा प्रश्न यह है कि हमें तथ्यों का सामना करना है। दिल्ली में और बाहर भी, लाखों व्यक्ति ऐसे हैं, जो कानून की दृष्टि में अनधिकृत रूप से रहे हैं किन्तु उन्होंने स्थानों पर कब्जा किया हुआ है और कब्जा ही ९९ प्रतिशत कानून है।

मंत्री महोदय ने कहा है कि अनधिकृत कब्जे वाले व्यक्तियों को हटाने के दो उद्देश्य हैं। पहला यह कि अनधिकृत कब्जे को समाप्त किया जाये, दूसरा यह है कि झुग्गियों झोपड़ियों आदि को साफ

†मूल अंग्रेजी में

किया जाये ताकि शहर का नियमित और योजनाबद्ध विकास हो सके किन्तु मूल सिद्धांत यह नहीं होना चाहिये, बल्कि मानवीय भावना होनी चाहिये ।

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए]

सरकार यह समझती है कि आयोजित विकास का अर्थ है नगरों को सुन्दर बनाना । वह यह नहीं समझती कि लोगों को उचित आश्रय देना इस से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है । अतः इस विधेयक का वास्तविक उद्देश्य झुग्गी, झोंपड़ी वालों को निकालना है । किन्तु मैं पूछना चाहूंगा ।क यदि उनको रहने के लिये अन्य स्थान दे दिये जाये, तो वे अनधिकृत रूप से रहेंगे ही क्यों ? वे तो बड़ी खुशी से वैकल्पिक स्थानों पर जाने के लिये तैयार होंगे ।

आप को मालूम है कि कामराज योजना के अन्तर्गत कुछ मंत्रियों को सेवा से मुक्त कर दिया गया है । किन्तु उन्हें अपने लिए पहले से ही वैकल्पिक स्थान चुनने का अधिकार दे दिया गया है । किन्तु जब आप शरणार्थियों की झुग्गियों, झोपड़ियों को गिराते है, तो क्या आप उन्हें अन्य स्थान देते हैं ? दोनों मामलों में अलग-अलग सिद्धांत क्यों लागू किये जाते हैं ।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** (करूर) : सेवा निवृत होने वाले मंत्रियों को शरणार्थियों के बराबर समझना उचित नहीं है ।

†**श्री दाजी** : १९५१ में सरकार द्वारा दिया गया आश्वासन कि उन सभी लोगों को वैकल्पिक स्थान दिया जायेगा, जिन्होंने १५ अगस्त, १९५० को सरकारी भूमियों और स्थानों पर अनधिकृत कब्जा कर रखा था, अभी तक पूरा नहीं किया गया । दिल्ली की बहुत सी बस्तियां उस आश्वासन के विप- रीत अभी तक अनधिकृत मानी जा रही हैं । यह बात आश्वासन समिति के १९५५ के प्रतिवेदन में बताई गई है । यदि अब उन बस्तियों को गिरा दिया जाय, जिनमें लगभग ९ या १० हजार मकान हैं, तो आप उन्हें क्या वैकल्पिक स्थान देंगे ।

प्रधान मंत्री प्राय कहते रहते हैं कि गन्दी बस्तियों को जला देना चाहिये । क्या उनको मशाल दिखा देने से समस्या हल हो जायेगी ? मैं समझता हूं कि यह समस्या योजनाबद्ध विकास और मानवीय दृष्टिकोण में सन्तुलन स्थापित करने से हल होगी । यदि यह एक शर्त बना दी जाये कि किसी व्यक्ति को बिना वैकल्पिक स्थान दिये नहीं निकाला जायेगा, तो इस विधेयक के प्रवर्तन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ।

दो तीन और बातें जो इस विधेयक के द्वारा की गई हैं ये हैं कि नोटिस की अवधि और अपील दायर करने की अवधि को घटा दिया गया है । मुझे अपील दायर करने की अवधि को ३० दिन से घटा कर १५ दिन कर देने पर बहुत आपत्ति है । कोई व्यक्ति १५ दिनों में कैसे अपील के लिये प्रबन्ध कर सकता है । मुझे उन उपबन्धों पर और अधिक आपत्ति है जिनके द्वारा विधि की प्रक्रियाओं से खिलवाड़ किया गया है, जैसा कि न्यायालयों के व्यादेश देने पर पाबन्दी लगा दी गई है । इस प्रति- बन्ध के द्वारा विधि शासन बिल्कुल समाप्त हो जायेगा, क्योंकि इस संशोधन के पारित होने के बाद अवैध आदेशों को रोकने के लिये भी न्यायालय व्यादेश नहीं दे सकेंगे ।

अतः मैं इन संशोधनों को बहुत कठोर, निर्दयतापूर्ण और अर्थहीन समझता हूं । सदन को यह विधेयक पारित नहीं करना चाहिये ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : श्री स० मो० बनर्जी ने विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव किया है यदि माननीय मंत्री इसे स्वीकार नहीं करना चाहते, तो वे स्वयं ऐसा एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरि विष्णु कामत]

सदन को ज्ञात है कि वह सरकार जिसका कि श्री मेहर चन्द खन्ना एक महत्वपूर्ण अंग या सदस्य हैं, कुछ सिद्धांतों को मानती है और वे सिद्धांत समाजवादी समाज के नमूने पर आधारित हैं। मुझे विश्वास है कि श्री मेहर चन्द खन्ना प्रजातन्त्रात्मक समाजवाद में विश्वास करते होंगे। ऐसे समाज में प्रत्येक व्यक्ति को खाद्य, कपड़ा और आवास देना अनिवार्य है। श्री मेहर चन्द खन्ना आवास के प्रभारी मंत्री हैं और यह एक महत्वपूर्ण विभाग है। मैं उन्हें याद नहीं दिलाना चाहता कि वे भी एक प्रकार के शरणार्थी हैं। किन्तु कांग्रेस दल की दया से उन्होंने अपना पुनर्वास तो पूरा कर लिया है। मैं चाहता हूं कि जिस तरह उन्होंने अपना पुनर्वास कर लिया है, इसी तरह उन अभागे शरणार्थियों का भी करें और उनके सिरों पर कम से कम छत का तो प्रबन्ध करें।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : हम इस समय शरणार्थियों की चर्चा नहीं कर रहे। हम सरकारी भू-गृहादि में अनधिकृत रूप से रहने वालों को निकालने की चर्चा कर रहे हैं। इस समय पुनर्वास मंत्रालय की मांगों पर बहस नहीं हो रही है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : अनधिकृत कब्जे वाले व्यक्ति कौन हैं और उनकी संख्या क्या है ? उन में से कितने ऐसे हैं जो शरणार्थी हैं और विभाजन के बाद यहां आये हैं ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : वे शरणार्थी नहीं हैं, अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : आप ऐसा कह सकते हैं, किन्तु यहां आने से पहले वे क्या थे ?

श्री दाजी की मांग बिल्कुल न्यायोचित है कि सरकार ऐसे व्यक्तियों को नोटिस देने से पहले, उन्हें वैकल्पिक स्थान दे और उनको सड़कों पर न फेंक दें यदि ऐसा किया गया, तो वह उन सिद्धांतों का दिवाला होगा, जिस में सरकार विश्वास करने का दावा करती है। मैं दिल्ली के विकास के पक्ष में हूं किन्तु योजनाबद्ध विकास का अर्थ यह नहीं कि हजारों लोगों को बेघर कर दिया जाये।

विधेयक का एक खंड के द्वारा निष्कासन के आदेशों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। जैसा कि उद्देश्यों और कारणों के विवरण में बताया गया है, न्यायालयों को व्यादेश जारी करने का अधिकार नहीं होगा। इसका परिणाम यह होगा कि सरकारी अधिकारी मनमानी करवाई करने लगेंगे। न्यायालयों को निष्कासन के मामलों में व्यादेश देने की शक्तियों से वंचित नहीं किया जाना चाहिये।

अपील करने की अवधि को ३० दिन से घटा कर १५ दिन कर दिया गया है। क्या यह उचित है ? क्या इतने समय में वकीलों की सलाह आदि लेने और अन्य प्रबन्ध करने की व्यवस्था हो सकती है। उन्हें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिये।

अन्त में मैं मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि इन हजारों अभागे लोगों को निकालने से पहले उन्हें वैकल्पिक स्थान दिया जाये।

श्री नवल प्रभाकर (दिल्ली—करालबाग) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक हमारे सामने उपस्थित है इस बात से कोई भी सहमत नहीं होगा कि कोई व्यक्ति सरकारी जमीन के ऊपर अनधिकृत रूप से आकर कब्जा कर ले और वह वहां बैठा रहे। श्रीमान्, सन् १९४७ में जब देश का बंटवारा

---

†मूल अंग्रेजी में

हुआ तो लोग इधर आये और उस समय जो वहां भी बैठ सकता था वह बैठ गया। माननीय खन्ना जी ने बहुत प्रयत्न किया है बसाने के लिये और अभी भी इस ओर प्रयत्न कर रहे हैं और हमें आशा होती है कि वे सबको बसा देंगे। किन्तु कुछ ऐसी कठिनाइयां आ जाती हैं बीच में प्रशासनिक, जिनके कि कारण सरकार जो कुछ कर पाती है उसका अंश उस को नहीं मिलता है। उसी बात को माननीय मंत्री को बतलाना चाहता हूं।

सन् १९४७ में लोग यहां आये और वे बैठ गये। उसके बाद यहां पर इसी सदन के अन्दर सन् १९५१में एक आश्वासन दिया गया था माननीय गाडगिल साहब की ओर से और उसमें यह कहा गया कि १५ अगस्त १९५० तक जो लोग बैठ गये थे उनको हम बदले में जगह देंगे और उन्होंने उन जगहों के ऊपर जो भी स्टक्चर्स ढांचे वगैरह बनाये हुए हैं, उनका हम जो बन पड़ेगा,मुआविजा देंगे। यह शब्द उन्होंने यहां पर इसी हाउस में कहे थे। उसके बाद आश्वासन दिया गया और उस आश्वासन को बारबार इस हाउस के अन्दर फिर दुहराया गया। स्वर्गीय पंडित ठाकुर दास भार्य ने इस बारे में प्रश्न किया था और उस प्रश्न के उत्तर में भी रेड्डी साहब, जो कि उस बक्त सम्बन्धित मिनिस्टर होते थे, उन्होने भी यह कहा था कि नहीं जो आश्वासन पहले दिया हुआ है वह अभी भी मौजूद है। अभी माननीय मिनिस्टर का जब भाषण सुन रहा था तो उन्होने भी इस बात को दुहराया है कि हां, हम उनको जगह देंग। यह मैं जानता हूं कि आप जगह देंगे। यह सही है किन्तु मुझे यह कहना है जिनको आप जगह दे रहे हैं क्या वह वास्तव में रहने लायक जगह है? अब आपने कहा कि हम इनको यहां से हटा कर कैम्पिग साइट पर ले जायेंगे। कैम्पिग साइट पर ले जाने के बाद दखेंगे कि कौन कैसा है और उसके अनुसार उनकों तब बसायेंग। मैं आपकी जानकारी के लिये बतला भी दूं कि आजकल जो लोगों को उठाया जाता है वह इस तरह से उनको उठाया जाता है कि उसमें मानवता नाम को तो कोई चीज ही नहीं है। एक बस्ती के चारों तरफ घेरा डाल दिया जाता है। उसमें कुछ मिलैटरी होती है, कुछ पुलिस होती है और जितनी भी यहां की एथारिटीज हैं, उन सब के आदमी उसमें होते हैं। कारपोरेशन का भी एक आदमी होता है। डी०डी०ए० का भी एक आदमी होता है, लैंड और डवलपमेंट एथारिटी का भी एक आदमी होता है। वे सारे आदमी वहां अंधरे में जाकर एक-दम से चारों तरफ से घेरा डाल कर छापा मारते हैं। छापा मार कर कहते हैं कि निकलों यहां से और उनको ट्रकों में डाल कर दूर ले जाकर फेंक देते हैं। उनको फेंकने के लिये जो स्थान चुना गया है वह मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। मैं वहां गया हूं और मैंने उनकी हालत वहां पर देखी है। मंत्री महोदय ने दिल्ली की एडवाइजरी कमटी की बात कही। दिल्ली की एडवाइजरी कमेटी की जब बात कही तो मैं उनको याद कराना चाहता हूं कि हमने यह भी तय किया था कि जो कैम्पिग साइट बनेगी और वहां पर जो झुग्गी झोंपड़ी के लोग ले जाकर बैठाये जायेंगे उन के वास्ते वहां एक प्लेटफार्म बनाया जायगा। प्लेट-फार्म के ऊपर पानी का नलका होगा। वहां पर बिजली होगी। वहां गंदगी न फैल सके इसके लिये सीवर सिस्टम की व्यवस्था वहां पर होगी। इस तरह की बात तय की गयी थी लेकिन अब जो कैम्पिग साइट मैंने देखी है अगर वह वास्तव में कैम्पिग साइट है तो वह बदतर अवस्था है।

श्रीमन्, आप के ही इलाक़े से लोगों को उठाया गया, पूसारोड से। पूसा रोड से उठा कर वहां इंद्रपुरी के पास ले जा कर डाल दिया गया। एक हैंड पम्प वहां पर लगा दिया गया है जिसमें आधा पानी और आधी मिट्टी आती है। वह गंदला पानी वह पीते हैं। खुले में पड़े हैं। आज भी पड़े हुए हैं। ऊपर से बारिश आती है और धूप आती है और नल और बिजली वग़ैरह का जो वायदा किया गया था उसकी व्यवस्था वहां पर नहीं है।

इस के अलावा यह जो २५ गज़ ज़मीन की बात है तो वह भी सब को २५ गज़ ज़मीन नहीं मिलती है। भले ही हम लोग यहां कोई बात तय कर लें, सही ढंग से कोई बात कह दें और तय कर दें लेकिन मैं ने यह देखा है कि प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं वे उसको सही तौर अमल में नहीं लाते

[श्री नवल प्रभाकर]

हैं। प्रशासन के अन्दर इतना भ्रष्टाचार है कि वह उसको चलने नहीं देना चाहते और लोगों को इतना परेशान और दुखी करते हैं कि वे बेचारे दुख के मारे बिलबिला जाते हैं। इसलिए मैं बतलाना चाहता हूं कि वहां पर २५ गज़ का केवल नाम लिया गया है लेकिन उनको वास्तव में १५ गज़ ज़मीन भी नहीं दी गई है। सिर्फ लाइनें लगा दी गई हैं और कह दिया गया है कि यह तुम्हारा है और उसके आगे फिर लाइनें लगा दी गई हैं और दूसरे से कह दिया गया है कि यह तुम्हारे लिए है। इस तरीक़ से एलान कर दिया गया। कोई डिमारकेशन वग़ैरह नहीं किया गया है। इस तरह से वहां पर यह किया गया है। मैं स्वयं जाकर देख आया हूं राजौरी गार्डन के सामने आप ने ८०—८० गज़ के प्लाट दिये थे। उसके पीछ कुछ गड्ढे वाली ज़मीन थी और उसमें कुछ भट्टों की ज़मीन थी। पहले वहां ईंटें पका करती थीं। बरसात के दिनों में जब मैं गया तो मैं ने देखा कि वहां पानी भरा हुआ है झुग्गी झोंपड़ी वाले जहां बैठ थे वहां सब पानी भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि हम लोगों के लिए छांट कर यह जगह तलाश की गई है। जब मैं उन दुखी लोगों को देखता हूं और अपने निर्णयों को देखते हैं, जो हम ईमानदारी से निर्णय यहां पर लेते हैं उनको देखता हूं तो दिल को एक ठेस लगती है। किसी कमेटी में बैठ कर हम यह निर्णय लेते हैं लेकिन जिस तरह से उन निर्णयों को कार्यान्वित किया जाता है उससे मुझे बड़ा दुःख होता है। इस ओर सरकार व मंत्री महोदय को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जब कोई बात हम कहते हैं कोई भी बात हम तय कर लेते हैं, एक निर्णय कर लेते हैं तब उसके अनुसार हमें चलना भी चाहिए और यह देखना चाहिए कि उस को सही तौर से क्रियान्वित किया जाता है या नहीं।

मैं सन् ४७ की बात आप को कह रहा था। मेरे ही निर्वाचनक्षेत्र के अन्दर, फैंजरोड के ऊपर विस्थापितों द्वारा बनाये गये मकानों और सरकार द्वारा उनको वहां से उखाड़ने के प्रश्न को लेकर बहुत सवाल किये गये अब फैंजरोड़ पर सड़क के किनारे लोगों ने मकान बनाये। वह सारे विस्थापित भाई थे। उन्होंने यह मकान बनाये। अच्छे मकान बनाये। आज भी मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि वहां जाकर आप लोग स्वयं देख सकते हैं कि उन लोगोंने सड़क के किनारे किनारे कितने अच्छे और सुन्दर मकान बनाये हुए हैं। वे वहां रहते हैं और पिछले १५–१६ साल से रह रहे हैं। किसी ने १०,००० तो किसी ने १२,०००रुपये उन मकानों के ऊपर लगाया है। उनको अब नोटिस आ रहे हैं। उनको नोटिस आ गये हैं। उनको भी यह कहा जा रहा है कि आप २५ गज़ ज़मीन में जाकर बैठिये। अब एक परिवार जिस में १०, १२ या १५ व्यक्ति रहते हैं और जो आज एक अच्छे ढंग से बसे हुए रहते हैं उन को यह कहा जाय कि तुम २५ गज़ में जा कर बैठो बाद में तुम्हारे लिए सोचेंग कि तुम को ८० गज़ दिया जा सकता है या नहीं यह कहां तक न्याय-संगत होगा ? अब ऐसे लोग जोकि क़ायदे में बैठे हुए हैं और जिन से कि सरकार को इस पिछले १५, १६ साल में कोई परेशानी नहीं हुई है, उनको इस तरह से उखाड़ना कहां तक न्यायसंगत होगा ? मैं चाहता हूं कि उन लोगों को वहीं पर बैठे रहने दिया जाय। इस तरह से न तो आपकी परेशानी बढ़ेगी और न ही उन लोगों की परेशानी बढ़ेगी।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उनको कारपोरेशन उठा रही है, एन० डी० एम० सी० उठा रही है। उनके पास कारपोरेशन का नोटिस भी आया है और डी० डी० ए० की तरफ़ से भी उनको नोटिस आया है . . .

श्री मेहर चन्द खन्ना : मेरा दोनों से ताल्लुक़ नहीं है।

श्री नवल प्रभाकर : लेकिन वह सब इसी एक्ट के मातहत उठाये जा रहे हैं अब यह मालूम नहीं है कि उस में आप का ताल्लुक़ है या नहीं ? कहा यही जाता है कि वह जो पबलिक प्रीमिसेज़ ऐक्ट है उसके मातहत ही उन लोगों को नोटिस दिया जाता है और उठाया जाता है । वहां पर चार एथारिटीज़ के चार आदमी आते हैं । यह कहां तय हुआ है, यह मुझे मालूम नहीं है । कोई भी किसी तरह का एतराज़ करे, तो उन में से कोई उस का जवाब दे देता है और उस को निकल जाने का हुक्म दे देता है । अगर किसी ने कहा कि हम तो डी० डी० ए० की ज़मीन पर बैठे हैं, तो डी० डी० ए० का आदमी कहता है, " मैं डी० डी० ए० का आफ़िसर हूं, मैं कहता हूं कि निकल जाओ" अगर किसी ने कहा कि कारपोरेशन की ज़मीन पर बैठा हूं, तो कारपोरेशन का आफ़िसर आग आ जाता है और कहता है, "मैं कहता हूं कि निकल जाओ" इस तरह से चार या पांच एथारिटीज़ का एक एक आफ़िसर वहां जाता है । पुलिस और मिलिटरी का घेरा उस इलाके पर डाल दिया जाता है और उन लोगों को ट्रक में बिठा कर वहां से जाने के लिए मजबूर किया जाता है । जैसा कि मैंने आप के सामने वर्णन किया है, तिकोनी पहाड़ी में इसी तरह से किया गया और वहां के लोगों को ट्रकों में डाल कर राजौरी गार्डन्ज़ में डाल दिया गया ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार जिस इलाके को ख़ाली कराना चाहे ज़रूर कराये । मैं उस का विरोध नहीं करना चाहता हूं । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में इस सदन में जो आश्वासन दिये गये हैं, उन को पूरा किया जाये । माननीय श्री गाडगिल साहब ने वे आश्वासन दिये थे । मेरे पास वे सब प्रोसीडिंग्ज़ वग़ैरह मौजूद हैं । यदि आप कहें, तो मैं पढ़ कर सुनाता हूं । उस के बाद भी जब जब इस हाउस में सवाल हुए, तो यह माना गया कि हम उस एशोरेंस को मानते हैं ।

मैं कहना चाहता हूं कि एक आदमी उस ज़माने में ५०० वर्ग गज़ भूमि पर मकान बना कर बैठा हुआ है, और उसका परिवार अच्छी तरह से बैठा हुआ है । उस को उजाड़ कर, वहां से उठा कर २५ गज़ ज़मीन पर बिठाना मैं न्यायोचित नहीं समझता । अगर सरकार को उस जगह की ज़रूरत है, तो वह उस को ले ले, लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा है, सरकार अपने आश्वासनों को अवश्य पूरा करे । एक आश्वासन यह दिया गया था कि हम उन लोगों को नज़दीक से नज़दीक बसायेंगे । दूसरा आश्वासन यह दिया गया था कि हम उनको बदले में ज़मीन देंगे । तीसरा आश्वासन यह दिया या था कि उन का जो स्ट्रक्चर है, उस पर उन की जो लागत आई है, हम उस को देखेंगे और उसके अनुसार जो बन पड़ेगा, वह देंगे । मेरा निवेदन है कि उन आश्वासनों को कार्यान्वित किया जाये ।

प्रश्न यह है कि जो लोग नाजायज़ तरीके पर बैठते हैं, वे कैसे बैठते हैं । कुछ लोग तो १९५१ में बैठ गये । उस के बाद फिर कुछ लोगों ने बैठना शुरू कर दिया । जब यहां पर दिल्ली कारपोरेशन बनने लगी, तो एक आम हवा यह उड़ा दी गई कि जो कारपोरेशन बनने से पहले पहले बैठ जायगा, वह एथाराइज्ड हो जायगा । इस का परिणाम यह हुआ कि लोगों ने अंधा-धुंध मकान बनाना शुरू कर दिया । उस मकान बनाने में लोगों में इतना साहस नहीं था, बल्कि उसमें एथारिटीज़ के कर्मचारियों का हाथ था । आज भी अवस्था यह है कि वे दिखावे के लिए नोटिस दे देते हैं, फ़ाइलें बना लेते हैं और उन को जमा कर लेते हैं और फिर उन लोगों को परेशान करते हैं । रिश्वत का बाज़ार बड़ा गर्म रहता है । पिछले दिनों जब अस्सी गज़ के प्लाट दिये गये, तो, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि बहुत से लोगों से पैसा लिया गया और जो लोग नहीं भी रहते थे, उनको पर्चियां दी गईं, उनको एलाटमेंट दे दी गई । मुझे मालूम हुआ है कि अब भी जब जमना बाज़ार में पानी आ गया, तो सरकार ने कहा कि एक सरवे कर लिया जाये । उस में पहाड़गंज के लोग भी

[श्री नवल प्रभाकर]

बैठ गये और पर्चियां ले गये, लेकिन उन को पैसा देना पड़ा। जो जितना पे करता गया, पर्चियां लेता गया। इस तरह से आज वे लोग भी जमना बाज़ार के रहने वाले बन गये ।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन महकमों और विभागों की तरफ़ से जो कार्यवाही हो रही है, मंत्री महोदय को पहले उस को देखना होगा। मैं मानता हूं कि कारपोरेशन एक आटानोमस बाडी है और उन का उस पर कोई दख़ल नहीं है। वह तो सिर्फ़ यहां पर जवाबदार हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को उन सब को देखना चाहिए और इस प्रकार की कार्यवाहियों को रोकना चाहिए । मैं आज भी कहना चाहता हूं कि लोगों में इतना साहस नहीं है कि वे नाजायज़ तरीके से बैठें, लेकिन जब उन को कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, तो जब वे कोई ऐसा रास्ता देख लेते हैं कि हम बैठेंगे और हम को प्रोटेक्शन मिल जायगा, तो वे उस रास्ते को अख्त्यार कर लेते हैं ।

मैं बताना चाहता हूं कि आज भी पुरानी फाइलें बनाई जा रही हैं। यह दिखाने के लिये कि अमुक व्यक्ति १९५० से बैठा हुआ है, अमुक जून, १९६० से पहले का बैठा हुआ है। यह केवल इसलिये किया जा रहा है कि झुग्गी-झोंपड़ि वालों को बसाने का जो प्लान है, वह और बढ़े और उससे फायदा उठाया जाये। जब भी सरवे हुआ है,संख्या बढ़ती चली गई है। मेरा निवेदन है कि जितने भी एथारिटीज हैं, चाहे डी० डी० ए० हो,चाहे दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन हो और चाहे लैंड एंड डेवेलपमेंट हो, उनके अधिकारियों और कर्मचारियों को मंत्री महोदय कहें कि अगर कोई आदमी कहीं बैठता है, तो उस को उसी समय बैठने से रोका जाये। यदि ऐसा किया जाता, तो आज इतनी बड़ी संख्या में ये लोग न होते । मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री ने जो आश्वासन इस हाउस में दिये हैं, १९५० के लोगों के बारे में खास तौर पर, जिनके बारे में बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह कहा गया था कि उन के रहने के स्थान से नजदीक जगह उनको दी जायगी, उन आवशसनों को पूरा किया जाये। उसके बाद अगर उन को उठाना जरूरी हुआ, तो उनको उठाया जाये ।

एक बात और कह कर मैं बैठ जाना चाहता हूं। मास्टर प्लान की बात कही जाती है। मास्टर प्लान में कई जगहों पर रिहायशी जगह, रेजिडेंशल एरिया, दिखाया गया है और लोग वहां बैठे हुए हैं। अब उन को यह कहा जाता है कि आप यहां से उठ जाइये, हम आप को दूसरी जगह बिठायेंगे। मेरा निवेदन है कि अगर सरकार ने दूसरे लोगों को वहां ला कर बिठाना है, तो उनको ही क्यों न वहां बैठे रहने दिया जाये। अगर सरकार यह आवश्यक समझती है कि वहां पर अधिक आदमी बैठे हुए हैं और वह उनको कायदे से बिठाना चाहती है, तो वह देख ले कि कितने आदमी वहां रह सकते हैं। उनको वहां रहने दिया जाये और बाकी को वह बदले में आल्टरनेटिव एकामोडेशन और प्लाट दे दिया जाये ।

जहां तक २५ गज जमीन का प्रश्न है, वह बिल्कुल नाकाफी है। वह साढ़े बाइस फीट व लम्बी और दस फीट चौड़ी जमीन का प्लाट है। मैंने यह देखा है कि एक झोंपड़ी बनती है और उस झोंपड़ी के आगे रसोई बनाने के लिये जगह नहीं रहती है और अगर रसोई बना ली जाये, तो आगे कोई जगह नहीं रहती है। इसका अर्थ तो यही है कि एक जगह से हम स्लम क्लीयर करें, गन्दी बस्ती को उठायें और दूसरी जगह यह पच्चीस पच्चीस गज जमीन दे कर उससे भी बूरी हालत में स्लम बना दें। क्या उनको बसाने के लिये और जगह तलाश की जायेगी ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : अस्सी गज का प्लाट होगा ।

श्री नवल प्रभाकर : अगर यही बात है, तो फिर उन को दो दफा बसाने की क्या आवश्यकता है ? एक दफा कैम्पिग साइट में बसायेंगे और फिर अस्सी गज के प्लाट पर बसायेंगे ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : कैम्पिग साइट पर ले जाना है । वहां पर बसाने का क्या सवाल है ?

श्री नवल प्रभाकर : मुझे मालूम है कि राजौरी गार्डन में जिन को ले जाकर आपने कैम्पिग साइट पर रखा है, दो महीने गुजर चुके हैं, अभी तक भी उनको अस्सी गज का प्लाट नहीं दिया गया है ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : तीन बरस और लगेंगे ।

श्री नवल प्रभाकर : आपका मतलब यह है कि तीन साल और वे २५ गज जमीन पर बैठेगे और जब जा कर उनको अस्सी गज का प्लाट मिलेगा और वहां वे बैठेंगे ? अगर यह सही है, तो यह बहुत ही विचित्र बात है .....

श्री मेहर चन्द खन्ना : अब उनके पास कितनी जमीन हैं ?

श्री नवल प्रभाकर : उनके पास ५० गज, ६० गज और १०० गज तक जमीन है । जब मैं यह बात कहता हूं तो केवल झग्गी झोंपड़ी वालों की नहीं कहता हूं, इस एक्ट के अन्तर्गत जो भी आते हैं, उनकी बात कहता हूं । मैं आपको ले जा कर दिखा सकता हूं कि उनके पास इतनी इतनी जमीन है । मैं चाहता हूं कि आप हमें यह भी बतायें कि जिन के पास २५ गज जमीन है और जिन के परिवार में सात, आठ या दस सदस्य हैं, वे उन में कैसे रह सकते हैं ? हम आदर्श की बात करते हैं । लेकिन साथ ही साथ हम कहते हैं कि तीन बरस तक और उनको २५ गज जमीन में रहना पड़ेगा । आठ आठ या दस दस आदमी २५ गज में कैसे रहेंगे, कैसे बैठेंगे, इसको आप देखें । मल्टी-स्टोरी मकान बनाने के लिये उनके पास धन नहीं है । तब वे झुग्गी झौंपड़ी बना कर ही रहेंगे और इसका नतीजा यह होगा कि गन्दगी उसी तरह से फैलेगी और बढ़ेगी । एक तरफ कहा जाता है कि हम स्लम्ज़ को हटा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ नए स्लम्ज़ इस तरह से हम क्रियेट कर रहे हैं । यह जरूर है कि हम उनको शहरी इलाकों में से जहां से बड़े बड़े आदमी गुजरते हैं हटा देंगे और जो उनको देखते हैं, उनकी नजरों से वे दूर हो जायेंगे और उनकी नजरों से गन्दगी का हम हटा देंगे और दूर ले जा कर पर्दे के पीछे उनको हम डाल देंगे । मेरा निवेदन है कि आप इस सारे मामले पर गम्भीरता से विचार करें । जो बात मैंने कही है, सच्चे दिल से कही है, दुखी दिल से कही है । सरकार को इसका देखना चाहिये, इस पर विचार करना चाहिये और विचार करके काई हल खोजना चाहिये ।

श्री बाल्मीकी (खुर्जा) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक अनअथाराइज्ड आक्युपेंट्स का सम्बन्ध है जिनके बारे में इस सदन में पहले भी विचार चला है और आज यह विधेयक सदन के सामने आया है, इससे चूकि विषेषत: मेरा गरीब लोगों से सम्बन्ध है इसलिए विशेष सन्तुष्टि और हमदर्दी नहीं है । यह मैं इसलिये कहता हूं कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है । बार बार विश्वास दिलाने के बावजूद भी और इस प्रकार के आश्वासन देने के बावजूद भी कि उनको बसाया जाएगा, इस बोच में, जब से यह प्रश्न चला है, उनको अधिकतर उजाडने के ही कदम उठाये गये हैं । सन् १९५० में मैं सदन का मैम्बर बन कर आया था । उससे पहले भी यहां दिल्ली में मैं स्वयं जो बाल्मीकि मंदिर है, उसमें रहता था । वहां एक दिन मैंने एक आवाज सुनी थी । मैंने सुना था कि दूर कुछ इस तरह की जगह है, जहां पर गरीब लोग जो व्यर्थ इधर उधर रहते हैं या जो रिफ्यूजी भाई हैं या हरिजन भाई है, वे चले और बसें । मुझे याद है किस तरह से चाणक्य पुरी में तथा दिल्ली के ऐसे और अनेक स्थानों में बहुत बड़ी तादाद में लोग गए और बड़ी मेहनत और परिश्रम से किसी तरह से उन्होंने वहां अपनी झोपड़ियां बनाई यह सब काम सरकार की जानकारी में चला । यह काम यों ही नहीं चलता रहा बल्कि

[श्री बाल्मीकी]

जो एक विश्वास उनको दिलाया गया था, उसके होंते चलता रहा । इस काम में जो अधिकारी थे या जो कर्मचारी थे, उनको भी सहयोग प्राप्त था, उन्होने भी उनका इस काम में कुछ भीतरी मन्तब्य से साथ दिया । इस तहर से वे लोग इन जगहों में जा कर बसे । जो यह कहा जाता है कि वे लोग अचानक वहां जा कर बैठ गये, अथवा अचानक चले गये, ऐसी बात नहीं है ।

आप जानते हैं कि १६४७ में जब हमारे देश का बटवारा हुआ था तब लाखों की संख्या में लोग इधर से उधर गए थे, लाखों की संख्या में लोग वैस्ट पाकिस्तान में गए थे और उधर से लाखों की संख्या में हमारे हिन्दू भाई इधर आये थे । लाखों की तादाद में रिफ्यूजी भाई दिल्ली नगर में तथा भारत के दूसरे बड़े बड़े नगरों में भी छा गये थे । उस वक्त उनको बसाने का या उनको कहीं बिठाने का एक बड़ा भारी प्रश्न था । उस प्रश्न को भी, इस विधेयक पर विचार करते समय, हमें अपने मस्तिष्क में रखना पड़ेगा । वह ऐसा समय था जब कि आप कोई बहुत ज्यादा प्रबन्ध उनके लिये नहीं कर सकते थे । जहां भी वे बैठ सकते थे और जिस तरह से भी वे बेठ सकते थे, वे बैठ गए और बस गये । स्वर्गीय पंडित ठाकुर दास जी भार्गव ने भी यहां इस सदन में कहा था कि वे ऐसे इन स्थानों पर ही बैठ नहीं गए बल्कि जो एक विश्वास, जो एक भरासा, जा एक आश्वासन डिस्ट्रिक्ट आथारिटीज ने दिया था कलैक्टर ने दिया था या दूसरे अधिकारियों ने दिया था, उस आधार पर वे बैठे, उस आधार पर वे बसे । १६४७ या १६४८ के बाद से जब भी लोग इस तरह से बसते चले गये, वे किसी अश्वासन के आधार पर ही बसते चले गये । उन में से जो पैसे वाले लोग थे, जो कुछ धनी वर्ग के लोग थे या जो बड़े खानदान के साथ थे, उन्होंने तो अधिक जगह घेरी और मकान बना लिये और जो गरीब थे, उन्होंने कम जगह घेर कर अपने मकान बना लिये । इस तरह से जो मकान बनाये गये, उनको संख्या कम नहीं थी । दस बीस हजार नहीं पचास हजार या इससे भी ज्यादा मकान उन्होने बना लिये । अब जब उनका प्रश्न १६५० या १६५१ में उठा, उस वक्त भी मैं खुद इस विचार का था और मैंने भी उस वक्त इसके बारे में अपना पार्ट अदा किया था, कि उनको जो एश्योंरेंश दिये गये हैं, उनको पूरा किया जाये । श्री गडगील साहब ने इस सदन में २६ सितम्बर, १६५१ को जो एश्योरेंश दिया था यदि उसको इन टोटो पूरा किया गया होता और उसको कार्यान्वित किया गया होता, उस पर अमल किया गया होता इन लैटर एंड इन स्प्रिट तो मैं समझता हूं कि इस बिल को आज लाने की आपको जरूरत महसूस नहीं हो सकती थी । उस एश्योरेंश को हमेशा ही अधूरे मन से कार्यान्वित किया गया, कभी भी पूरे दिल से उसको कार्यान्वित नहीं किया गया । आज भी वह एश्यारेंस ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है । उसके बाद और भी एश्यारेस दिये गये थे । एक हाई लेवेल कमेटी भी बनी थी और उसका फैसला भी आपके सामने आया था । चंदा साहब उसके चेयरमैन थे । उनका जो विचार था वह भी आपके सामने आया था । इस तरह से इन एश्योरेंसिस और इन आश्वासनों का बोझ आप पर बढ़ता चला गया । लेकिन आप पर उन आश्वासनों का कोई असर नहीं पड़ा, आपने उनको भी कभी पूरा करने की कोशिश नहीं की । कितने ही अनधिकृत मकान खास तौर से दिल्ली और अन्य नगरों में इस तरह के हो सकते हैं । लेकिन मैं आपको दिल्ली के ही कुछ मकानों के बारे में बतलाना चाहता हूं । मेन फैज रोड़ पर १६५० से पहले कोई ४० घर थे । अशोक नगर में ४५ थे । पूसा लेन में ७ थे । अहाता किदारा में १२० थे । सुभाष नगर में १०८ थे । नानक पुरा में २५ थे । आराम बाग में ६ थे । पूर्वी मार्ग में ५ थे । और भी मकान इस तरह के हो सकते हैं । यह बात जरूर है कि जो मकान मास्टर प्लान के दायरे में आते हैं, वे विशेष रूप से प्रभावित नहीं होने चाहिये । लेकिन इन मकानों का विभिन्न आश्वासनों के बावजूद भी आज तक रेगुलराइज़ नहीं किया गया है । एक हाई लेवेल कमेटी बनी थी और उसने भी आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया था, लेकिन उसकी सिफारिशों पर भी आपने कोई ध्यान नहीं दिया । आपको इन सब सिफारिशों पर ध्यान नहीं देना चाहिये था बल्कि इनको पूरा भी करना

चाहिये था। हाई पावर कमेटी ने अपने विचार उस तरह से आपके सामने रखे थे :—

'उन विस्थापित व्यक्तियों को जिन्होंने इन मकानों पर हजारों रुपये खर्च किये हैं, अगस्त, १९५० से पहले, उनका निष्कासन कर के २५ गज के शिविर में हटाया जा रहा है। उन मकानों में जो अगस्त, १९५० में पक्के बनाये गये थे और जिन पर १९६० में या १९६३ में कब्जा किया गया था, कोई भेद नहीं किया गया, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिये।'

श्री मेहर चन्द खन्ना : आपने क्या पढ़ा मैं समझा नहीं।

श्री बाल्मीकी : कमेटी ने जो कुछ लिखा था, मैंने आपको पढ़ कर सुना दिया है।

मेरा पक्का विश्वास है कि इस तरह के जो आश्वासन दिये गये हैं समय समय पर, चाहे हाई पावर कमेटी ने दिये हों या गाडगिल साहब ने दिये हों, उनको अगर आपने पूरा किया होता तो यह समस्या पैदा नहीं होती। और अनआथोराइज्ड आक्युपेंटस जो हैं या जो सक्वैटर्ज़ हैं, उनकी समस्या हल हो गई होती।

मैं समझता हूं कि इस आधार पर पूरा पूरा ध्यान दिया जाता, उनको अल्टर्नेटिव जगह दी जाती, उन्हीं जगहों पर, जहां झुग्गी झोपड़ी वाले बैठे हुए हैं, जहां पर गन्दी बस्तियां हैं, तो इतनी कठिनाई उनको न होती। जितने वहां बस सकते थे उतनो को वहां बसाया जाता, बाकी को हटा कर दूसरी अल्टर्नेटिव जगह दी जाती तो ठीक होता, लेकिन यह काम खुद बहुत मन्द गति से, बहुत धीमी गति से चला है। अगर इस आधार को लेकर सरकार चलती तो आज इस बिल की आवश्यकता न होती। अब तक इस काम में बहुत देरी हुई है, लेकिन अब जल्दी की जाय। जल्दी के लिये यह किया गया है कि जो हटने की अवधि ४५ दिन की थी अब वह ३० दिन की कर दी गई है, अपील की अवधि जो ३० दिन की थी वह अब १५ दिन की कर दी गई है और जो तीन साल से बैठ हुए हैं उनको तीन महीने का मौका दिया जाता है कि वे अपने लिए मकान तलाश करें लें। मैं समझता हूं कि रहने की समस्या आज इतनी भयंकर है कि तीन महीने क्या छः महीने तक घूम घुम कर, बरबाद हो कर, भी वे उसका प्रबन्ध नहीं कर सकते। मैं नहीं समझता कि इस आधार पर आप कुछ कर सकेंगे। यह आपके करने की बात है।

सब से बड़ी खूबी जो आज आपके दिमाग के अन्दर आती है वह यह है कि आप शासन के आधार पर सोचते हैं कि जिस प्रकार से बड़े नगरों के अन्दर विकास करना चाहिए, उनमें सौन्दर्य लाना चाहिये यही बात दिमाग में रहती है। इसका फल कुछ भी हुआ हो, लेकिन मैं स्वयं सारे देश में घूमा हूं, बड़े बड़े नगरों में गया हूं, इस विचार के फैलते हुए कुप्रभाव को देखा है। यह देखा है कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट या डवेलेपमेंट अथारिटीज़ जो हैं वे एक तरह से व्यापारी संस्थायें बन गई हैं। उनका एक ही काम है, गरीबों को हटा कर फेंक देना। मैंने स्वयं बड़े नगरों में देखा है कि किस बेरहमी से नगरों के हृदयों से, अन्दरूनी हिस्सों से उनको हटाया जाता है और उनको उस तरह की दूसरी जगह भी नहीं दी जाती। आज यहां पर कुछ थोड़े थोड़े कदम उठाये गये हैं, लेकिन जैसा अभी मेरे मित्र श्री नवल प्रभाकर जी ने कहा, उससे लोगों को कोई सन्तोष नहीं हुआ है। आज आपको समझना चाहिये कि जिन्होंने इस तरह से अनअथराइज्ड तरीके से मकान बना लिये हैं उन को हटाया जायेगा, लेकिन इस बिल के उद्देश्य का प्रभाव गरीब लोगों पर पड़ेगा, उनको हटाने के लिये इसका उपयोग किया जायेगा मुझे ऐसा भय है।

मैं समझता हूं कि इस बड़े नगर के अन्दर बाहर से बहुत से लोग आते हैं। जहां आप नगरों का ध्यान रखते हैं वहां दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी हमारे लिये खतार पैदा कर रही हैं। विशेषकर

जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, अर्थात् बुलन्दशहर और खुर्जा के क्षेत्र से, वहां के लोगों को बहुत बड़ा खतरा नजर आता है। आज भी जो गाजियाबाद के हमारे किसान भाई आए हुए हैं उनमें हमारे जिले से भी लोग आए हुए हैं। नगरों के बढ़ते हुए प्रभाव के सम्बन्ध में, मैं समझता हूं, आप ने ओलिवर गोल्डस्मिथ का डेजर्टेड विलेज अवश्य पढ़ा होगा कि क्यों विलेजेज बरबाद होते हैं और शहर बड़े होते हैं। प्लानिंग कमीशन ने भी इधर ध्यान दिया हैकि नगरों के अतिरिक्त ग्रामों के अन्दर यह सुविधायें प्रदान की जायेंगी। जो लोग बाहर से आते हैं, विशेषकर ग्रामों से आने वाले लोगों को रोका जायेगा। गांवों में ही उनके लिये आकर्षण पैदा किया जायेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उनके लिये कोई आकर्षण पैदा नहीं किया जाता। गांव के लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, उन की उपजाऊ भूमियों को लेकर बरबाद किया जाता है। आज इसकी मिसाल आप के सामने है। यह ठीक है कि आज प्रधान मंत्री जी ने उन्हें आश्वासन दिया। लेकिन वह अलग बात है। मैं समझता हूं कि जिनकी जमीनें ली जाती हैं उन्हें वैसी ही जमीनें दी जानी चाहियें, उन्हें बसाया जाना चाहिये, उनका पुनर्वास कराया जाना चाहिये और उनको हर तरीके से कम्पेन्सेशन दिया जाना चाहिये। गाजियाबाद के जो किसान भाई यहां पड़े हुए हैं उनके कम्पेन्सेशन को देखा जाये, जमीन के भाव को देखा जाय तो जो २० नये पैसे से लेकर ५० नये पैसे तक उन्हें दिया जा रहा है वह भी निहायत कम है। आज के मार्केट वैल्यू को देखते हुए या जब नोटिस १९६२ में दिये थे उसके बाद के आधार पर को भी सोचें, तो भी यह रकम ३ रु० या उससे ज्यादा होनी चाहिये थी। यह आधार पैदा किया जाना चाहिये लेकिन वह आधार पैदा न कर के, जिस तरह से गांवों के अन्दर आकर्षण पैदा करना चाहिये उस तरह से न करके, वहां नौकरियों की सुविधायें न पैदा करके, वहां दूसरे रूपों को पैदा करके आप शहरों को सुन्दर बनाते जाते हैं। गांवों के आदमी भी दिल रखते हैं, दिमाग रखते हैं, आकर्षण की तरफ उनका भी दिल भागता है। वे सोचते हैं कि शहरों में आकर्षण ही नहीं है, रोटी रोजगार भी है, धन्धा भी है, इसलिये वे गांवों की ओर विशेष ध्यान न देकर शहरों की तरफ भागते हैं। आज इस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है। यदि आप कोशिश करते, गांवों के अन्दर सुविधायें पैदा करते, नौकरियां पैदा करते, तो यह सारी समस्या इतनी गम्भीर न होती। मैं समझता हूं कि जिस तरह से दिल्ली बढ़ रही है, जिस आधार पर वह खतरा पैदा कर रही है, जिस तरह से यमुना के परले पार जा रही है, दिल्ली के दफ्तर भी यहां से वहां जा रहे हैं, उसको देखते हुए हुए इस बिल का मकसद बिल्कुल अलग ही मालूम होता है।

आपके मस्तिष्क में विशेषकर यह बात होनी चाहिये कि जिन लोगों की जमीनें ली जायें, चाहे वह किसान हों या गांवों के अन्दर रहने वाले विशेष लोग हों, उन्हें किसी तरह का खतरा पैदा न हो, उनको पुनर्वास करने का पूरा अवसर दिया जाय। मैं चाहता हूं कि यह भी सोचा जाय कि जहां आज हमारे बड़े बड़े नगरों के अन्दर आप ऊंची ऊंची अट्टालिकायें बना रहे हैं, गगन चुम्बी अट्टालिकायें बना रहे हैं वहां हजारों और लाखों लोग जो फुट पाथों पर सोते हैं, जैसा कि मैंने दिल्ली के अन्दर देखा है, बम्बई के अन्दर कलकत्ते के अन्दर देखा है, उन के पास रहने के लिये स्थान नहीं है उनको सिर ढकने के लिए जगह दी जानी चाहिये। सब से बड़ा आधार यह पैदा करना बहुत जरूरी है कि बड़े बड़े महलों और हवेलियों के पास में या बड़े लोगों के मोहल्लों के बीच में जो साधारण मकान बने हुए हैं उनमें रहने वालों का ध्यान रक्खा जाय। मैंने नागपुर में देखा है, दूसरी जगहों में देखा है, दिल्ली में भी देखा है कि उनको हटाने के लिये बड़ी खूबसूरती से प्रयत्न किया जा रहा है, ताकि वहां की सुन्दरता में धब्बा न आये। नई दिल्ली में ऐसी बस्तियां हैं, अशोक होटल है या दूसरे आफिसर्स के मकान हैं या हमारे दूतावास हैं, उनके बीच में गरीबों के मकान भी हैं। चाणक्यपुरी ऐसी जगहों में गरीबों के शानदार मकान भी बनें तब मैं माननीय मंत्री महोदय के ऐश्योरेंस को समझूं।

एक माननीय सदस्य : वापस लीजिये वापस लीजिये ।

श्री बाल्मीकी : गाडगिल साहब का ऐश्योरेंस पूरा हो या न हो, हाई लेबेल कमेटी का ऐश्योरेंस पूरा हो या नहो, आपके ऐश्योरेंश का आधार ऐसा हो कि बड़े आदमियों के बीच में गरीब आदमी भी रह सकें। जितने वहां बसाये जा सकें बसा दिये जायें। इसका प्रभाव साधारण गरीब आदमियों पर पड़ेगा । हमारा विश्वास होना चाहिये कोई भी आदमी जो बड़े नगरों में फुट पाथ पर सोता है, जिस के पास मकान नहीं है, रहने का साधन नहीं है, उसके लिये रहने का आधार पैदा किया जायेगा ।

अब हमारे देश के अन्दर समाजवाद की लहर आ रही है तब मैं कहना चाहता हूं कि समाजवाद यों नहीं आ सकता, समाजवाद ऊपर से टपकता नहीं है, पुस्तकों के अन्दर पैदा नहीं होता है, समाजवाद आपके विचारों से खाली नहीं बनता है समाजवाद तब बनता है जब गरीब को रोटी मिले, रहने के लिये सुविधायें मिलें और वे आपके द्वारा मिलें, गरीब आदमी इस तरह से बसें, तब पूरा समाजवाद आयेगा ।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि आपको विशेष कर इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि इस बिल का प्रभाव हमारे गरीब लोगों पर, मामूली लोगों पर न पड़े । जो इस प्रकार के हमारे भाई हैं, विशेषकर रिफ्यूजी भाई, जिन्होंने अनेक कष्ट झेले हैं, जिन्होंने बड़े मकान भी बना लिये हैं, लेकिन सन् १९५० से पहले बना लिये हैं उन्हें बिल्कुल नहीं छेड़ा जायेगा । इस बीच में भी जिन्होंने इस प्रकार अनधिकृत मकान बना लिये हैं उनके इस मकान या झोपड़ा का सर्वेक्षण हो जाना चाहिये कि कितनी झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं । इस आधार पर इस बिल को पास करना चाहिये ताकि उन गरीब लोगों पर कोई प्रभाव न पड़े ।

मुझे पूर्ण आशा है कि गरीब के साथ अन्याय नहीं होगा और जो भी हमारे रिफ्यूजी भाई सन् १९५० से पहले बैठे हुए हैं उन्हें किसी तरह से छेड़ा नहीं जायेगा । इसके बाद से जो दूसरे नये आदमी अनुचित रूप से बैठे हैं झुग्गी झोपड़ियों के बीच में अगर वे अनुचित लाभ उठाते हैं या दूसरे काम करते हुए हट भी जाते हैं और हटने के बाद फिर इस अनुचित व्यापार को शुरू कर देते हैं, उनको हटाने में मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मन्दसौर): विधेयक का सम्बन्ध अनधिकृत कब्जे वाले व्यक्तियों के निष्कासन से है । सबसे पहली बात जो मुझे बहुत अस्वाभाविक मालूम होती है यह है कि अनधिकृत कब्जा होने क्यों दिया जाता है ? ऐसे कदम क्यों नहीं उठाये जाते कि लोग अनधिकृत कब्जा कर ही न सकें ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मेरे विचार में पहले तो इस बात को रोकने के लिए कदम उठाये जाने चाहियें । यह कदम ऐसे हो सकते हैं कि इनके लिए रहने का स्थान दिया जाये । देश के बड़े बड़े उद्योग लगाने के लिए जो १००० करोड़ रुपये लगाये गये हैं, उन में से ४ करोड़ रुपये इन लोगों की आवास देने के लिए खर्च किये जा सकते हैं । बड़े बड़े प्रभावशाली व्यक्तियों के निष्कासन के लिए, जिन्होंने भूग्रहादि पर अवैध कब्जा कर रखा है तुरन्त कदम उठाये जाने चाहिये और सरकार को वे मकान खाली करवाने के लिये शक्तियां लेनी चाहिये । यदि यह सिद्ध हो जाये कि कब्जा अनधिकृत है, तो विधेयक में जो शेष प्रक्रिया रखी गई है, उसको अनुसरण किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है किन्तु इस बात का निर्णय करने के लिए कि कब्जा अवैध है या नहीं विधि की प्रक्रिया का पूरा अनुसरण किया जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि किसी व्यक्ति का अनधिकृत कब्जा तीन तीन साल तक कैसे रह सकता है। यह विचारधारा ही गलत है। ऐसे व्यक्ति के साथ सहानुभूति की आवश्यकता है चाहे उसका कब्जा अनधिकृत ही क्यों न हो।

मैं यह नहीं कहता कि ९० दिन का नोटिस कम है। किन्तु नोटिस देने से पहले, सम्बन्धित व्यक्ति को सम्पदा अधिकारी के सामने नहीं बल्कि एक न्यायिक अधिकारी के सामने पूरा अवसर मिलना चाहिये।

न्यायालयों द्वारा आदेश की व्यवस्था बन्द करने का उपबन्ध प्रजातन्त्रात्मक नहीं है। यह पुलिस की शक्ति है।

†**श्री शिवचरण गुप्ता** (दिल्ली सदर) : अपने कुछ मित्रों की आलोचना से सहमत नहीं हूं। किन्तु मैं अपनी ओर से कुछ आलोचना करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक सभा की बैठक ३० अगस्त, १९६३/८ भाद्र, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, २९ अगस्त, १९६३/७ भाद्र, १८८५ (शक)]

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१६२३—४७
	तारांकित प्रश्न संख्या	
३६०	फरक्का पुल	१६२३–२४
३६१	दिल्ली में बिजली	१६२४—२६
३६२	सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिये भारत-नेपाल बोर्ड	१६२६—२८
३६३	भाखड़ा परियोजना ऋण की अदायगी	१६२८–२९
३६४	नदी बोर्ड	१६२९–३०
३६५	कृष्णा नदी जल-विवाद	१६३०—३२
३६६	केन्द्रीय अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना का विस्तार	१६३२—३४
३६७	सोडा वाटर की बोतलों में मक्खियां	१६३४–३७
३६८	सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	१६३७—३९
३६९	यमुना नदी पर बांधों का निर्माण	१६३९
३७०	बैंक आफ चाइना का समापन	१६३९—४३
३७१	दण्डकरण्य में विस्थापित व्यक्ति	१६४३
३७४	दण्डकारण्य विकास प्राधिकार	१६४४–४५
३७२	स्वर्ण नियंत्रण का प्रतिकूल प्रभाव	१६४६–४७
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	१६४७—८०
	तारांकित प्रश्न संख्या	
३७३	पश्चिमी बंगाल के अनधिकारवासियों की बस्तियां	१६४७–४८
३७५	अनिवार्य जमा योजना के लिये प्रबन्ध	१६४८
३७६	कोयले के परिवहन की समस्या	१६४९
३७७	भोजन व्यवस्था के ठेके	१६४९
३७८	राजस्थान नहर प्रणाली	१६४९–५०
३७९	सोने का आयात	१६५०–५१
३८०	भारत सेवक समाज द्वारा निर्माण कार्य	१६५१

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उतर—क्रमश:		
तारांकित प्रश्न संख्या		
३८१	फेफड़े का कैंसर . . .	१६५१–५२
३८२	भारत पाकिस्तान सीमा पर तस्कर व्यापार	१६५२
३८३	सोने का भाव . . .	१६५२–५३
३८४	दामोदर घाटी निगम कोसी बांध .	१६५३
३८५	कोपिली जल विद्युत परियोजना . .	१६५३–५४
३८६	विद्युत जनन . .	१६५४
३८७	एशियाई देशों के लिये प्रविधिक सहायता	१६५४
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१११४	दिल्ली विश्वविद्यालय के समीप नाला	१६५५
१११५	सरकारी क्षेत्र के उद्योग .	१६५५
१११६	राजस्थान में तापीय विद्युत योजनायें	१६५५–५६
१११७	राजस्थान में हैजा और प्लेग	१६५६
१११८	दण्डकारण्य परियोजना के कर्मचारी	१६५६
१११९	राजस्थान में पीने का पानी .	१६५७
११२०	राजस्थान में आयुर्वेद का विकास .	१६५७
११२१	राजस्थान में गैर सरकारी संगठनों के लिये अनुदान .	१६५७-५८
११२२	गांवों में बिजली लगना	१६५८–५९
११२३	दण्कारण्य परियोजना में औद्योगिक ऋण	१६५९
११२४	कावेरी डेल्टा (मद्रास) .	१६५९
११२५	ऋण पर ब्याज . .	१६५९–६०
११२६	वजीराबाद में पानी साफ करने का संयंत्र	१६६०
११२७	रिक्सा चालन	१६६०–६१
११२८	इर्विन अस्पताल	१६६१
११२९	बैंक लाकरों का परीक्षण	१६६१
११३०	रोगियों को दिये जाने के लिये रक्त	१६६१–६२
११३१	केरल में सिंचाई योजनायें	१६६२
११३२	चल एक्सरे एकक	१६६२
११३३	केरल में सिंचाई योजनायें	१६६३
११३४	रहने की इमारतों पर संधारण व्यय .	१६६३

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

११३५	दिल्ली के लिये नये अस्पताल	१६६३
११३६	केन्द्रीय अनुसन्धान संस्था, कसौली	१६६३
११३७	केन्द्रीय विद्युत बोर्ड	१६६४
११३८	गांव के सुनारों के लिये लाइसेंस शुल्क	१६६४
११३९	शराबी	१६६४
११४०	चिकित्सा शिक्षा का विकास	१६६५
११४१	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के लिये रक्तदान	१६६६
११४२	दिल्ली में बिक्री कर के लिये पंजीयन	१६६६
११४३	बिक्री कर सम्बन्धी अपीलें	१६६६–६७
११४४	समवायों द्वारा पूंजी का जारी किया जाना	१६६७
११४५	जब्त किये गये स्वर्ण आभूषण	१६६७
११४६	करों की बकाया रकम	१६६७–६८
११४७	आन्ध्र प्रदेश में तापीय विद्युत केन्द्र	१६६८
११४८	राष्ट्रीय जल सम्भरण तथा स्वच्छता समिति	१६६८
११४९	दिल्ली में तपेदिक की रोकथाम	१६६८–६९
११५०	शंरबती जल-विद्युत परियोजना	१६६९
११५१	उपरि कृष्णा परियोजना	१६७०
११५२	तवा बहुप्रयोजनीय परियोजना	१६७०
११५३	जापान से सहायता	१६७०
११५४	सिंचाई योजनायें	१६७१
११५५	रक्त बैंक तथा अनुसन्धान सस्था	१६७१
११५६	आयुर्वेदिक अनुसन्धान सस्था	१६७१–७२
११५७	निवृत्ति-वेतन प्राप्त लोगों को अधिक लाभ	१६७२
११५८	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के लिये रक्त दान	१६७२
११५९	गाजीपुर का अफीम का कारखाना	१६७२
११६०	कानपुर में औद्योगिक आवास योजना	१६७२–७३
११६१	प्रेस "पूल" में क्वार्टर	१६७३
११६२	चोरी से लाये गये माल की बरामदगी	१६७३–७४
११६३	आवास कार्यक्रम	१६७४–७५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
११६४	आगरा के बटेश्वर घाट	१६७५
११६५	दिल्ली में नल-कूप	१६७५—७६
११६६	होमियोपैथिक अस्पताल	१६७६
११६७	चिकित्सा की देशी पद्धात	१६७६—७७
११६८	राज्यों में पुनर्वास	१६७७
११६९	दामोदर घाटी निगम	१६७७—७८
११७०	तस्कर-व्यापारियों की गिरफ्तारी	१६७८
११७१	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना	१६७८
११७२	कालीकट नगर निगम . . .	१६७८
११७३	अनुसन्धान संस्थाओं और प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट	१६७९
११७४	शिलोंग में उमियम जल-विद्युत परियोजना	१६७९
११७५	गुड़ की मंडी, दिल्ली के विस्थापित व्यक्ति	१६८०
निधन सम्बन्धी उल्लेख		१६८०
	अध्यक्ष महोदय ने श्रीमती उमा नेहरू के, जो पहली और दूसरी लोक-सभा की सदस्य रह चुकी हैं, निधन का उल्लेख किया ।	
	इसके बाद सदस्यगण उनके सम्मान में कुछ देर तक मौन खड़े रहे ।	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		१६८०—९०
	श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने मास्टर प्लान के अन्तर्गत गाजियाबाद के आस-पास के किसानों की भूमि अर्जित कर लेने से उत्पन्न स्थिति की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया ।	
	प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।	
सभा पटल पर रखे गये पत्र		१६९०—९१
	(१) १९६३-६४ में केन्द्रीय सरकार द्वारा लिये गये ऋणों के परिणाम बताने वाला विवरण ।	
	(२) सीमा शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली	

विषय पृष्ठ

निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :–

(क) दिनांक १७ अगस्त, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १३६४ ।

(ख) दिनांक १७ अगस्त, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १३६५ ।

(३) सीमा-शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १० अगस्त, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १३०६ ।

(ख) दिनांक १७ अगस्त, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १३५८ ।

(ग) दिनांक १७ अगस्त, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १३५९ ।

(घ) दिनांक १७ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३६० में प्रकाशित सीमा-शुल्क मूल्यांकन (संशोधन) नियम, १९६३ ।

(ङ) दिनांक १७ अगस्त, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १३६१ ।

(च) दिनांक १७ अगस्त, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १३६२ ।

(छ) दिनांक १७ अगस्त, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १३६३ ।

राज्य सभा से सन्देश १६६१–६२

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना दी :–

(एक) कि राज्य सभा अपनी २७ अगस्त, १९६३ की बैठक में लोक-सभा द्वारा १३ अगस्त, १९६३ को पास किये गये अखिल भारतीय सेवायें (संशोधन) विधेयक, १९६३ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(दो) कि राज्य सभा अपनी २१ अगस्त, १९६३ की बैठक में श्री नबाबसिंह चौहान के त्याग-पत्र देने के कारण हुई रिक्ति में ३० अप्रैल, १९६४ को समाप्त होने वाली अवधि तक के शेष भाग में लोक-सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने के लिये राज्य सभा के एक सदस्य को मनोनीत करने की लोक-सभा की सिफारिश से सहमत हो गई और राज्य सभा

विषय पृष्ठ

ने २८ अगस्त, १९६३ को इस प्रयोजन के लिये पंडित एस० एस० एन० तंखा को मनोनीत किया ।

कार्य मन्त्रणा समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत १६९२

अट्ठारहवां प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया ।

विधेयक पारित १६९२—१७१०

(१) विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) ने प्रस्ताव किया कि भारतीय वस्तु विक्रय (संशोधन) विधेयक, १९६२ पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और खंडवार चर्चा के बाद विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया गया ।

(२) श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) ने प्रस्ताव किया कि कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और खंडवार चर्चा के बाद, संशोधित रूप में, पारित किया गया ।

(३) विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) ने प्रस्ताव किया कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंडवार चर्चा के बाद पारित किया गया ।

विधेयक विचाराधीन १७११—२४

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) ने प्रस्ताव किया कि सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों का निष्कासन) संशोधन विधेयक पर विचार किया जाये। चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

शुक्रवार, ३० अगस्त, १९६३/८ भाद्र, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि

सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों का निष्कासन) संशोधन विधेयक पर अग्रेतर चर्चा और इस का पारित किया जाना ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर चर्चा ।

GMGIPND—LSIII—1103 (Ai) LSD—30-9-63—160